बाजार पर नजर



शेयर बाजार में आज

60,927.43

Nifty 50 Top5 Gainers

Scrip	Close	%Change
Yes Bank	20.15	15.47%
Indiabulls Housing	148.85	13.93%
Hindalco	471.00	9.61%
Tata Steel	111.15	8.70%
Vedanta	307.65	7.87%

Nifty 50 Top5 Losers

Scrip	Close	%Change
Cipla	1095.85	-2.08%
Dr. Reddys Lab	4250.85	-1.38%
Hindustan Unilever	2593.25	-1.06%
Sun Pharma Inds.	1000.15	-0.14%
Kotak Mahindra Bank	1820.90	-0.06%

फॉरेक्स रेट

	मुद्रा	बिक्री
$	डॉलर	82.79
€	यूरो	88.22
¥	येन	62.33
£	पौंड	100.09

न्यूज कार्नर

सरकार ने ई-चालान पर साफ किया अपना रुख

नई दिल्ली, जेएनएन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सरकार के पास ई-चालान की अनिवार्यता को एक जनवरी से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी बी2बी लेन-देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि 01.01.2023 से इस सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपए करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अभी तक जीएसटी परिषद द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।



नहीं घटेगी ई-चालान की सीमा : कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा था कि जीएसटी परिषद ने 1 जनवरी, 2023 से ई-चालान की पीढ़ी के लिए सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर अधिसूचना जारी नहीं की है।

मुक्त व्यापार करार से परिधान निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली, भाषा। भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सीमा शुल्क का लाभ मिलने से भारतीय परिधान निर्यातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उस देश में अधिक बाजार पहुंच कायम करने में मदद मिलेगी। परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) ने मंगलवार को यह बात कही। यह समझौता 29 दिसंबर से लागू हो रहा है। एईपीसी के उपाध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, कपड़ों का सबसे बड़ा आयात तक है। जहां ऑस्ट्रेलिया में परिधान के आयात में चीन की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक की है, वहीं भारत की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने कहा, भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए (आर्थिक सहयोग और व्यापार करार) के लागू होने के साथ भारत को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में आयात के लिए विएतनाम और इंडोनेशिया के मुकाबले मामूली शुल्क लाभ होगा।

7 प्रमुख शहरों में 3.65 लाख घरों की बिक्री, 2014 का रिकार्ड टूटा

नई दिल्ली, जेएनएन। देश के सात प्रमुख शहरों में इस वर्ष नए घरों की बिक्री सर्वकालिक स्तर पर पहुंचने हुए 3.65 लाख इकाई रही है। प्रापर्टी कंसलटेंट एनारक के अनुसार, ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद आवासीय संपत्ति की मजबूत मांग के चलते घरों की बिक्री ने 2014 का सर्वकालिक उच्च स्तर का रिकार्ड तोड़ दिया है। 2014 में सात प्रमुख शहरों में 3.43 लाख नई आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई थी। नई आवासीय संपत्ति की बिक्री का आंकड़ा जारी करते हुए एनारक ने बताया कि 2022 में कुल 3,64,900 घरों की बिक्री हुई है, जो 2021 की 2,36,500 इकाइयों के मुकाबले 54 प्रतिशत ज्यादा है। सात प्रमुख शहरों में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन (एमएमआर), चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2022 में एमएमआर में सबसे ज्यादा 1,09,700 नए घरों की बिक्री हुई है। 63,712 इकाई के साथ दिल्ली-एनसीआर दूसरे नंबर पर रहा है।



चार से सात प्रतिशत बढ़ा मूल्य

2022 की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर के दौरान देश के सात प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों के मूल्य में चार से सात प्रतिशत की वृद्धि रही है। एनारक के अनुसार, एनसीआर में आवासीय संपत्तियों का औसत मूल्य 5,025 रुपए प्रति वर्गफुट रहा है और 2021 की चौथी तिमाही के मुकाबले इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि रही है। एमएमआर और बेंगलुरु में मूल्य क्रमशः 11,890 और 5,570 रुपए प्रति वर्गफुट रहा है और इसमें सात प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसके अलावा पुणे में पांच प्रतिशत, हैदराबाद में छह प्रतिशत, चेन्नई में पांच प्रतिशत और कोलकाता में चार प्रतिशत की वृद्धि रही है।

नए घरों की लॉन्चिंग में 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी

एनारक के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में नए घरों की लॉन्चिंग में भी 51 प्रतिशत की वृद्धि रही है और कुल 3,57,600 इकाई लॉन्च की गई हैं। 2021 में सात प्रमुख शहरों में 2,36,700 इकाई लांच की गई थीं। एमएमआर और हैदराबाद में सबसे ज्यादा नए घरों की लॉन्चिंग हुई है और कुल लॉन्चिंग में इन दोनों शहरों की 54 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है। वार्षिक आधार पर 2022 की चौथी तिमाही में उपलब्ध इन्वेंट्री में भी एक प्रतिशत की कमी आई है।

सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,927 पर बंद, निफ्टी 117 अंक चढ़ा

मुंबई, भाषा। सेंसेक्स बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को तेजी देखने को मिली। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में यह तेजी आई। सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,927 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 18,132 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में तेजी रही। यहीं निफ्टी 5 शेयरों में गिरावट रही। हिंडालको, टाटा स्टील, जेएसडब्लू स्टील, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स, विप्रो, डिविस लैब और एलटी समेत निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी रही। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले इंडिया, एमएंडएम, आईटीसी, एक्टीपीसी और ब्रिटानिया समेत निफ्टी के 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा 1 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एनएसई के 11 सेक्टोरल इंडेक्स में से 10 में तेजी देखने को मिली।



स्टार्टअप को मिलेंगे 2023 में ग्रोथ के नए मौके

नई दिल्ली, जेएनएन। महामारी के साथ स्टार्टअप के लिए भी कई मुश्किलें खड़ी हो गई थीं और साल 2022 में फंड की कमी से कई नए स्टार्टअप बंद हो गये या फिर बचे रहने के लिए उन्हें छंटनी जैसे कदमों का सहारा लेना पड़ा था। हालांकि साल 2023 में स्थिति बदलती हुई दिख रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन के मुताबिक उभरते उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के कारण देश की स्टार्टअप कंपनियां अगले साल यानी 2023 में अच्छा-खासा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित कर सकती है। जैन ने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और जिस तरह से यहां की स्टार्टअप इकाइयां प्रदर्शन कर रही हैं, जल्द ही भारत स्टार्टअप के लिए ग्लोबल लेवल का टॉप इकोसिस्टम बन जाएगा।



पंजाब नेशनल बैंक punjab national bank | हबीबगंज (ईओबीसी) शाखा भोपाल

लॉकर धारकों के लिए सूचना

पंजाब नेशनल बैंक हबीबगंज (ईओबीसी) शाखा, भोपाल अपने निम्नलिखित लॉकरधारकों को सूचित करता है कृपया ये अपना बकाया ➔ किराया देकर बैंक में सात दिन के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका लॉकर तोड़कर रखे सामान में से किराए करके बकाया किराए की वसूली कर ली जाएगी। परिणामतः इस बात की जिम्मेदारी का दायित्व उनका ही होगा।

क्र.	लॉकर नंबर	लॉकरधारक का नाम एवं पता	बकाया राशि
1	AA44	श्री राकेश जायसवाल, पता: कुलेरी कोलोनी, पोस्ट अशिया के पीछे, सरवाखापार, पोपला-462016	रू.7000.00

भोपाल, दिनांक : 28.12.2022 शाखा प्रबंधक

INDIA LITERACY BOARD
Literacy House, Kanpur Road, Lucknow

Tender No: NIT/ INDIA LITERACY BOARD /2022/1 Dt. 28.12.2022

NOTICE INVITING TENDER

Name and Description of work :- "CONSTRUCTION OF LITERACY MUSEUM FOR INDIA LITERACY BOARD AT LUCKNOW, UTTAR PRADESH ON EPC MODE"

INDIA LITERACY BOARD as Executing Agency of for this Project, invites online bids for construction on Design, Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis from eligible bidders working in any central/state departments or government/semi government undertakings or in private sector for building works through e- tendering from eligible contractors/firms in two bid system for the following work :-

Estimated cost	Completion period of Work	Last date to fill/ upload the bid through e-tendering	Tender Cost	EMD/Bid Security amount
Rs. 8.84 Cr	15 Months	30.01.2023 Up to 03:00 PM	Rs. 5000/-	2% of the estimated cost put to tender

- The bid document shall be available online from **28.12.2022 at 11:00 AM** to **28.01.2023 at 05:00 PM** & the last date of submission of bid document shall be **30.01.2023 upto 03:00 PM** (Online). Opening of Technical Bid shall be on **30.01.2023 at 03:30 PM**.
- For submission & other tender details, please refer detailed NIT available on website of e-tender portal **www.https://tenderwizard.com** Corrigendum/ amendments etc., if any, will be notified on this website only and separate advertisement will not be made for the same.
- Earnest money (EMD) shall be accepted in the form of **Bank Guarantee/ Demand Draft.**
- **INDIA LITERACY BOARD** reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason or incurring any liability whatsoever.

DIRECTOR

कार्यालय थाना प्रभारी थाना कोहेफिजा भोपाल

OFFICE OF THE POLICE STATION KOHEFIZA, BHOPAL-PIN 462001 (M.P.)

क्रमांक था./कोहे./भो./मर्ग-डी.-59/22 दिनांक 20-12-22

जाहिर सूचना



सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सासकीय हमीदिया चिकित्सालय भोपाल से सूचक CMO डॉ. अजय पूर्वे T/A फराज अली ने जरिये टेलीफोन से सूचना दिया कि मृतक अज्ञात पुरुष पिता अज्ञात उम्र 30 साल निवासी अज्ञात को थाने पाय लाया दिनांक 13.09.2022 को इलाज हेतु लेकर आया जिसने बताया कि रेल कर्मचारी हमीदिया अस्पताल से पेशेंसी हालत में इलाज हेतु लेकर आये जिसे डाक्टर साहब द्वारा चैक करने पर दिनांक 13.09.2022 के समय 07.46 बजे मृत्यु घोषित किया। जिसका पोस्ट एम सी नं. 1932/22 है। लाश को मरचुरी रूम में सुरक्षार्थ रखा गया है। कि सूचना पर मर्ग क्रमांक 56/2022 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जाँच में लिया गया मृतक का हुलिया सिर के बाल काले फेस शर्ट पहने है कद 162.56 के करीबन इकहरा बदन।

उक्त अज्ञात के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो थाना कोहेफिजा के मोबाईल क्रमांक 9479990687 पर सूचना देने का कष्ट करें।

थाना प्रभारी
थाना कोहेफिजा भोपाल
फोन नं. 0755-2677317

जी-20898/22

57 फीसदी कर्मचारियों को 12 प्रतिशत वेतन वृद्धि की उम्मीद

संगठित क्षेत्र के रोजगार में इस साल रही तेजी

नई दिल्ली, भाषा

वैश्विक आर्थिक मंदी, महंगाई, स्टार्टअप निवेश में कमी, टेक क्षेत्र में छंटनी और मंदी की आशंका के बीच 57 प्रतिशत कर्मचारियों अगले साल 12 प्रतिशत से अधिक वेतन वृद्धि की उम्मीद है। सीआईईएल एच आर सर्विसेस के अध्ययन के अनुसार, 23 फीसदी कर्मचारियों का मानना है कि 8-12 फीसदी की वृद्धि हो सकती है जबकि 11 फीसदी मानते हैं कि चार से पांच फीसदी तक वेतन बढ़ सकता है। हालांकि, 8.3 फीसदी मानते हैं कि केवल 4 फीसदी तक उनकी सैलरी बढ़ सकती है। विपरीत आर्थिक स्थितियों के बावजूद अधिकांश कर्मचारियों को वेतन में बढ़त की उम्मीद है। भारी मांग और प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण आईटी क्षेत्र ने पिछली चार ज्यादा वेतन वृद्धि की थी। इस साल, जमीनी स्तर की स्थिति बदल गई है, फिर भी कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर आशान्वित हैं। पिछली चार वेतन वृद्धि में विनिर्माण, इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया था। अधिकांश कर्मचारियों को सैलरी 10 फीसदी से कम बढ़ी थी।



अस्थिर वैश्विक हालात से एनपीए बढ़ने का है खतरा : आरबीआई

बकाया कर्ज के बट्टे खाते में डालने से पड़ा असर

नई दिल्ली, जेएनएन

पिछले एक दशक से फंसे कर्जे यानी एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) की समस्या से ग्रस्त सरकारी बैंकों ने हाल के दिनों में अपनी पीठ खूब थपथपाई है कि उन्होंने इस समस्या पर काबू पा लिया है। आंकड़े भी उनके पक्ष में हैं। ताजे आंकड़े बताते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों के सकल एनपीए काफी कम हुए हैं। लेकिन मंगलवार को आरबीआइ की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट (रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया) तसवीर का दूसरा पहलू पेश करती है।

2021-22 में सरकारी बैंकों के एनपीए में भारी कमी : रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में सरकारी बैंकों के एनपीए में भारी कमी आई है लेकिन यह कमी इसलिए हुई है कि इन बैंकों ने बड़े पैमाने पर बकाये कर्ज को राशि को बट्टे खाते में डाल है। गत वर्ष सरकारी बैंकों के एनपीए में कुल 2,14,317 करोड़ रुपये की कमी हुई है जिसमें 1,19,713 करोड़ की कमी पुराने कर्जे को बट्टे खाते मे डालने से हुई।



वसूली से एनपीए में 56,959 करोड़ की कमी : इस दौरान वसूली से एनपीए में 56,959 करोड़ रुपए की कमी हुई है जबकि लोन एकाउंट को अपग्रेड करके एनपीए में 378,565 करोड़ की कमी की गई। जब कर्ज लेने वाला ग्राहक बकाये कर्ज के मूल व ब्याज का एक हिस्से को अदाएगी कर देता है तो उसके खाते को एनपीए चिह्नित नहीं किया जाता और उसे अपग्रेड कर दिया जाता है।

इक्विटी और डेट से जुटाई गई रकम में इस साल 20 फीसदी की कमी

आईपीओ से पिछले साल मिला 1.2 लाख करोड़

नई दिल्ली, जेएनएन



चालू वर्ष में कंपनियों को डेट और इक्विटी के जरिये जुटाई गई रकम 20 फीसदी घट कर 11 लाख करोड़ रुपए रह गई है। 2021 में कंपनियों ने 13.6 लाख करोड़ रुपये जुटाया था। इसमें 6.8 लाख करोड़ रुपये डेट से, 2.85 लाख करोड़ इक्विटी से और 1.2 लाख करोड़ रुपये प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से जुटाए गए थे। ब्याज दर ज्यादा होने और बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण कंपनियों ने इस साल रकम जुटाने की रफ्तार कम कर दी। 11 लाख करोड़ में से 6.92 लाख करोड़ रुपये डेट बाजार से और 1.62 लाख करोड़ रुपये इक्विटी बाजार से जुटाए गए। 2.52 लाख करोड़ विदेशी बाजारों से कंपनियों ने जुटाया। जानकारों का कहना है कि 2023 की पहली छमाही में भी कंपनियों के सामने पैसा जुटाने की चुनौती बनी रह सकती है।

डेट बाजार से 6.92 लाख करोड़ रुपये मिले : अगर अमेरिका में मंदी की आशंकाएं खत्म होती हैं तो दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर बाजारों में तेजी दिख सकती है। उसकी वजह से भारतीय बाजारों के भी विदेशकों की धारणा सकारात्मक हो जाएगी।

टाटा पावर डीडीएल ने किया समझौता

नई दिल्ली, भाषा। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर डीडीएल) ने विद्युत क्षेत्र में हुनरमंद कार्यबल तैयार करने के लिये एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है। उत्तरी दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली टाटा पावर डीडीएल ने मंगलवार को बयान में कहा, कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल का एक मजबूत और बड़ा आधार तैयार करने के उद्देश्य से एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर टाटा पावर डीडीएल के मुख्य मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध प्रमुख प्रवीण अग्रवाल और एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस की निदेशक डॉ. राजेश्वरी नरेंद्रन ने हस्ताक्षर किए।

कृषि मेले में किसानों को मिलेगी उन्नत तकनीक की जानकारी

भोपाल, मुप्र। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भोपाल में शुरू हुए तीन दिवसीय कृषि मेले में किसानों को खेती-किसानी की उन्नत तकनीक की जानकारी मिलेगी। कृषि मेले में कृषि, बागवानी, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित 150 से ज्यादा स्टाल लगे हैं। निश्चित ही मेले का लाभ किसानों को मिलेगा। पटेल ने कहा कि इस प्रकार के मेलों के आयोजन से किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मेले में केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान योजनाओं से लाभान्वित हों, इसके लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि मेला 29 सितंबर तक चलेगा। कृषि मंत्री ने मेले में किसानों को जैविक खाद के पैकेट वितरित किए।



किसान संगोष्ठी का होगा आयोजन : चिटनिस पार्क मैदान में आयोजित कृषि मेले में दो दिवसीय किसान संगोष्ठी भी होगी। इसमें विषय-विशेषज्ञों द्वारा कृषि एवं बागवानी से जुड़ी नवीनतम तकनीकों से किसानों को अवगत कराया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने में निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा।

स्टाल में उन्नत उपकरण प्रदर्शित : कृषि मेले में 150 से अधिक स्टाल लगाए गए हैं। इनमें कृषि संबद्ध कार्यों को आसान बनाने वाले उन्नत उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। मेले में विभिन्न देसी और विदेशी कंपनियों के यंत्रों को प्रदर्शित करने के साथ ही इनके उपयोग और लाभों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जा रही है।

बिजनेस बुलेटिन

श्याम स्टील ने नया टीवी विज्ञापन कैंपेन लॉन्च किया

मुंबई। प्राइमरी टीएमटी बार्स बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक श्याम स्टील ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के साथ अपना नया टेलीविजन विज्ञापन कैम्पेन लॉन्च किया है। नया टीवी विज्ञापन श्याम स्टील के हमेशा के लिये स्ट्रॉन्ग कैम्पेन का विस्तार है। यह कैम्पेन लोगों तक ब्रांड का यह संदेश पहुंचाना चाहता है कि रिश्ते का मजबूत बंधन ताकत और लचीलेपन के सही संतुलन से मिलता है, बिल्कुल श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार्स की तरह। इस टीवी विज्ञापन को रेडिफ्यूजन ब्राण्ड सॉल्यूशंस प्रा. लि. ने बनाया है और इसका प्रोडक्शन हाउस कॉर्नरस्टोन है। टीवी विज्ञापन का निर्देशन अभिषेक वर्मन ने किया है। ताकत और लचीलेपन का संतुलन रिश्तों के आधार को मजबूत रखता है और यह बात श्याम स्टील ब्राण्ड के मूल दर्शन से भी मिलती-जुलती है।



अजय मधुकर म्हेत्रे वेकोलि के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी बने

नागपुर। अजय मधुकर म्हेत्रे ने वेकोलि मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे बिहार एलएडए, पटना में निदेशक (ग्रामीण) के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नागपुर से केचलर ऑफ इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स) में स्नातक करने के उपरान्त यूपीएससी की 1996 की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की एवं 1998 में आईटीएस अधिकारी के तौर पर भारत सरकार के दूरसंचार विभाग में कार्यभार संभाला। उन्होंने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं बीएसएनएल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वेकोलि में पदभार ग्रहण करने पर म्हेत्रे ने सीएमडी मनोज कुमार, निदेशक (कार्मिक) डॉ. संजय कुमार, निदेशक तकनीकी (संचालन) जे. पी. त्रिवेदी तथा निदेशक तकनीकी (योजना एवं परियोजना) ए. के. सिंह से भेंट की। सभी ने उनका स्वागत करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी।



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

सेबी भवन–।।, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (28ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालांकि, नौंग नोटिस चूककर्ताओं को सारणी में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी ।

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन / सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	नोंग सूचना की तिथि
1	MYNK1906 इंवेस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिम्पो' सहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, सुषमा बिल्डिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचखनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंडकॉल इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 63 / 65, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 6, मुंबई–400003; (2) चुकासी हाउस, चुकासी सिलक मिल्स कंपाउंड, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	क्लासिक ईल (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, एकीज इंडस्ट्रियल एस्टेट, वालभट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) निर्देशनिवास सेवा सोसाइटी, दलित मजदूर फंपी, वसारी हिल, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई – 400062	3836	17.06.2021
4	गुजमार्क फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056650	डीगो बंगली 5, अमेया अपार्टमेंट, ब्राह्मण समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2262Q	(1) दुकान 109, पहली मंजिल, डिवाइन आर्केड परिसर सीएचएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, सोहा चेम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, मिलत कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनेक्स डिवाइन आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (5) शॉप नंबर 117, पहली मंजिल, बी मींस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई ई 400101; (6) 130, पहली मंजिल, बी मींस, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	रीसुमल इंवेस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महात्मा नगर, गोलिबार रोड, खांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	राजेंद्र माइनिंग एंपेरर्स कंपनी लिमिटेड	L99999MH1981 PLC024603	(1) 105, बालसन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकाला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400099; (2) ए / 8, रचना अपार्टमेंट, वीरी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया लीजिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032698	(1) सागर रेसन हाउस, डी. डी.एल. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोडियाले कालेज रोड, वाया – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	29.09.2022
9	डायनामोस्स इंवेस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC028616	(1) 115, टीपी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गौरक्षो के पीछे, पर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डी. ऐनी बेसेंट रोड, पर्ली, मुंबई – 400025	6082	08.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सृष्टी आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

जनसुनवाई में अपर कलेक्टर ने की 103 आवेदनों में सुनवाई



जागरण, रीवा। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई में 103 आवेदन पत्रों सुनवाई कर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी ने शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने 7 दिनों की समय सीमा में जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जनसुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन अवैध कब्जा हटाने, मजदूरी भुगतान, पेंशन प्रकरण तथा अन्य आवेदन पत्रों में सुनवाई की गयी।

ऐसे मामले आए सामने : जनसुनवाई में लोक निर्माण विभाग के कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर बाबूलाल पर्ण तथा भावना पाण्डेय ने फरवरी 2022 से नवम्बर 2022 तक के वेतन भुगतान के लिए आवेदन दिया। जिस पर कार्यालय पंडित लोक निर्माण को वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा शिवदयाल पाटल तिवारी ग्राम लौरी 521 ने जन भूमि में आवासीय पट्टा के लिए आवेदन दिया। रामगोपाल चतुर्वेदी तिवारी ओढ़की ने जमीन के सीमांकन तथा नक्शा तरमीम के लिए आवेदन किया जिस पर अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए है। जनसुनवाई में रामसेवी पर्ण तिवारी शिवहैर ने सार्वजनिक मार्ग से अवैध कब्जा हटाने व ग्राम रीवी तहसील जवा के ग्रामवासियों ने आवागमन पट्टे के लिए, भोलाराम पटेल तिवारी केलवा चुर्रिचक्का ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार सिरमौर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए है। मोरध्वज शुक्ल तिवारी पटना ने कचौटी नहर से उनके खेत के खेर से जलभराव की समस्या हल करने के लिए आवेदन दिया। जिस पर अपर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री कचौटी को नहर में सुधार कराकर जलभराव दूर करने के निर्देश दिये है।

सूखे नाले की खोह में ढकेले गये बेजुबान जानवर, वीडियो वायरल

रीवा। जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धामना में पशुओं के साथ क्रूरता किये जाने मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में बेजुबान जानवरों को बरसात के मौसम में बहने वाले नाले की खोह में ढकेल दिया गया ,जहां कई जानवर भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। वहीं कुछ को माने तो ऐसा जानवरों को खदेड़कर नहर में ढकेल दिया गया था और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो के आधार पर सोहागी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मौके पर मुआयना करने पहुंची तो नहर में न तो जिंदा जानवर दी और न ही मृत। फिलहाल पुलिस मामलेमें वीडियो वायरल होने के बाद हलचल जरूर बढ़ी।

हर वर्ष हो रहे करोड़ों खर्च : सरकार हर वर्ष गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है उसके बावजूद भी इन बेजुबान जानवरों को रखने वहीं न तो सुरक्षित व्यवस्था है और न ही उसके लिए भोजन देने वहीं।

ऐसा जानवरों को नहर वही खोह में ढकेल दिया गया था। इससे संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद अज्ञात वालीके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद वहां कोई जानवर नहीं मिले।

डीजी विश्वास
सोहागी थाना प्रभारी, जिला रीवा

आंदोलनकारियों को समर्थन देने कटनी से आए



रीवा। संतुलन विकास मोर्चा की अगुवाई में बघेल समाज का कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव 63वें दिन जारी रहा। मोर्चा के संयोजक विजय सिंह ने बताया कि रीवा आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में कटनी से सुजर पशुपालक उन्नतीला संगठन के अध्यक्ष देवीदीन गुप्ता बंसल समाज के नेता प्रेमलाल बंसल सूचनलाल बंसकार एडवोकेट बिजुलाल पटैरिया ठाकुर गुलाब बंसकार के नेतृत्व में रीवा महापड़ाव स्थल पहुंचे। सभा को संबोधित करने उपरांत रैली के रूप में मोर्चा की अगुवाई में रीवा कटनी के आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा सौंपकर कहा कि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार एवं रीवा कलेक्टर को रोकने का ऐलान किया। ज्ञापन दीदान मोर्चा के संयोजक विजय सिंह, बुद्धसेन पटेल विनायक लोधा सुरेश सिंह बुद्धजीत सिंह शंभू ललित मिश्रा उमेश कुमार पटेल विश्वनाथ खंटैयाला सुधीर सिंह रामनरेश सिंह संतोषकुमार पटेल ओबीसी मोर्चा के लोधा पुष्पराज सिंह पटेल पप्पू कनौजिया हौसगिरि पटेल महेंद्र बंसल समाज के प्रमुख प्रदीप बघेल सरजू बघेल राजेश बघेल रमेश उर्फ राजभान बघेल राजाराम उर्फ राजा बघेल हायघेलिया प्रसाद बघेल पार्षद शंकर बंसल बंसल मलखान बंसल रविराज बंसल आदि हजारों की संख्या में महिला पुरुष आंदोलनकारी उपस्थित रहे संचालन बंसल समाज के नेता बाबूलाल बंसल ने किया। आंदोलन में लगर जारी है।

पहले दिन चंबल ने बनाए बिना विकेट खोए रन, दो मैदानों में खेले जा रहे मैच

जागरण,रीवा। रीवा डिवीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के आदेशानुसार में मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मध्यक्षण उगवाले अंडर-15 अंतरसंभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तृप्त 'ए' के अंतर्गत रीवा के लालबिहारी क्रिकेट मैदान में मंगलवार से रीवा और चंबल की टीमों के बीच आरंभ हुए 3 दिवसीय मैच के पहले दिन रीवा की पहली पारी के 141 रनों के जवाब में चंबल ने दिन का खेल खत्म होने के समय तक अपनी पहली पारी में बिना विकेट खोये 69 रन बना लिये है। इस मैच में टॉस रीवा के कप्तान मेहुल अग्रवाल ने जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बिलासपुरियों के प्रदर्शन को परखने के लिये मध्यप्रदेश की जूनियर चयनसमिति के सदस्य गयासिंहार के अनिरुद्ध सिंगौर बतौर पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। मैच के दौरान आदीश्वरी चक्रिय कप्तान श्रीवास्तव, शशिर प्रभाकर सिंह ,मंजय सिंह, अमन शुक्ला ,आनंद सिंह, अजय दुबे, देवेश शुक्ला, शाकिल खान, प्रदीप शुक्ला, अजय सिंह 'डब्बू', दीपेंद्र शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

महाराजा मैदान में तिरे सूरज 18 विकेट : इस मैच में टॉस नर्मदापुरम की टीम ने जीता तथा पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 44 रनों के स्कोर पर नर्मदापुरम के 5 विकेट गिर गये थे तथा उनकी पारी का अंत सिकंदर लाल एवं वा सिंधु सिंधी परिसिद्धी में आयुष बाघ एवं अवधान सिंह ने 6 वें विकेट के लिये 73 रन जोड़कर टीम को बड़ा मजबूती प्रदान की जिसके कारण नर्मदापुरम की पहली पारी 197 रनों तक पहुंचने में सफल हो सकी। जवाबी पारी खेलते हुए उदयीन की बल्लेबाजी भी लड़खड़ाई से गयी व दिन का खेल खत्म होने के समय तक उदयीन ने अपनी पहली पारी में 113 रनों पर 6 विकेट खो दिये है।

जन्म तिथि सुधार सूचना

मैं सतेन्द्र प्रसाद तिवारी नं. 15144083X हवलदार पिता श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी ग्रा.पो. चचाई तहसील सिरमौर जिला रीवा का निवासी हूं। व शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे आर्मी दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम अंशमान तिवारी की जन्म तिथि 06.06.2009 त्रुटि वश दर्ज हो गई है जो गलत है, जबकि मेरे पुत्र अंशमान तिवारी के शैक्षणिक, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में 06.06.2010 दर्ज है जो कि सत्य एवं सही है। अतः मेरे आर्मी के समस्त दस्तावेजों में मेरे पुत्र की जन्म तिथि 06.06.2010 सुधार किया जाय एवं लिखा व पढ़ा जाय। भविष्य में मेरे पुत्र के जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

RN-75542 सतेन्द्र प्रसाद तिवारी

जन्म तिथि एवं नाम सुधार सूचना

मैं सतेन्द्र प्रसाद तिवारी नं. 15144083X हवलदार पिता श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी ग्रा.पो. चचाई तहसील सिरमौर जिला रीवा का निवासी हूं। व शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे आर्मी दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम साक्षी तिवारी व जन्म तिथि 12.07.2007 दर्ज है जो की गलत है जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड पर मेरी पुत्री का नाम साक्षी तिवारी (SAKSHI TIWARI) व जन्म तिथि 12.10.2007 दर्ज है, जो सही और सत्य है अतः मेरे आर्मी के समस्त दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम साक्षी तिवारी (SAKSHI TIWARI) व जन्म तिथि 12.10.2007 सुधार किया जाए एवं लिखा, पढ़ा व जाना जाय। भविष्य में मेरी पुत्री के उक्त नाम के सम्बन्ध में व जन्म तिथि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं होगी।

RN-75542 सतेन्द्र प्रसाद तिवारी

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

1. श्रीमती सुशीला देवी पति इन्द्रभान प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)
2. विनोद कुमार वल्दी मालखन पो राजकुमार निवासी ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

...अपीलान्टगण

विरुद्ध

1. पिराजा प्रसाद पिता इन्द्रभान प्रसाद का. निवासी सिरमौर
2. हरीश कुमार पिता चौकाल प्रसाद निवासी सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.)

...रेस्पाडेन्ट

इस न्यायालय में अपीलार्थी श्रीमती सुशीला देवी पति इन्द्रभान प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा अपील विरुद्ध आदेश सहायीलदार सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.1995 प्रकरण क्रमांक 234/6 वर्ष 1993/94 अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 ई. के तहत अपील प्रस्तुत की गई है। अतः उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अपील प्रकरण में पक्ष समर्थन हेतु दिनांक 28.12.2022 को समय 10:30 बजे अपीलन्ताधारकों के न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्तक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करें। नियत दिनांक को उपस्थित न होने की दशा में एक पक्षीय सुनवाई की जावेगी। आज दिनांक 27.12.2022 को इस न्यायालय की चदमुद्रा से जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

आगर 75248

न्यायालय नायब तहसीलदार कुल मोबिलदास तह. हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

क्र./रस्ती/2020 पेशी, दिनांक: 14.12.22

नगरपालिका परिषद रीवा की स्थानापन्न कोल, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट अभियानी, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ...आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन, 2. सतीश्वर पाठी पिता श्री कमेश्वरनाथ पाठी, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम पुरैना, पोस्ट मोरोना, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

...अनावेदकगण

आम इश्तहार

न्यायालय को सूचित किया जाता है कि आवेदक नगरपालिका परिषद रीवा स्थानापन्न कोल, निवासी अभियानी, तह. हुजूर, जिला रीवा म. प्र. द्वारा ग्राम पुरैना, प.ह. पुरैना तह. हुजूर पत्थर, जिला रीवा की आराजी नं. 856/1 रकबा 0.347 है. में से 1/2 रकबा यानी 0.173 है. किसी की अनुमति बगैर आवेदन पत्र आवेदन धारा 165(6) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार मोबिलदास रीवा के न्यायालय में पेश किया गया कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 02 सतीश्वर पाठी पिता श्री भगवत पाठी, उम्र, पुरैना को तिही कर पक्ष है। जिसके संबंध में नायब तहसीलदार मोबिलदास द्वारा दिये गये दिनांक निर्देशों के तहत प्रकरण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत हुआ, उपरोक्त के संबंध में आम जन व विशिष्ट व्यक्तिगत/सामिलात को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन हेतु उक्त अधिवक्ता के माध्यम से आगे पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते है जिसके अवधि 15 दिवस में पक्ष समर्थन प्रस्तुत न करने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जावेगी। आज इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मय मुद्रा से जारी है।

नायब तहसीलदार कुल मोबिलदास तह. हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

RN- 75249

न्यायालय नायब तहसीलदार हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

क्र./रस्ती/2020 पेशी, दिनांक: 14.12.22

नगरपालिका परिषद रीवा की स्थानापन्न कोल, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट अभियानी, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ...आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन, 2. सतीश्वर पाठी पिता श्री कमेश्वरनाथ पाठी, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम पुरैना, पोस्ट मोरोना, तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र. ...अनावेदकगण

आम इश्तहार

न्यायालय को सूचित किया जाता है कि आवेदक नगरपालिका परिषद रीवा स्थानापन्न कोल, निवासी अभियानी, तह. हुजूर, जिला रीवा म. प्र. द्वारा ग्राम पुरैना, प.ह. पुरैना तह. हुजूर पत्थर, जिला रीवा की आराजी नं. 856/1 रकबा 0.347 है. में से 1/2 रकबा यानी 0.173 है. किसी की अनुमति बगैर आवेदन पत्र आवेदन धारा 165(6) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार मोबिलदास रीवा के न्यायालय में पेश किया गया कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 02 सतीश्वर पाठी पिता श्री भगवत पाठी, उम्र, पुरैना को तिही कर पक्ष है। जिसके संबंध में नायब तहसीलदार मोबिलदास द्वारा दिये गये दिनांक निर्देशों के तहत प्रकरण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत हुआ, उपरोक्त के संबंध में आम जन व विशिष्ट व्यक्तिगत/सामिलात को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में अपने पक्ष समर्थन हेतु उक्त अधिवक्ता के माध्यम से आगे पक्ष समर्थन प्रस्तुत कर सकते है जिसके अवधि 15 दिवस में पक्ष समर्थन प्रस्तुत न करने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जावेगी। आज इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मय मुद्रा से जारी है।

नायब तहसीलदार कुल मोबिलदास तह. हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

RN- 75249

INDIA LITERACY BOARD
Literacy House, Kanpur Road, Lucknow

Tender No: NIT/ INDIA LITERACY BOARD /2022/1 Dt. 28.12.2022

NOTICE INVITING TENDER

Name and Description of work :- **"CONSTRUCTION OF LITERACY MUSEUM FOR INDIA LITERACY BOARD AT LUCKNOW, UTTAR PRADESH ON EPC MODE"**

INDIA LITERACY BOARD as Executing Agency of for this Project, invites online bids for construction on Design, Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis from eligible bidders working in any central/state departments or government/semi government undertakings or in private sector for building works through e- tendering from eligible contractors/firms in two bid system for the following work :-

Estimated cost	Completion period of Work	Last date to fill/ upload the bid through e-tendering	Tender Cost	EMD/Bid Security amount
Rs. 6.84 Cr.	15 Months	30.01.2023 Up to 03:00 PM	Rs. 5000/-	2% of the estimated cost put to tender

- The bid document shall be available online from **28.12.2022 at 11:00 AM to 28.01.2023 at 05:00 PM** & the last date of submission of bid document shall be **30.01.2023 upto 03:00 PM** (Online). Opening of Technical Bid shall be on **30.01.2023 at 03:30 PM.**
- For submission & other tender details, please refer detailed NIT available on website of e-tender portal **www.https://tenderwizard.com**. Corrigendum/ amendments etc., if any, will be notified on this website only and separate advertisement will not be made for the same.
- Earnest money (EMD) shall be accepted in the form of **Bank Guarantee/ Demand Draft.**
- **INDIA LITERACY BOARD** reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason or incurring any liability whatsoever.

DIRECTOR

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)

// विज्ञप्ति //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) के आदेश पत्र क्रमांक 464/108/आयुक्ति/यो./2022 भोपाल, दिनांक 26.05.2022 द्वारा महाविद्यालय में आदर्श प्रयोगशाला उन्नयन हेतु (योजना अ.5766) अंतर्गत प्रयोगशाला उपकरण/सह उपकरण क्रय करने के लिए आवंटन जारी किया गया है। तदनुसार विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना हेतु उपकरण/सह उपकरण क्रय किए जाने बाबत् जेम पोर्टल पर बीडिंग क्रमांक GEM/2022/B/2874820 Dated: 20.12.2022 जारी की गई है, बीडिंग की यह प्रक्रिया दिनांक 09.01.2023 तक जारी रहेगी।

अतः सभी पात्र/इच्छुक फर्म/निविदाकर्ता संस्थाएं इस ऑनलाईन बीडिंग प्रक्रिया में निर्धारित दिनांक 09.01.2023 तक भाग ले सकते हैं, निर्धारित अवधि के पश्चात् बीडिंग प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा, इसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगी।

प्राचार्य
शासकीय आदर्श महावि. उमरिया

सी-20901/22

कार्यालय नगर पालिका परिषद विदिशा (म.प्र.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/6906 To 6909/PWD/2022 विदिशा, दिनांक 26/12/2022

नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा निम्न कार्य हेतु ई-निविदाओं का आमंत्रण किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	निविदा क्र.	ई-टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण की समयावधि	ई-निविदा प्रपत्र अंतिम दिनांक
1	6906	2022_UAD_240410_1	Construction of RCC Drain at Ward 18 Atul Gass Agency Road Malkhan Raghuvanshi To Phulsingh Kirar Home vidisha	192274.00	3845.00	1000.00	6 Month	11/01/2023
2	6907	2022_UAD_240417_1	Construction of R. C. C. Drain at Ward 36 Ahamadpur road To Vijay Nagar Maa Sharda Medical TO Brejesh Sharma Bali Gali Me Vidisha	359022.00	3590.00	2000.00	6 Month	11/01/2023
3	6908	2022_UAD_240455_1	Constrution of C. C. Road at Ward 36 Ahamadpur road To Vijay Nagar Maa Sharda Medical TO Brejesh Sharma Bali Gali Me Vidisha	446870.00	4469.00	2000.00	6 Month	11/01/2023
4	6909	2022_UAD_240460_1	Construction of C. C. Road at Ward 35 Ahamadpur road F.C.I. Suresh Malviya To Prem Narayan Home Vidisha	1265517.00	9491.00	2000.00	6 Month	30/01/2023

1-निविदा प्रपत्र क्रय, डाउन लोड, करने एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तें एवं जानकारी https://www.mpetenders.gov.in से एवं नगर पालिका परिषद विदिशा की लोगिन साइट से प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन होने पर वेबसाईट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद विदिशा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

सेबी भवन–II, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (3क) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालांकि, मांग नोटिस चूककर्ताओं को सामान्य में पंजीकृत उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/ सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK1906 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिम्पो' सहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, सुमधा बिल्डिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचखनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकमीन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 63/69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 8, मुंबई–400003; (2) पुकराणी हाउस, पुकराणी सिल्क मिल्स कंपाउंड, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	वालांबिक ईस्ट (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, वकील इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालमट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) सिद्धिविनायक सेवा सोसाइटी, दलित मजदूर चाली, वसाली हिल, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई – 400062	3836	17.06.2021
4	मुकुलम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056850	बीगरे बंगलो 5, अमेया अपार्टमेंट, आर्यना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2262Q	(1) दुकान 109, पहली मंजिल, डिपार्ट आर्केड परिसर सीएचएस लिमिटेड आज़ाद नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, सोहेजा चेम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, निरलॉन हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनेक्सा डिपार्ट आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (5) शॉप नंबर 117, पहली मंजिल, डी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई पु 400101; (6) 130, पहली मंजिल, डी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	रेनसूमल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064832	4, महात्मा नगर, गोरेगांव रोड, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	राजेंद्र माइनिंग कंपनी लिमिटेड	L99999MH1981 PLC024603	(1) 105, बालसन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400069; (2) ए/3, रचना अपार्टमेंट, वीपी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया सीमेंटिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032698	(1) साधना रेयन हाउस, डॉ. डी.एन. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोंडिवाले कलंब रोड, वाया – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	29.09.2022
9	डायनामोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC028616	(1) 115, टीपी इंडस्ट्रियल एस्टेट, ग्लेक्सो के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	6062	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सृष्टी आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

दैनिक जागरण
वर्गीकृत

सूचना

जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. किसी तृतीय पार्टी के उत्पादों एवसेवाओं का समर्थन नहीं करती है और न ही किसी तृतीय पार्टी के विज्ञापनों में दावों किसी जानकारी की सत्यता या विश्वसनीयता की पुष्टि करती है। जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. पाठकों को ऐसा करती है कि वे ऐसे किसी भी विज्ञापनदाता के साथ कोई भी लेन-देन करने की कार्रवाई से पहले उचित व उसकी समुचे जांचे जांचे पड़ताल कर लेवें।

टॉवर लगवायें

ALFA CO. LTD. द्वारा खाली जमीन, प्लाट व छत पर टॉवर लगवायें। एडवांस- 750000/-+ किराया- 15000/- + एडीमेंट+ नौकरी। जल्दी करें।- मो. 7389043002 (12-1)

ज्योतिष

तंत्र-मंत्र व काले इल्म के माहिर गुरु तखाट जी- हर इल्म की काट मेरे पास जारण्टीड समाधान- नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, मनचाही शादी, गृहक्लेश, सास-बहू में अनबन, रोजगार- दुश्मन से छुटकारा, कोर्ट-कचहरी, कर्ज मुक्ति, जादू-टोना, मुठकरणनी, महावशीकरण, विदेश यात्रा, (प्यार में धोखा खायें प्रेमी-प्रेमिका आवश्य मिलें) भोपाल मो. 9981721412 (5-1)







कलेक्टर ने बैंकों को लगाई फटकार

रीवा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उदय योजना की प्रगति में गति लाने हेतु कलेक्टर द्वारा बैठक ली जा रही है। योजना की मासिक समीक्षा बैठक के क्रम-क्रम कलेक्टर द्वारा योजना में रुचि न लेने वाले बैंक शाखा प्रबंधकों की टी.एल. मीटिंग के पश्चात साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। पूर्व में एस.बी.आई. एवं पी.एन.बी. बैंक के दो-दो शाखा प्रबंधकों की समीक्षा की गई थी। इसी क्रम्पना में आज इंडियन बैंक के आठ एवं पी.एन.बी. के दो शाखा प्रबंधकों की समक्ष में बुलाकर योजना की समीक्षा की गई तथा लक्ष्य पूर्ति में शिथिल रवैया पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में इंडियन बैंक को 31 दिसम्बर तक ऋण-प्रतिवेदन प्रकरण स्वीकृत / वितरण हेतु शाखाओं द्वारा सम्मति दी गई है। योजना का लक्ष्य पूर्ति न करने की स्थिति में शाखा प्रबंधकों को फिल्ड उनके परिक्षेत्र कार्यालय को अवगत किए जाने की बात भी कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई।

यात्री एवं माल वाहनों पर हुई वालानी कार्रवाई

रीवा। परिवहन विभाग द्वारा रीवा मोटी और बांदा डाबर रोड पर जांच अभियान चलाया गया जिसमें 4 बसों जिलाग विरुद्ध वालानी हुई पहली गई जिस पर वालानी कार्रवाई की गई। जांच में दस्तावेजों के साथ फायर-एक्स बॉडीस, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन द्वार व खिड़की सूची आदि नहीं जांच की गई। जांच के दौरान एक ट्रक पर ओवरलोड माल भरे पाए जाने पर 8500 रु. का वालान बनाया गया। साथ ही एक जेसीबी पर मीटर दस्तक नहीं जमा होने के कारण उसको जब्त किया गया था। जिसका न्यायालय द्वारा निराकरण किया गया और इसका मौकापालका परिवहन विभाग जमा करा कराया गया। परिवहन विभाग के द्वारा के दौरान 66 हजार रु. का बालाया टैक्स भी जमा वालानी से जमा कराया गया।

एक्सप्रेस-वे: दिल्ली अब दूर नहीं

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का कार्य जोरों पर, 900 किमी का काम हुआ पूरा

सूर्यप्रकाश मिश्र@नवभारत

मुंबई. देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई का काम 54 पैकेज में किया जा रहा है. दोनों राजधानियों के बीच की दूरी कम करने वाला यह बहुउद्देश्यीय एक्सप्रेस-वे यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12-13 घंटे कर देगा. एक्सप्रेस-वे देश की राष्ट्रीय और वित्तीय राजधानी के बीच की दूरी को 280 किमी कम कर देगा. पीएम मोदी ने 9 मार्च, 2019 को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी थी.

79 किमी निर्माण उन्नत चरण में : कुल 1350 किमी के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे में 610 किलोमीटर का निर्माण पहले चरण में पूरा हो गया है. अन्य 79 किमी निर्माण के उन्नत चरण में है. वैसे 214 किलोमीटर पहले ही पूरा हो चुका है और अन्य 30 किलोमीटर पूरा होने की स्थिति में है. मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जिसकी सीमा में सभी पैकेजों का निर्माण हो चुका है.

5 राज्यों से रहा गुजर : एक्सप्रेस-वे 5 राज्यों से होकर गुजरेगा. इनमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं. पीएम नरेंद्र मोदी के जल्द ही महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के सोहना (गुरुग्राम के पास)-दौसा खंड का उद्घाटन करने वाले हैं. सोहना (हरियाणा) से दौसा (राजस्थान) के बीच 293 किमी के सभी 9 पैकेज तैयार हो गए हैं.

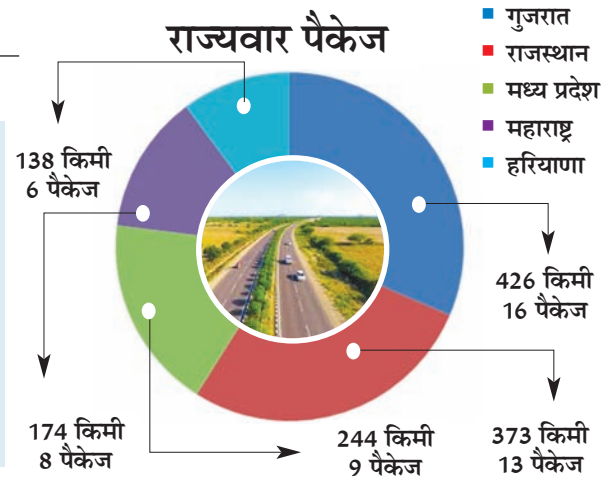
54 पैकेज में हो रहा काम | **174** किमी है महाराष्ट्र में
1350 किमी का ग्रीनफील्ड | **2024** में होगा पूरा

मार्च 2023 था लक्ष्य

1 इसे मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था. एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2024 निर्धारित किया गया है. एक्सप्रेस-वे पर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला पाएंगे.

2 इस एक्सप्रेस-वे में एक लेन इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी होगी. ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है. एक्सप्रेस-वे पर वर्तमान में 8 लेन हैं, लेकिन बाद में 4 और लेन जोड़े जा सकते हैं.

राज्यवार पैकेज



1.03 लाख करोड़ की लागत



- एमएचएआई के माध्यम से बनाए जा रहे इस राजमार्ग की लागत लगभग 1 लाख 3,000 करोड़ रुपये अनुमानित है. राजमार्ग गुरुग्राम के पास सोहना से शुरू होकर मुंबई में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जेएनपीटी से जुड़ेगा.
- वैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेस-वे को मुंबई के नरीमन पॉइंट तक भी जोड़ने की योजना है. एनएचएआई द्वारा महाराष्ट्र में पूरे 174 किमी और गुजरात में 426 किमी में से 200 किमी से अधिक में काम को तेजी से करने का लक्ष्य रखा है.
- वैसे 54 पैकेज में से 53 का काम शुरू किया गया है. केवल महाराष्ट्र में 18 किमी का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है.

उल्हासनगर मनपा के खिलाफ शुरू किया अनशन

ठेके के विरोध में लामबंद हो रहे ठेकेदार

15000 मजदूरों के बेकार होने का खतरा

■ **उल्हासनगर,** नवभारत न्यूज नेटवर्क. विधायकों के विरोध के बावजूद स्थानीय मनपा द्वारा पानी की पाइप लाइन की रिपेयरिंग का ठेका जो शुरू में 10 करोड़ का निश्चित हुआ था वह बाद में 25 करोड़ तक पहुंच गया था एवं अब उसी काम को पूरे 5 साल तक एक ही ठेकेदार को 88 करोड़ में देने की तैयारी चल रही है. मनपा प्रशासन के उक्त फैसले का विरोध करने के लिए ठेकेदार लामबंद हो रहे है. इस मामले को लेकर दर्जनों छोटे ठेकेदारों ने सोमवार से मनपा मुख्यालय के सामने अनशन शुरू किया है. गौरतलब है कि ऊक्त ठेके का उल्हासनगर विधायक कुमार आयलानी, कल्याण पुर्व के विधायक गणपत गायकवाड़, मुरबाड के विधायक किसन कथोरे भी ऊक्त ठेके का विरोध कर चुके हैं. वहीं मनसे, राकां भी मनपा के ऊक्त निर्णय के विरोध में है. इन सभी का कहना है कि यदि मनपा उक्त ठेका देने में सफल होती है तो इससे छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे. करीबन 15 हजार मजदूर बेरोजगार होने के डर से 150 ठेकेदारों द्वारा उल्हासनगर महानगरपालिका मुख्यालय के सामने 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया है.

10 करोड़ में पहले होने वाला था काम
88 करोड़ का ठेका अब देना चाहती है मनपा



5 साल का ठेका देने की जारी है प्रक्रिया

गौरतलब है कि उल्हासनगर जल वितरण विभाग द्वारा किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था को 5 साल तक का ठेका देने की प्रक्रिया शुरू है, जबकि सरकारी जीआर कहता है कि नियोजित कार्य का 33 प्रतिशत मजूर सहकारी संस्था, 33 प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार अभियंता और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को 34 फीसदी वर्क ऑर्डर दिया जाना चाहिए. मनपा मुख्यालय के खिलाफ अनशन पर बैठे अनशन कर्ताओं का कहना है कि इससे वाटर सप्लाई के 30 से 40 ठेकेदारों, शिक्षित बेरोजगार इंजीनियर और मजूर सहकारी संस्थाओं के कॉन्ट्रैक्टरों करीबन 150 ठेकेदारों की रोजी-रोटी पर गाज़ पड़ सकती है. ऐसा न हो.

खुद को आग लगाने वाले युवक की मौत

■ **नवी मुंबई, (का.प्र)** सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक द्वारा खुद को आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना में 60 प्रतिशत तक यह युवक झुलस गया था. जिसे उपचार के लिए वाशी स्थित मनपा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उपचार के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया. सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार मृतक का नाम महेश पांडे है. वह शराब का आदी था और मानसिक विकार से भी पीड़ित था. घणसोली गांव के म्हात्रे अली में वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. 38 साल का महेश पेंटिंग का काम करता था. वह किसी काम से सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास आया था, जहां पर उसने शराब के नशे में पेंट थिनर से खुद को आग लगा ली.

विवाहिता ने की आत्महत्या

नवी मुंबई,(का.प्र) सानपाड़ा के सेक्टर-5 में रहने वाली एक विवाहिता द्वारा खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. सानपाड़ा पुलिस ने मृतक विवाहिता के पति व सास के खिलाफ प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने बताया कि मृतक विवाहिता का नाम श्रद्धा सोनावले है, 28 साल की श्रद्धा अपने पति अनमोल सोनावले, 8 साल के बेटे कुशल और सास कल्पना सोनावले के साथ सानपाड़ा के सेक्टर-5 स्थित अप्पा कॉलोनी में रह रही थी. जब श्रद्धा और अनमोल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उनका रिश्ता विकसित हुआ. इसके बाद दोनों ने जनवरी 2014 में शादी कर ली. शादी के कुछ महीने बाद ही श्रद्धा का पति और सास उसे प्रताड़ित करने लगे.

643 बैनरों को मनपा ने हटाया

अवैध बैनर-पोस्टरों पर कार्रवाई

■ **कल्याण,** नवभारत न्यूज नेटवर्क. कल्याण-डोंबिवली मनपा के विभिन्न वार्डों में लगे 643 बैनरों को हटाने की कार्रवाई मनपा के संबंधित विभाग द्वारा की गई. यह कार्रवाई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितले के निर्देश पर की गई हैं. इसी के तहत मनपा के विभिन्न खंडों में शहर की बदहाली को बढ़ाने वाले बैनरों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. इसमें 3/सी वार्ड के सहायक आयुक्त संजय कुमावत ने कल्याण पश्चिम में बैल बाजार क्षेत्र, पत्रीपुल से गोविंदवाड़ी बायपास रोड से 93 छोटे-बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. उक्त अभियान के दौरान 2/बी वार्ड में 87 छोटे-बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. 4/जे वार्ड में 115 छोटे बड़े बैनर हटाए गए. 5/डी वार्ड में 70 छोटे-बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. 1/ए वार्ड में 49 छोटे-बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. 6/एफ वार्ड में 72 छोटे और बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. 10/ई वार्ड में 37 और 9/1 वार्ड में 120 छोटे-बड़े बैनर हटाने की कार्रवाई की. मनपा द्वारा अवैध बैनर/पोस्टर लगाने के मामले में 7 व्यावसायिक एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है.



12वीं मंजिल से कूदी महिला

■ **ठाणे,** नवभारत न्यूज नेटवर्क. मानसिक रूप से बीमार 49 साल महिला नीतू सिंघवी ने हीरानंदानी एस्टेट स्थित 12वीं मंजिल के फ्लैट से कूद कर आत्महत्या कर ली. कासरवाडवली पुलिस ने बताया कि इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. हीरानंदानी स्थित 'अस्त्र' सोसाइटी में रहने वाली नीतू मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिसका इलाज चल रहा था. वह ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी. बताया जाता है कि किन्हीं कारणों से उसका पति, बेटी और बेटा घर से दूर रह रहे थे. बेटा पुणे में और पति भावनगर में और 27 वर्षीय बेटी कांदिवली में नौकरी करती है और वहीं रहती है. 2 दिन पहले वह छुट्टियां मनाने आई थी. नाश्ते को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, इसके बाद महिला बालकनी में जाकर बेटी को छेड़ रही थी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया. जिसके दौरान वह बालकनी से नीचे कूद गई. पुलिस के अनुसार इस बात की जांच की जा रही है कि वह आत्महत्या करना चाहती थी या बेटी का मजाक उड़ाते हुए गिर गई. पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बच्ची का भी मानसिक इलाज भी चल रहा है.

वाहन चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे



ठाणे,(सं) ठाणे अपराध अन्वेषण विभाग के हफ्ता विरोधी दस्ते ने शातिर वाहन चोर मुनव्वर अब्दुल शेख को गिरफ्तार कर चुराई गई बाइक भी बरामद किया है. मिली जानकारी के अनुसार दस्ते के पुलिस हवलदार कल्याण ढोकणे को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि चुराई गई बाइक को राबोड़ी परिसर स्थित के विला के पास बेचने के लिए लाया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि उक्त सूचना के आधार पर हफ्ता विरोधी इकाई की टीम ने घेराबंदी कर दिया और जैसे ही आरोपी मुनव्वर आया हिरासत में ले लिया गया.

50 एमएलडी अतिरिक्त पानी की मांग

उल्हासनगर. नागपुर में जारी विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में मंगलवार को उल्हासनगर के विधायक कुमार आयलानी ने शहर के जलसंकट का मुद्दा उपस्थित किया व इसके समाधान के लिए 50 एमएलडी अतिरिक्त पानी का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की. ऊक्त विषय पर विधानसभा सदन में बोलते हुए विधायक आयलानी ने कहा कि साल 2005 से पानी का कोटा बढ़ाए जाने की मांग शहरवासी कर रहे है. शहर वासियों को पर्याप्त जलापूर्ति हो इसलिए कोटा बढ़ना ही चाहिए.

विधायक आयलानी द्वारा उठाए गए उक्त मुद्दे पर संबंधित महकमे के संबंधित मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2005 से सरकार के लंबित 50 एमएलडी वृद्धि के निर्णय, संबंधित विभाग के साथ लंबित समझौते और विभिन्न मुद्दों को लेकर मुंबई में मुख्यमंत्री कक्ष में जनप्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाएगी.

भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
(कृ.अनु.शि.वि., कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
एडेनवाला रोड, पोस्ट बैग नंबर -16640, माटुंगा (पूर्व), मुंबई - 400 019
आरकेवीवाइ-रफ्तार-एग्री बिजिनेस इन्क्यूबेटर (CIRCOT R-ABI)
(Agri Business Incubator under RKVY-RAFTAAR, MoA&FW, GoI)
ISO 9001:2015
भारतीय कृषि नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं!
सिरकॉट-आरकेवीवाइ-रफ्तार-एग्री बिजिनेस इन्क्यूबेटर द्वारा देश की कृषि उन्नति के लिये अनोखा विचार रखनेवाले छात्रों /नव उद्यमियों / स्टार्टअप्स से आयडिया प्री-स्टेज फंडिंग प्रोग्राम (उदय) तहत **रु. 5 लाख प्रति स्टार्टअप** योजना तथा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) के साथ सीड स्टेज फंडिंग प्रोग्राम (अंकुर) तहत **रु. 25 लाख प्रति स्टार्टअप** योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित हैं. चयनित आवेदकों द्वारा 2 माह का कृषि उद्यमिता ओरिएंटेशन कार्यक्रम (एओपी) सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चयनित नवप्रवर्तनशील आइडिया/प्रोटोटाइप/उत्पादन/प्रणाली के विकास हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी. **आवेदन करने की अंतिम तिथि: 25/02/2023**
अधिक जानकारी और आवेदन प्रस्तुत करने हेतु: www.circotrabi.com; Email: circotrabi@gmail.com
S/d
निदेशक

नवी मुंबई महानगरपालिका
जाहीर नोटीस सूचना क्र./वृक्ष प्रा./59/2022-2023
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम 1975 च्या महाराष्ट्र अधिनियमानुसार केलेल्या सुधारणा विचारात घेऊन अधिनियमाच्या कलम 8(3) अन्वये या नोटीसाव्दारे असे जाहीर करण्यात येते की,

अ. क्र.	अर्जदाराचे नांव व पत्ता	झाडाचा प्रकार	एकूण तोडणे	एकूण स्थलांतरीत	झाड तोडणे/स्थलांतरीत करावयाचे कारण
1	अध्यक्ष/सेक्रेटरी, मिलेनियम टॉवर डी-टाईप को. ऑप. हौ. सो., सेक्टर-09, सानपाडा, नवी मुंबई.	बदाम	0	1	सदरील झाड भुमिगत पाण्याची टाकी बांधण्याच्या बांधकामात अडथळा निर्माण करीत असल्याने एकुण 01 नग झाड तोडणे.

सदर प्रस्तावास वृक्ष स्थलांतरित करण्याची परवानगी देण्याचा वृक्ष प्राधिकरणाचा इरादा आहे. याबाबत नागरीकांच्या काही हरकती तसेच सदर वृक्षांवर पक्षांची घरटी असल्यास जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मृती भवन, भु.क्र.187, से.10, सानपाडा, नवी मुंबई या विभागास कळविणे. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती सूचनांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.
जाहीरात प्रसिध्दीचा दिनांक 28/ 12 /2022.
सही /-
(नितीन नार्वेकर)
उप आयुक्त (उद्यान) तथा वृक्ष प्राधिकरण
नवी मुंबई महानगरपालिका
जाक्र-नमुंमपा/जसं/जाहिरात/1132/2022

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका भिवंडी, जि. ठाणे
बांधकाम विभाग प्र.स.क्र.०२
ई-निविदा सूचना क्र. १८८/२०२२-२३
भिवंडी नि.शहर महानगरपालिकेच्या बांधकमा विभागा मार्फत खालील नमुद कामाचे निविदा फॉर्म **mahatenders.gov.in** या संकेतस्थळावर दिनांक २८/१२/२०२२ ते दि. ०४/०१/२०२३ पर्यत विक्रिस उपलब्ध आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्कम
१	भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघातील भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.२ मधिल रावजीनगर येथे मिस्कत मस्जिद जवळील जुने शौचालयाचे नुतनीकरण व सौंदर्यीकरण करणे	२१,९९,८७४/-
२	भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदार संघातील भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.२ मधिल फंडोलेनगरच्या समोर रावजीनगर येथे जुने शौचालयाचे नुतनीकरण व सौंदर्यीकरण करणे	१७,९९,८३३/-

वरील ऑनलाईन निविदा दि. ०४/०१/२०२३ पर्यत दुपारी ४.०० पर्यत स्विकारण्यांत येतील. तसेच सदरची निविदा ही दि.०५/०१/२०२३ रोजी संध्या. ४.०१ वाजता अथवा कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीप्रमाणे निविदा समिती समक्ष उघडण्यांत येईल अधिक माहिती महानगरपालिकेच्या उक्त नमुद संकेत स्थळावरुन प्राप्त होऊ शकेल अथवा नविन शायकीय इमारतीमधील ५ मजल्यावरील बांधकाम विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
सही/-
(सुनिल घुगे)
शहर अभियंता
भिवंडी नि.शहर महानगरपालिका

बँक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
हमारे महत्वपूर्ण ग्राहकों के ध्यानाकर्षण हेतु
हमारे ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के हमारे संकल्प के अनुसार अंबरनाथ पूर्व शाखा को नए जगह पर स्थानांतरण का प्रस्ताव करते हैं :

मौजूदा शाखा स्थान का पता विवरण	प्रस्तावित/नए स्थान का पता विवरण
बैंक ऑफ बड़ौदा अंबरनाथ पूर्व शाखा शॉप नंबर 1-2-3 और ऑफिस नंबर 1-2-3, गोदावरी हाइट्स, वडवली सेक्शन, दत्त मंदिर के पास, अंबरनाथ ईस्ट, ठाणे 421501	बैंक ऑफ बड़ौदा, अंबरनाथ पूर्व शाखा शॉप नंबर 2,3,4, नीरज सीएचएस वडवली सेक्शन, दत्त मंदिर के पास, अंबरनाथ पूर्व, ठाणे 421501

उपरोक्त शाखा को दिनांक **30.01.2023** से नए/प्रस्तावित परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह नए परिसर से सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय का कार्य करेगा और उन्हें पूरा करेगा।
हम **अंबरनाथ पूर्व शाखा** के सभी लॉकर धारक ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि प्रस्तावित परिसर में लॉकर को स्थानांतरित करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। हालांकि, यदि कोई ग्राहक, लॉकर सुविधा के साथ, स्थानांतरण से पहले सामग्री को अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप **27.01.2023** को या पहले लॉकर की सामग्री को वापस ले लें और **30.01.2023** को या उसके बाद लॉकर को प्रस्तावित स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद फिर से जमा करें।
किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया बेझिझक नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से शाखा से संपर्क करें- **ambeas@bankofbaroda.com**
इस संबंध में आपको हुई असुविधा के लिए हम ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और आपको हर समय हमारी सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हैं।
स्थान : मुंबई
दिनांक : २७/१२/२०२२
क्षेत्रीय प्रमुख
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई मेट्रो पूर्व क्षेत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in
आज़ादी का अमृत महोत्सव
निविदा सूचना
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ,01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने हेतु दो स्तर निविदा (तकनीकी निविदा और मूल्य निविदा) प्रणाली के अंतर्गत प्रतिष्ठित और अनुभवी ठेकेदारों से MSTC लिमिटेड की वेबसाइट (**https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi**) के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित निविदाएँ आमंत्रित करते हैं।
"भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार टकसाल, फोर्ट, मुंबई से मुंबई स्थित करेंसी चेस्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालय, अन्य केंद्रों आदि को वाहक के जोखिम पर सिक्कों का परिवहन"
विस्तृत निविदा सूचना और सामान्य अनुदेश सहित ई-निविदा MSTC लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi** पर और भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट **https://www.rbi.org.in** पर "Tenders" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।
आवेदन करने के इच्छुक निविदाकर्ता को ई – टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए MSTC लिमिटेड की वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
उपरोक्त कार्य/कार्यों के लिए बोली लगाने वाले निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव ई-टेंडरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों / अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण और सभी दस्तावेजों के साथ **दिनांक फ़रवरी 06, 2023 को अपराह्न 02:00 बजे** तक प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकार/ अस्वीकार कर दे अथवा ई-निविदा को रद्द कर दे। निविदा दस्तावेजों/शर्तों में किया गया कोई भी परिवर्तन/ परिवर्धन/विलोपन केवल बैंक के वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।
मुंबई **क्षेत्रीय निदेशक**
"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
सेबी भवन–।।, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051
चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (28ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालाँकि, माँग नोटिस चूककर्ताओं को सारणी में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकीं :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/ सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वूसली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK1906 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिप्से' सहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, शुभधा बिल्डिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंडकॉन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 63/69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 6, मुंबई–400003; (2) जुकासो हाउस, जुकासो सिल्क मिल्स कंपाउंड, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	क्लासिक प्रेस (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, वकील इंडस्ट्रियल एस्टेट, वालभट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) सिद्धिविनायक सेवा सोसाइटी, दलित मजदूर पंथी, वसारी हिल, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई – 400062	3836	17.06.2021
4	गुडअर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056850	डोंगरे बंग्लो 5, अमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2262Q	(1) दुकान 109, पहली मंजिल, डिंपल आर्केड परिसर सीएचएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, रहेजा चेम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनेक्स डिंपल आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (5) शॉप नंबर 117, पहली मंजिल, वी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई दृ 400101; (6) 130, पहली मंजिल, वी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	तेजूमल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महात्मा नगर, गोलिबार रोड, सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	राजेंद्र माइनिंग स्पेयर्स कंपनी लिमिटेड	L99999MH1981 PLC024603	(1) 105, बाजसन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400069; (2) ए/9, रचना अपार्टमेंट, वीपी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया लीजिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032698	(1) साधना रेयन हाउस, डॉ. डी.एन. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोडिवाले कलंब रोड, वाया – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	29.09.2022
9	डायनावोक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC028616	(1) 115, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, ग्लैक्सो के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	6082	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी **12 जनवरी, 2023** तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या **recoveryho1@sebi.gov.in** पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।
तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई
सृष्टी आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

मुट्ठीभर सैनिक हजारों पर भारी

कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में गरजे उद्धव, कहा, पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करें

■ **नागपुर, नगर प्रतिनिधि.** शीत सत्र अधिवेशन के लिए सिटी आये पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के सरकारी कॉटेज 22 में आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि लड़ाई के लिए अधिक नहीं, वीर सैनिकों की जरूरत होती है. मुट्ठीभर सैनिक हजारों धोखेबाज सैनिकों पर भारी पड़ते हैं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हमारे साथ रहते हुए उनके (शिंदे गुट व भाजपा) सपने देखने है तो अभी चले जाओ.

शिवसेना एक विचार है

लोग हर दिन पेड़ से फूल तोड़ते हैं लेकिन अगले ही दिन उसी पेड़ पर फिर फूल उग जाते हैं. शिवसेना के साथ क्या हुआ, यह आप सभी को पता है लेकिन जो इस पेड़ को दोबारा बढ़ाना चाहते हैं वे आज भी मेरे साथ हैं. मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बैठक में आयेंगे. साफ है कि अब मशाल जल चुकी है और अब धोखेबाजों को इस मशाल की आग में जलाना है. शिवसेना एक विचार है. हमारे पास धोखेबाजों की शिवसेना नहीं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले 2 से 3 महीनों में मनपा चुनाव है. पंचायत चुनाव अभी हुए और आगे भी ऐसे कई चुनाव है. जिस मजबूती से आप अब भी पार्टी से जुड़े हुए हैं. हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करना है.

अपनों ने ही किया पीठ पर वार

मेरी पीठ पर अपनों ने ही वार किया, राजनीतिक विरोधियों ने नहीं. आधी रोटी होने के बाद भी किसी को देना संस्कृति है लेकिन किसी के पास बची आधी रोटी भी छीन लेना विकृति है. हर संकट एक अवसर होता है. असली शिवसैनिक मेरे साथ है. मुझे और क्या चाहिए. बालासाहब को कहा जाता था कि उद्धव शिवसेना को समाप्त कर देगा लेकिन आप जैसे कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया.

-उद्धव ठाकरे

मेरी नहीं, बालासाहब के नाम की कीमत

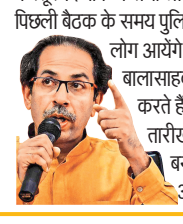
उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी नहीं, बालासाहब के नाम कीमत है. उन्होंने पार्टी का नाम, चिह्न और बालासाहब की फोटो चोरी कर लिया. चोरी वह करते हैं जो कमाने की ताकत नहीं रखते. शिवसेना को झटके सहने की आदत है. मेरे ऊपर आरोप लगाये गये कि हमने चुनाव में मोदी की फोटो के सहारे ही पिछले चुनाव में इतनी सीटें लाई थीं. मैं कहना चाहता हूं कि क्या मोदी का चेहरा इतना जरूरी है. यदि ऐसा है तो फिर हमारे विरोधी लोग (भाजपा-शिंदे गुट सरकार) बालासाहब की फोटो क्यों उपयोग किया जा रहा है. हर जगह मोदी की ही फोटो लगा लो न. मैंने बालासाहब की जो फोटो खींची थी, वहीं फोटो आज विरोधी अपने बैनर और होर्डिंग पर उपयोग कर रहे हैं.

हर दिन फूट रहे बम

उन्होंने कहा कि इन दिनों कर्नाटक चुनाव है तो सीमा विवाद के साथ महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. गुजरात चुनाव थे तो यहां के प्रोजेक्ट वहां ले गये. हमें अपना ही वोट देखने को नहीं मिलता. इस सरकार के हर दिन नये घोटाले सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बम नहीं फोड़ रहे. हर दिन तो बम फूट रहे हैं.

KP में लेनी है सभा

उन्होंने कहा कि आज की बैठक उम्मीद से भी बड़ी है. पिछली बार मैंने कस्तूरचंद पार्क में सभा ली थी. नागपुर में एक बार फिर वैसी लेनी है. पिछली बैठक के समय पुलिस आयुक्त ने कहा था कि 8,000 से 10,000 लोग आयेंगे. इस बात में संशय था. मैंने कहा कि मैं बालासाहब का बेटा हूं. हम जो करते हैं सीना ठोककर करते हैं. जल्द ही मैं कार्यकर्ताओं को केपी में सभा की तारीख भी बता दूंगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं के निष्ठावान बने रहने के लिए नितिन देशमुख, कैलाश पाटिल और संजय राऊत का उदाहरण दिया.



वणी तहसील में फिर से बाघ की दहशत

■ **वणी (सं.).** निलजई के वेकोली खदान में ड्यूटी के दौरान एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया. यह घटना मंगलवार की शाम 6 बजे के बीच हुई. बाघ के हमले में वेकोलि का एक कर्मचारी घायल हो गया है. घायल का नाम केशव नंदे (56) निवासी है. वासेकर का ठिकाना वणी है. उसे इलाज के लिए पहले घुग्गस और फिर चंद्रपुर रेफर किया गया है. केशव नंदे कोयला खदान, निलजई ओपन कास्ट 2, वेकोली में फिटर के पद पर तैनात हैं. मंगलवार को उनकी दूसरी शिफ्ट (सोमवार 4 से शनिवार 12) थी. शाम करीब 6 बजे वह अपने साथियों के साथ पार्किंग एरिया में काम करने में व्यस्त थे. इस दौरान बाघ ने उन पर पीछे से हमला कर दिया. हमला होते ही अन्य कर्मचारी चिल्लाए तो बाघ भाग गया. बाघ का बंदोबस्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है.

महाराष्ट्र शासन

जागतिक बैंक प्रकल्प विभाग, अकोला

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सुचना 14/2022-23

जावक क्रमांक 4646/ ईनिसु-14/ निलि/2022 / दिनांक 21.12.2022

कार्यकारी अभियंता जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, अकोला (दुरध्वनी क्रमांक 0724-2436995) e-mail- wbakola.ee@mahapwd.com या महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडुन सक्षम कंत्राटदाराकडुन खालील कामाकरीता ब-1 नमुन्यातील निविदा, काम क्र.1 ते 4 ई निविदा प्रणालीव्दारे (ऑनलाईन)मागविण्यात येत आहे. निविदेतील अटी व शर्ती यांची पुर्तता करतील, असे सक्षम कंत्राटदार तसेच अंतरराष्ट्रीय कंपनी यांची उप कंपनी भारतिय असल्यास निविदे स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकेल. काम क्रं. 5 ते. 6 करीता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सक्षम नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून खालील कामांकरीता ब-1नमुन्यातील निविदा ई निविदा प्रणालीद्वारे अटी व शर्ती च्या आधीन राहुन सहभाग नोंदवु शकतील. ई निविदा संकेतस्थळ http://mahatenders.gov.in येथुन डाऊनलोड करण्यात यावी. तसेच निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांनी राखुन ठेवला आहे. अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत
1	अकोला जिल्ह्यातील कालवाडी वरुड जऊळका कावसा रेल धारेल रस्त्यावरील किमी 3/200 ते 13/000 ची सुधारणा करणे. प्रजिमा 5ता. अकोट जि. अकोला	64389363
2	अकोला जिल्ह्यातील कुटासा कावसा तरोडा रस्त्यावरील किमी 0/00 ते 9/200 ची सुधारणा करणे. प्रजिमा- 6 ता. अकोट जि. अकोला	64350913
3	अकोला जिल्ह्यातील सावरा- कवठा पुंडा-बांबर्डा-कुटासा- दहिहांडा रस्ता प्रजिमा-04 रस्त्यावरील कि.मी. 20/000 ते 25/000 ची सुधारणा करणे. ता. अकोट जि. अकोला	27140442
4	अकोला जिल्ह्यातील मोहाडा अंबोडा रुईखेड खिरकुंड रस्ता प्रजिमा 3 किमी 11/500 ते 18/00 ची सुधारणा करणे. ता. अकोट	24590196
5	अकोला जिल्ह्यातील सावरा-कवठा- पुंडा-बांबर्डा-कुटासा दहिहांडा रस्ता प्रजिमा-04 वर कि.मी. 26/400 बांबर्डा गावाजवळ लहान पूल कम बंधारा बांधकाम करणे. ता. अकोट जि. अकोला	14788865
6	अकोला जिल्ह्यातील कालवाडी वरुड जऊळका कावसा रेल धारेल रस्त्यावरील किमी 20/600 लहान पुलाचे बांधकाम करणे. प्रजिमा 5 ता. अकोट जि. अकोला	12041380

1. सर्व पात्र/इच्छुक निविदाकारांनी निविदा डाऊनलोड करण्यासाठी व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी ई निविदा प्रणालीच्या https://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे
2. ई-निविदा काम क्रं.1 ते 4 ई-निविदा दि. 28.12.2022 रोजी 10.00 पासुन दि. 11.01.2023 रोजी 18.00 वाजे पर्यंत व ई - निविदा काम क्रं. 5 ते 6 ई- निविदा दि. 28.12.2022 रोजी 10.00 पासुन दि. 04.01.2023 रोजी 18.00 वाजे पर्यंत डाऊनलोड व हॅश सबमीशन करता येतील. ई निविदा 1 ते 4 ची ई-निविदा उघडण्याची दिनांक 13.01.2023 व ई निविदा 5 ते 6 ची ई- निविदा उघडण्याची दिनांक 06.01.2023 (पुढील ई निविदा विषयक कार्यक्रम ऑनलाईन प्रमाणे).
3. काम क्रं. 1 ते 3 कामाची निविदा पूर्व बैठक दिनांक 04.01.2023 रोजी वेळ 12.00 वा. मा. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक अमरावती येथे आयोजित करण्यात येईल.
4. काम क्र. 4 कामाची निविदा पूर्व बैठक दिनांक 05.01.2023 रोजी वेळ 12.00 वा. मा. अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ अकोला येथे आयोजित करण्यात येईल.
5. वरील कामांचे शुध्दीपत्रक आवश्यक असल्यास वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्द न करता फक्त ऑनलाईन संकेतस्थळ https:/mahatenders.gov.in वर अद्यावत करण्यात येईल
6. खालील संकेत स्थळावरुन ई-निविदाची सर्व माहिती उपलब्ध राहिल.
   1. http://mahapwd.com
   2. http://mahatenders.gov.in
   3. निविदा सूचना फलक, कार्यालय कार्यकारी अभियंता, जागतिक बैंक प्रकल्प विभाग, अकोला
7. इतर अटी व शर्ती ई निविदा नमुन्यामध्ये उपलब्ध आहेत. कोणत्याही किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न सांगता अस्विकृत करण्यांचे सर्व अधिकार सक्षम प्राधिकरणाकडे राखून ठेवण्यात आले आहे.
8. ऑनलाईन वेळापत्रक लागू व अंतिम राहील

(प्रविण सरनायक)
कार्यकारी अभियंता
जागतिक बैंक प्रकल्प विभाग, अकोला

DGIPR/2022-23/5000

4 से जिला कृषि महोत्सव

■ **नागपुर, महानगर संवाददाता.** किसानों से सीधे ग्राहक तक चावल पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकल्प संचालक व कृषि विभाग की ओर से जिला कृषि महोत्सव के अंतर्ग धान्य महोत्सव का आयोजन कृषि महाविद्यालय हॉस्टल, रामदासपेठ में 4 से 8 जनवरी तक किया गया है. इसके साथ ही संतरा महोत्सव भी होगा. महोत्सव में भिवापुर मिर्ची पाउडर, सेंद्रिय चावल, हल्दी व अन्य सेंद्रिय अनाज बिक्री के लिए उपलबध रहेगा. विविध महिला गटों द्वारा तैयार पदार्थ जैसे अचार, पापड़, कच्चे घानी का तेल, फल, विदेशी सब्जियां भी मिलेगी. अधिक जानकारी के लिए प्रभाकर शिवणकर- 9422133744, अमित डोंगर- 8623059219 प्रकल्प संचालक (आत्मा), जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

दिन निकलते ही घर में लगाई सेंध

■ **नागपुर, कार्यालय प्रतिनिधि.** कोराडी थाना क्षेत्र में 3 चोरों ने दिन निकलते ही एक मकान में सेंध लगाकर 4 लाख रुपये के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया. पुलिस ने ढोके लेआउट, बोखारा निवासी प्रभाकर रघुनाथ मोरे (65) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है.

82,000 करोड़ का नदी जोड़ो प्रकल्प

विदर्भ के लिए संजीवनी, विस में फडणवीस ने की घोषणा

■ **नागपुर, नगर संवाददाता.** विदर्भ में प्रस्तावित 'वैनगंगा से लेकर नलगंगा' जैसा एकमात्र नदी जोड़ों प्रकल्प को पूरा करने की मांग को लेकर मंगलवार को विधायक श्वेता महाले ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा. चर्चा का जवाब देते हुए जलसंपदा मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि नदी जोड़ों प्रकल्प विदर्भ के लिए संजीवनी का प्रकल्प है. जिस पर 82 हजार करोड़ खर्च होने है. भले ही केंद्र सरकार इसके लिए एक पैसा ना दे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसे पूरा करने की मंशा रखती है. उन्होंने कहा कि कुल 5.71 लाख हेक्टेयर का यह प्रकल्प है. जिसमें 426 किलोमीटर का टनल होगा. चर्चा के दौरान विधायक महाले ने कहा कि नलगंगा तक के इस प्रकल्प को सरकार क्या पैनगंगा तक ले जा सकेगी?. जिससे इसका लाभ बुलढ़ाना तक के लोगों को भी मिल सकेगा. प्रकल्प पर कबतक अमल होगा. इसकी जानकारी भी सदन को देने की मांग उन्होंने की.



5.71 लाख हेक्टेयर का प्रकल्प

426 किलोमीटर की होगी टनल

■ **निधि जमा करने का भी प्लान :** फडणवीस ने कहा कि 82 हजार करोड़ की लागत में भले ही केंद्र सरकार से मदद ना मिले, लेकिन निधि जमा करने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है. नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेन्सी से मंजूरी लेने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. चर्चा के दौरान विधायक राजेन्द्र शिंगने ने कहा कि बुलढाना के 38,231 हेक्टयर को इसका लाभ होने का जवाब सरकार को दिया जा रहा है. लेकिन चूंकि प्रस्ताव में बुलढाना को अंतिम छोर बताया गया है, अतः हमेशा की तरह अंतिम छोर को कम पानी मिलने की संभावना बनी रहेगी. ऐसे में जमीन जाने के बाद भी बुलढाना को कुछ नहीं मिलेगा. इसी तरह से जिन किसानों की भूमि प्रकल्प में जाएगी, उसे समृद्धि महामार्ग की तर्ज पर 5 गुना मुआवजा देने की मांग भी की. चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि मुआवजे को लेकर सरकार नीति तैयार कर रही है. जो पूरे राज्य में एक तरह से लागू रहेगी. चूंकि अधिकांश हिस्सा टनल से होगा. अतः अधिक जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगा.

सूखाग्रस्त विदर्भ के लिए वरदान : जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि नदी जोड़ों प्रकल्प का प्लान पूरा तैयार हो चूका है. नागपुर, वर्धा, यवतमाल, बुलढाना आदि को इसका अधिक लाभ होगा. यहां तक कि अब वाशिम को भी प्रकल्प में शामिल करने के कारण बुलढाना तक के लोगों को इसका लाभ होगा. नदी जोड़ों प्रकल्प के माध्यम से पानी को ऊंचाईवाले पाईंट तक लिफ्ट कर पानी ले जाने का प्रयास है. इस प्रकल्प का लाभ पूरे विदर्भ को होगा. प्रकल्प की कुल 5.71 हेक्टेयर भूमि में पश्चिम विदर्भ की 65 प्रतिशत भूमि शामिल है. जबकि पूर्वी विदर्भ की 35 प्रतिशत भूमि होगी. विदर्भ में इन दिनों अधिक बारिश हो रही है. जब पानी अधिक होगा, तो परभणी और हिंगोली तक पानी ले जाया जा सकेगा.

भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
(कृ.अनु.शि.वि., कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)
एडेनवाला रोड, पोस्ट बैग नंबर -16640, माटुंगा (पूर्व), मुंबई - 400 019
ISO 9001:2015
आरकेवीवाइ-रफ्तार-एग्री बिजिनेस इन्क्यूबेटर (CIRCOT R-ABI)
(Agri Business Incubator under RKVY-RAFTAAR, MoA&FW, GoI)
भारतीय कृषि नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं!

सिरकॉट-आरकेवीवाइ-रफ्तार-एग्री बिजिनेस इन्क्यूबेटर द्वारा देश की कृषि उन्नति के लिये अनोखा विचार रखनेवाले छात्रों /नव उद्यमियों / स्टार्टअप्स से आयडिया प्री-स्टेज फंडिंग प्रोग्राम (उदय) तहत **रु. 5 लाख प्रति स्टार्टअप** योजना तथा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) के साथ सीड स्टेज फंडिंग प्रोग्राम (अंकुर) तहत **रु. 25 लाख प्रति स्टार्टअप** योजना के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित हैं. चयनित आवेदकों द्वारा 2 माह का कृषि उद्यमिता ओरिएंटेशन कार्यक्रम (एओपी) सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चयनित नवप्रवर्तनशील आइडिया/प्रोटोटाइप/उत्पादन/प्रणाली के विकास हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी. **आवेदन करने की अंतिम तिथि: 25/02/2023**
अधिक जानकारी और आवेदन प्रस्तुत करने हेतु: www.circotrabi.com; Email: circotrabi@gmail.com

S/d
निदेशक

सुब्रमण्यम के ट्वीट पर विप में बवाल

CM ने हड़काया, मिटकरी व शिंदे ने मांगी माफी, शांत हुआ सत्तापक्ष

■ **नागपुर, निज संवाददाता.** पंढरपुर धार्मिक स्थल के वाराणसी की तर्ज पर बनाये गए डीपीआर पंढरपुर कारिडोर का स्थानीय लोगों द्वारा किये जा रहे विरोध, पुरातत्व धरोहरों को बचाने, पुराने मंदिरों के संरक्षण आदि के संदर्भ में विधान परिषद सदस्य अमोल मिटकरी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से उसकी भूमिका स्पष्ट करने की मांग रखी.

इसी दौरान उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा किये गए ट्विट को पढ़ना शुरू किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 'मोदी लाइक रावण' कहा है. जैसे ही उन्होंने ट्विट पढ़ने की शुरूआत की तो सत्ताधारी पक्ष ने विरोध में हंगामा शुरू कर दिया. उनका कहना था कि केवल ध्यानाकर्षण के अपने प्रस्ताव पर ही बात करें. इस पर विरोधी पक्ष की ओर से भी बवाल शुरू हो गया. सत्तापक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के अपमान सहन नहीं किये जाने की बात करते हुए मिटकरी से माफी मांगने की मांग की. दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए. हंगामा के चलते सभापति नीलम गोर्हे ने 5 मिनट के लिए सभा स्थगित कर दी. सभा दोबारा शुरू होते ही सभापति ने मिटकरी से केवल प्रस्ताव रखने को कहा, लेकिन सत्तापक्ष द्वारा माफी मांगने की मांग फिर शुरू कर दी गई. सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मिटकरी को फटकार लगाई.

उन्होंने कहा कि आप जो बोलते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने से पहले अपनी हैसियत और उनकी हैसियत भी देख लेनी चाहिए. वे देश के गौरव हैं. उनके नेतृत्व में जी-20 का नेतृत्व करने का मौका मिला है. आपका वक्तव्य निंदाजनक है. एकनाथ खडसे ने मिटकरी का बचाव करने का प्रयास करते हुए कहा कि, यह मिटकरी का विचार नहीं है, सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भाजप के हैं उन्हें संभालो. इस पर सीएम ने कहा कि आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और ऐसे वक्तव्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए. पीएम पर टिप्पणी हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे.

व्यक्त करना पड़ा खेद

भारी विरोध के चलते विपक्षी सदस्य शशिकांत शिंदे ने मिटकरी की ओर से दिलगिरी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं. सभापति ने मिटकरी के वक्तव्य को पटल से हटाने के निर्देश दिये. उसके बाद भी सत्तापक्ष सदस्यों ने मिटकरी से माफी मांगने की मांग की. तब मिटकरी ने भी खेद व्यक्त किया. तब कहीं मामला शांत हुआ. सीएम ने अपने जवाब में बताया कि पंढरपुर कारिडोर विकास के लिए वहां के वारकरी समाज, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही कार्य किया जाएगा. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा इसके लिए अधिकारियों के निर्देश दिये हैं. मैं स्वयं इस संदर्भ में दोबारा वहां जाकर बैठक लूंगा. किसी भी पुरातात्विक धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा. वाराणसी की तर्ज पर सारी सुविधा उपलब्ध की जाएगी. पंढरपुर लाखों लोगों का श्रद्धा स्थान है. सभापति नीलम गोर्हे ने पुणे में इस संदर्भ में सभी पक्षों और अधिकारियों के साथ बैठक लेने के निर्देश दिये ताकि सारे चित्र स्पष्ट हो सकें.

देसाई का बंगला अवैध, विपक्ष का हंगामा

सामंत-राठौड़ रडार पर

■ **नागपुर, नवभारत टीम.** शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल मंत्रियों के कथित घोटाले को लेकर विपक्ष पूरी हमलावर हो गया है. सीएम एकनाथ शिंदे व कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के बाद अब एक और कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ जमीन घोटाले को लेकर विपक्ष के रडार पर आ गए हैं. वहीं विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने कैबिनेट मंत्री उदय सामंत पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है. नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को विपक्ष ने गायरान जमीन घोटाले को लेकर मंत्री राठौड़ को भी घेरा. आघाड़ी सदस्यों का आरोप है कि 29 जुलाई 2019 को फडणवीस सरकार में राज्यमंत्री रहते हुए राठौड़ ने एक निजी डेवलपर को जमीन दी थी. विपक्ष ने अब शिंदे व सत्तार के बाद राठौड़ से भी इस्तीफे की मांग की है. इससे पहले महाविकास आघाडी के सदस्यों ने नागपुर जमीन घोटाले को लेकर सीएम शिंदे पर जोरदार हमला बोला था. उसके बाद गायरान जमीन घोटाले को लेकर मंत्री सत्तार विपक्ष के निशाने पर हैं. वहीं अब राठौड़ भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं.

शक्तियों का किया दुरुपयोग

जब राठौड़ राजस्व राज्य मंत्री थे, तब उन्होंने सावरगांव के एक व्यक्ति को गायरान की जमीन दी थी. विपक्ष का आरोप है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर राठौड़ ने अवैध रूप से यह आदेश जारी किया था.



मंत्री देसाई भी फंसे

विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई पर भी अवैध रूप से महाबलेश्वर में बंगला बनाने का आरोप लगाया है. आघाडी सदस्यों का आरोप है कि देसाई ने महाबलेश्वर के नवली में कृषि भूमि पर अवैध निर्माण करवाया है. आघाडी के विधायकों ने मंगलवार की सतार, राठौड़ और शंभूराजे देसाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

ई-निविदा सूचना क्र. 14/2022-23

एक विकास कार्य हेतु पात्रता मानदंड के अनुसार ना.म.प्र.वि.प्रा./ना.सु.प्र./पी.डब्ल्यू.डी./एन.एम.सी. या अन्य सरकारी विभाग गैर-पंजीकृत/पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रित कि जा रही है। कार्यों का विवरण निविदा वेबसाइट अर्थात www.mahatenders.gov.in पर अपलोड किया गया है।

निविदा प्रक्रिया की अनुसूची :-

निविदा प्रपत्रों की बिक्री	दि. **28.12.2022** को दो. 2.00 बजे से दि. **11.01.2023** को दो. 2.00 बजे तक
बोली की प्राप्ति/जमा	दि. **28.12.2022** को दो. 2.00 बजे से दि. **11.01.2023** को दो. 2.00 बजे तक
तकनीकी बोली खुलना	दि. **12.01.2023** को दो. 2.00 बजे अथवा ना.सु.प्र. के निर्णयानुसार

टिप : विस्तृत निविदा सूचना निविदा वेबसाइट www.mahatenders.gov.in, ना.म.प्र.वि.प्रा. की वेबसाइट www.nitnagpur.org.in और ना.म.प्र.वि.प्रा. के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध होगी।

-स्वा.-
अधिक्षक अभियंता
नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

जाहिरात क्र. एस.ई.(ना.म.प्र.वि.प्रा.)/20/2022-23
दिनांक : 27.12.2022

बचे उम्मीदवारों के लिए अधिसंख्य पदों की निर्मिति : फडणवीस

MPSC : मराठा आरक्षण पीड़ितों को भी न्याय

■ **नागपुर, नगर संवाददाता.** मराठा आरक्षण कानून रद्द होने के कारण एमपीएससी के उम्मीदवारों को आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वर्ग से नियुक्ति दी. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद अधिसंख्य पदों की निर्मिती की है. अब बचे उम्मीदवारों के लिए भी अधिसंख्य पदों की निर्मित करने की जानकारी प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधानसभा में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने दी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के माध्यम से अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा वर्ष 2019 में चयन किया गया था. इन उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे ने प्रश्नोत्तर काल में मामला उठाया. जिसका जवाब देते हुए फडणवीस ने उक्त जानकारी सदन में रखी.

सरकार की पैरवी करेगा सीनियर वकील

■ उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण कानून होने के बाद राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नियमों के अनुसार नियुक्तियां दीं. इसी दौरान कानून रद्द हो गया. जिससे चयनित प्रत्याशियों की नियुक्तियां होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने इसे मैट में चुनौती दी.

■ इस मामले में किसी पर अन्याय न हो, यह सरकार की भूमिका है. यहीं कारण है कि इस मामले में पैरवी के लिए किसी सीनियर वकील को लगाया जाएगा. साथ ही अधिसंख्य पद निर्मित कर उन्हें नौकरी में शामिल किया जाएगा.

■ चर्चा के दौरान विधायक मुंडे ने कहा कि गत समय भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा था. सरकार ने एक माह के भीतर इस मसले का हल निकालने का आश्वासन दिया था, किंतु अब तक समस्या ज्यों की त्यों बनी है.



94 अभ्यार्थियों की बची हैं नियुक्तियां

चर्चा के बाद फडणवीस ने कहा कि 111 उम्मीदवार न्यायालय में गए थे. जिससे सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत 17 लोगों की नियुक्तियों को हरी झंडी दी थी. कुछ अभ्यार्थी मैट में जाने की वजह से 94 उम्मीदवारों की नियुक्तियां अटक गईं. एसईबीसी में से ईडब्ल्यूएस में कैसे नियुक्तियां दी जाएं यह समस्या है. चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि 4 जनवरी को मैट में अंतिम सुनवाई होगी. यदि सरकार हार जाए तो मराठा उम्मीदवारों पर अन्याय होगा. जिससे पैरवी के लिए सीनियर वकील की नियुक्ति होनी चाहिए. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को ईडब्ल्यूएस के अलावा 1,032 लोगों को नियुक्तियां दी हैं.

परब के आरोप पर भड़के मंत्री शंभुराज

कहा, मेरी जमीन पूरी तरह से वैध

■ **नागपुर, नगर प्रतिनिधि.** राज्य उत्पादन शुल्क व परिवहन मंत्री शंभुराज देसाई ने शिवसेना के उद्धव गुट के विधायक अनिल परब द्वारा महाबलेश्वर में जमीन खरीद के आरोप पर जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि मैंने यह जमीन विधायक बनने से पहले खरीदी थी और नियमानुसार 8-अ के तहत कर शुल्क भरता हूं. साथ की जमीन पर बना घर खरीदी से पहले ही बना हुआ था. मेरा कोई अवैध रिसोर्ट नहीं जिसे तोड़ने के लिए कोर्ट को आदेश देना पड़े.



... नहीं तो कानूनी कार्यवाही करूंगा : शंभुराज ने कहा कि उन्हें पता चला है कि परब ने नवली तहसील के महाबलेश्वर में मेरी जमीन पर सवाल उठाये हैं. मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2004 में विधायक बना था, जबकि यह जमीन 2003 में खरीदी थी. जमीन पर घर पहले से बना था. 7/12 में मेरा नाम चढ़ा है और मैं 8-अ के तहत सारे कर शुल्क भी भरता हूं. यदि मेरी इस खरीदी में कोई भी खामी नजर आती है तो मैं हर जांच को तैयार हूं. मैं परब को सलाह दूंगा कि जिस किसी ने भी उन्हें मेरी इस जमीन के बारे जानकारी दी है, पहले उस जानकारी की सत्यता जांच लेनी थी. किसी कानूनी कार्यवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं एक बार परब को माफी मांगने का मौका दूंगा. यदि उन्होंने आरोप वापस नहीं लिए तो निश्चित ही कानूनी कार्यवाही करूंगा.

दर्द अब भी कायम है

महाविकास आघाड़ी द्वारा हर दिन किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने कहा कि 5-6 महीने पहले हमने को सरकार पलटकर दिखाई, उन्हें उसका दर्द आज भी हो रहा है. संजय राऊत के बम वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यदि बम की बाती ज्यादा देर खुली रख दी जाए तो ठंड के दिनों में नमी के कारण बेकार हो जाती है. और बम नहीं फटता. ज्ञात हो कि एक दिन पहले संजय राऊत ने एक फोटो ट्विट किया था. इसमें एक जलती हुई अगरबत्ती से सुतली बम बंधा हुआ था. शंभुराज के इस बयान को इसी ट्विट का जवाब माना जा रहा है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
सेबी भवन-।।, सी-7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (28ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालाँकि, माँग नोटिस चूककर्ताओं को सारणी में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकीं :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वूसली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK1906 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिप्से' सहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, शुभधा बिल्डिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंडकॉन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 63/69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 6, मुंबई–400003; (2) जुकासो हाउस, जुकासो सिल्क मिल्स कंपाउंड, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072

टूटी सड़कों पर विधायकों ने दुष्यंत को घेरा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी सड़कों को लेकर विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधायकों ने सरकार की घेराबंदी की। सड़कों के जर्जर होने की वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। प्रश्नकाल ही नहीं, शून्यकाल में भी टूटी सड़कों का मामला गरमाया रहा। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की टूटी सड़कें ठीक नहीं होने पर आपत्ति दर्ज कराई। स्वयं स्पीकर ज्ञा. ज्ञानचंद गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र पंचकूला में सड़कों की बदहाली पर नाराज दिखाई दिए।



दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा सड़कों के जर्जर होने की वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। प्रश्नकाल ही नहीं, शून्यकाल में भी टूटी सड़कों का मामला गरमाया रहा।

सड़कों के मामले में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के सुर एक जैसे दिखे। इसराना से कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि ने अपने हलके की सड़कों का मुद्दा उठाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि उनके हलके की कुछ सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। मार्च तक काम शुरू हो जाएगा।

बच्चों की छात्रवृत्ति पर किरण और गीता ने शिक्षा मंत्री को घेरा

कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने स्कालरशिप के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला किया। किरण ने कहा कि करीब 18 रुपये का घोटाला स्कालरशिप में हुआ है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है। स्थिति यह है कि हरियाणा के बच्चों का पैसा दूसरे राज्यों के बच्चों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभागों की बजाय एससी विभाग से ही यह पैसा जारी होना चाहिए। वहीं पलवल गुर्जर ने कहा कि उनसे शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। शेष 11,218 को छात्रवृत्ति का भुगतान उनकी निजी कारणों से अभी तक नहीं हो पाया। पीटल पर पा ते ा गलत आधार जमा किया है या उनका आधार नंबर बैंक खातों से नहीं जोड़ा गया है।

आठ साल बाद बना अनुसूचित जाति आयोग, पूर्व विधायक रवींद्र बलियाला बने चेयरमैन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सरकार ने करीब आठ साल के लंबे अंतराल के बाद राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया है। मुलाना के कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने मंगलवार को बिधानसभा में आयोग का गठन नहीं होने पर सवाल लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांग हुआ था। इस सवाल के बिधानसभा में आने से पहले सोमवार देर रात को अधिसूचना जारी कर सरकार ने आयोग का गठन कर इसके चेयरमैन व सदस्यों के नाम घोषित कर दिए हैं। रतिय के विधायक रह चुके रवींद्र बलियाला को चेयरमैन बनाया गया है। भिवानी निवासी विजय बहुगुजर को आयोग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कैथल के गुहला से रंधे तारावाली, सोनीपत की मीना नरवाल, सिरसा के सतन लाल बामनिया को सदस्य मनोनीत किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने इसकी कालम अधिसूचना जारी की है।

पोर्टल पर चल रही सरकार, मंत्रियों की नहीं कोई जरूरत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की आलनाइन किए जाने पर मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरा। अपने विधायकों का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ती मनोहर सरकार को पोर्टल सरकार की संज्ञा तक दे डाली और कहा कि सारे विभाग जब आनलाइन हो गए हैं तो मंत्रियों की अब कोई जरूरत नहीं है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल ग्राम दर्शन तथा ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किए थे। इस पोर्टल पर उनके हलके के लोगों ने 253 बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। पोर्टल में मन की बात का कालम बनाया गया है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है।

पंचायतों के वित्तीय अधिकार और ई-टेंडरिंग पर हंगामा

अक्षुण्ण अग्रवाल • पंचकूला

- धोखाधड़ी ने की योजनाओं की सस्ती सीमा दो लाख से बढ़ाकर दोबारा 20 लाख करने की मांग
- नेजोवि विधायक जोगी राम सिहाग ने अपने ही मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ खोल दी खाता गांठों

पंचायतों के अधिकार बहाल किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नए चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने और ई-टेंडरिंग के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू तथा पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली आमने-सामने हो गए। देवेंद्र बबली ने सरकार का पक्ष रखते हुए साफ किया कि बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई-टेंडरिंग के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखेंगे। देवेंद्र बबली पंचायत चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकतर कार्यक्रमों में उन्हें जनप्रतिनिधियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों के प्रति गलत व्यवहार देवेंद्र बबली को कठघरे में खड़ा कर रहा है।

सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में विधायकों ने जब अपने-अपने मुद्दे उठाने शुरू किए तो ज्यादातर विधायक पंचायतों की खर्च सीमा को दो लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने पर एकमत नजर आए। बरवाला के जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान पंचायतों के पास 20 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार थे, जिन्हें कार्यकाल समाप्त होने के बाद बंद कर दिया गया। अब पंचायतें केवल दो लाख रुपये तक विकास कार्य ही करवा सकती हैं। जोगी राम सिहाग की इस मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि दो साल से पंचायतों को ग्रांट जारी नहीं की गई है। सभी पंचायतों को 20 लाख तक के काम सीधे करवाने की मंजूरी दी जाए। विधायक बलबीर सिंह ने भी इसका समर्थन किया। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की जा ई-टेंडरिंग का हर जगह विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद मंत्री जनप्रतिनिधियों के प्रति कार्यक्रमों में गलत व्यवहार कर रहे हैं। बलराज कुंडू ने कहा कि सरकार की नीति से पंचायत प्रतिनिधियों को चोर बनाया जा रहा है। कुंडू के इस बयान पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भड़क गए। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति बरती जा रही शब्दावली पर आपत्ति जताई।

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Ltd.
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking)
GSTIN: 09AACCU2356P1ZZ, CIN: U85310UP2019SGC123425
Address: 5/104 Vibhuti, 1st Floor, Gomati Nagar Extension, Lucknow

Tender Ref. No.: GEM/2022/B/2940951 Date: 26th December, 2022

GEM Tender Notice Invitation

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited, Lucknow invites tenders on GeM Portal from eligible and qualified Manufacturer/Importer/Authorised Agent for supply of Novel Corona Virus Sample Collection Kit (VTM Kit). The schedules of Tendering activities are as here under:

S. No.	Activity	Date & Time
1	Tender Reference No.	GEM/2022/B/2940951
2	Commencement of Downloading of Tender Document	26th December, 2022
3	Last Date & Submission of Online Bids	05th January, 2023 upto 06:00 PM.
4	Date & Time of Opening of Technical Bids	06th January, 2023 upto 06:30 PM.
5	Date of Completion of Examination of Technical Bid	To be declared on GeM Portal
6	Date & Time of Opening of Financial Bid	To be declared on GeM Portal
7	Date of Completion of Examination of Financial Bid	To be declared on GeM Portal

The details of tender notice are given on GeM Portal & UPMSCL website www.upmsc.in. Kindly check GeM Portal & UPMSCL website for any detail & updates. Managing Director (UPMSCL)

Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh

INDIA LITERACY BOARD
Literacy House, Kanpur Road, Lucknow

Tender No: NIT/ INDIA LITERACY BOARD /2022/1 Dt. 28.12.2022

NOTICE INVITING TENDER

Name and Description of work :- "CONSTRUCTION OF LITERACY MUSEUM FOR INDIA LITERACY BOARD AT LUCKNOW, UTTAR PRADESH ON EPC MODE"

INDIA LITERACY BOARD as Executing Agency of for this Project, invites online bids for construction on Design, Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis from eligible bidders working in any central/state departments or government/semi government undertakings or in private sector for building works through e-tendering from eligible contractors/firms in two bid system for the following work:-

Estimated cost	Completion period of Work	Last date to fill/ upload the bid through e-tendering	Tender Cost	EMD/Bid Security amount
Rs. 6.84 Cr.	15 Months	30.01.2023 Up to 03:00 PM	Rs. 5000/-	2% of the estimated cost put to tender

- The bid document shall be available online from 28.12.2022 at 11:00 AM to 26.01.2023 at 05:00 PM & the last date of submission of bid document shall be 30.01.2023 upto 03:00 PM (Online). Opening of Technical Bid shall be on 30.01.2023 at 03:30 PM.
- For submission & other tender details, please refer detailed NIT available on website of e-tender portal www.https://tenderwizard.com Corrigendum/ amendments etc., if any, will be notified on this website only and separate advertisement will not be made for the same.
- Earnest money (EMD) shall be accepted in the form of Bank Guarantee/ Demand Draft.
- INDIA LITERACY BOARD reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason or incurring any liability whatsoever.

DIRECTOR

सरकारी भर्ती संस्थाओं को खत्म करना चाह रही सरकार : हुड्डा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में कहा कि कौशल रोजगार निगम के जरिए सरकार पढ़े-लिखे और योग्य युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कम वेतन में कच्ची नौकरी करवाकर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। सरकार का काम ठेका प्रथा को खत्म कर पक्की नौकरियां देना है, लेकिन इसके विपरीत सरकार पक्की नौकरियों को खत्म करके ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है।

विधानसभा में बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार लगातार कौशल निगम के जरिए कच्ची भर्तियां कर रही है, जबकि भर्ती करने का काम हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग का होता है। अगर निगम के जरिए भर्तियां होंगी तो धीरे-धीरे संवैधानिक भर्ती संस्थाओं को खत्म किया जाएगा। क्योंकि, सरकार ने पक्की नौकरियां खत्म करने और कच्ची भर्तियां करने का चोर दरवाजा ढूंढ लिया है। हुड्डा ने सरकार से पूछा कि कौशल निगम और लोकसेवा व कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया, मेरिट और चयन का तरीका अलग-अलग क्यों है?

उत्तर पश्चिम रेलवे
294-2022-COML-SVDV विनांक : 22.12.22
खुली ई-निविदा सूचना
मंडि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, बीकानेर द्वारा उ.प.रे. भारत के राष्ट्रपति महोदय एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ऑन लाईन खुली ई निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसके बंद होने की तिथि 17.01.2023 समय 15:00 बजे है। नोट :- निविदादाता अपनी निविदा इंडियन रेलवे की वेबाईट www.ireps.gov.in पर निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते है। कोई भी मैन्युअल टेन्डर स्वीकार नही किया जायेगा और यदि कोई मैन्युअल टेन्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नही किया जायेगा। 1. कार्य का नाम व स्थान : पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के टी.टी.ई रेस्ट हाउस के रख रखाव का कार्य दो वर्ष की अवधि के लिये। 2. अनुमानित लागत : रू. 1,78,72,933/– दो वर्ष की अवधि के लिये। 3. बयाना राशि : रू. 2,38,570/– (ऑनलाइन पेमेन्ट गेट वेकिंग या पेमेंट गेट वे के द्वारा) शार्ट मकड़ित डिपो प्रबन्धक, उ.प.रे. बीकानेर के पक्ष में। 4. निविदा शुल्क : 2000/– + 900/– (GST) = 2900/– भुगतान ऐन लाईन (ऑन लाइन पेमेन्ट गेट वेकिंग या पेमेंट गेट वे के द्वारा) यदि, मंडल वित्त प्रबन्धक, उ.प.रे. बीकानेर के पक्ष में। 5. टेन्डर भरने की शरुवात व समाप्ति : 17.01.2023 15:00 बजे तक 6. निविदा खुलने की तिथि : 17.01.2023 15:30 बजे 7. वेबसाईट का विवरण : www.ireps.gov.in 1094-DG/22

पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
(रजि. ऑफिस : पी.एस.ई.बी., हेड ऑफिस, द माल पटियाला-147001 पंजाब, भारत)
कार्पोरेट आई.डी. नंबर: U40109PB2010SGC033814 (www.pstcl.org)
Email : fa@pstcl.org Phone No. 0175-2790183

सार्वजनिक सूचना

पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दर्ज वित्तीय वर्ष 2021-22 के टरू-अप पटीशन, वित्तीय वर्ष 2022-23 की सशताना परफार्मेंस रिव्यू और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बहु सशताना टैरिफ पटीशन के कंट्रोल पीरियड के संबंध में याचिका के संदर्भ में सार्वजनिक सूचना।

1) इंट्रा. हेल्प रुपी को सूचित किया जाता है कि पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.टी.सी.एल) इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एवं स्टेट लेवल डिस्पैच के संचालन तथा स्टेट ट्रांसमिशन उपयोगिता एवं संबंधित गतिविधियों में संबंधित है, ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के टरू-अप पटीशन, वित्तीय वर्ष 2022-23 की सशताना परफार्मेंस रिव्यू और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की बहु वर्षीय टैरिफ के संबंध में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के विनियम 62, 64 और 86 और पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (जनरेशन ट्रांसमिशन ऑलिगे एवं रिटेल आपूर्ति) विनियम 2022 के अनुपाले के लिए याचिका दर्ज की है। पावसीय आयोग द्वारा पटीशन को आर्डर तिथि 21.12.2022 द्वारा याचिका नं. 73 वर्ष 2022 के अनुरूप को रिकार्ड पर दर्ज किया गया है।

2) आय जनता की सूचना के लिए, पटीशन में दर्ज सूचना संक्षेप में नीचे दिखे अनुसार है

Annual Revenue Requirement of Transmission and SLDC (Rs. Crore)

Sr. No.	Particulars	True-up	APR	3rd MYT Control Period		
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
a.	Employee Cost	593.54	767.24	844.81	914.39	985.99
b.	A & G Expenses	32.1	38.67	44.45	51.43	59.53
c.	R&M Expenses	37.02	39.86	43.8	47.65	50.94
1	O&M Expenses	662.66	842.77	933.06	1013.47	1096.46
2	Depreciation	304.16	317.28	352.77	397.15	436.21
3	Interest charges	296.26	291.44	310.11	344	365.99
4	Interest on Working Capital	30.78	37.23	41.24	45.5	49.59
5	ULDC Charges	8.88	8.88	3.5	3.5	3.5
6	Return on Equity	118.58	137.04	174.11	219.3	262.18
7	Other Expenses	1.02	0	0	0	0
8	Gross ARR	1422.34	1634.64	1814.77	2022.92	2213.93
9	Less: (i) Non-Tariff Income	35.8	16.48	20.18	20.18	20.18
10	Less: (ii) Open Access	3.76	4.3	4.3	4.3	4.3
11	Net Revenue Requirement	1382.78	1613.86	1790.29	1998.44	2189.45
12	Add: Incentives (Availability)	10.07	0	0	0	0
13	Add: Incentives (TS Loss)	16.39	0	0	0	0
14	Total Revenue Requirement	1409.24	1613.86	1790.29	1998.44	2189.45
15	Prior Period Item (Infructuous capital exp. written off during FY 2020-21)	1.64	0	0	0	0
16	Gross ARR	1410.88	1613.86	1790.29	1998.44	2189.45

3) PSERC की तरफ से भावी कार्यवाई और उसके हेतु याचिका की प्रतियां प्रमुख लेखा अफसर/वित्त और आडिट, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी पंजिल, ज्योति सदन, सामने काली माता मंदिर, द माल, पटियाला, लहलल अफसर, पी. एस.टी.सी.एल. पीस्ट ऑफिस निकट यादविन्दरा पब्लिक स्कूल, फेज 8, मोहाली, चीफ इंजीनियर/पी एंड एम, पी.एस.टी.सी.एल, लुधियाना व एसई/पी एंड एम सर्कल, लुधियाना/ पटियाला/जालंधर/अमृतसर/पटिंडा के कार्यालय में उपलब्ध है और इसकी सॉफ्ट कॉपी पी.एस.टी.सी.एल. वैबसाइट www.pstcl.org और PSERC की वैबसाइट www.pserc.in पर उपलब्ध है एवं यहां से डाऊनलोड की जा सकती हैं।

4) इच्छुक व्यक्ति पी.एस.टी.सी.एल के लॉ के निर्धारण एवं स्टाफिंग शाखा अपेक्स (एआरआर) के लिए उपरोक्त याचिका का निरीक्षण एवं प्रतालिक का सकते हैं एवं उपरोक्त कार्यालयों से कार्यालय समय दौरान नि शुल्क नेट्रस ले सकते हैं।

5) उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां 300/- रूपए प्रति सैट के भुगतान पर कार्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

6) भी.एस.टी.सी.एल. द्वारा दर्ज टरो के निर्धारण एवं स्टाफिंग शासन अपेक्स (एआरआर) के लिए याचिका के खिलाफ यदि कोई हो, संबंधित व्यक्ति के साथ जिसे तीर पर रजिस्टर्ड डाक के पाध्यम से सचिव, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, सार्इट न 3 पध्य पथ, सैक्टर 18 ए, चण्डीगढ़ को दर्ज करा सकते हैं जो कि इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर उसे पहुँच जाने चाहिए। इसकी प्रति मुख्य लेखा अफसर/वित्त और आडिट, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, तीसरी पंजिल, ज्योति सदन, सामने काली माता मंदिर, द माल, पटियाला को भी भेजी जाए एवं इसकी तामीला का प्रमाण सचिव, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, चण्डीगढ़ को भी फाक्सिले के साथ संलग्न करना चाहिए।

7) उपरोक्त अनुरूप धारा का (12) प्रतिबंधों में भरे होने चाहिए एवं धारा के अनुरूप भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व डाक पता होना चाहिए तथा विधिवत हस्ताक्षित एक शपथपत्र भी साथ होना चाहिए। सभी धारा, धाराओं को छोड़कर जिसके धाराओं की साफ साफ सचिव, पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, चण्डीगढ़ की ई मेल आई डी secretarypsercchd@gmail.com पर भेजी जाए। यदि धारा किसी संगठन या साझाकारों की किसी श्रेणी की ओर से दर्ज है, यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह भी इसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, कि धाराक टिप्पणियां डालने वाले व्यक्ति किसे तीर पर धारना चाहता है।

8) इस नोटिस के प्रतिक्रम में पाप लिखित धाराओं की प्रस्तावना के पश्चात पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग विचिर्ये जो सपय रहे आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएंगे, को ऐसे धाराओं को सुनवाई हेतु उपयुक्त मानता है, आमंत्रित कर सकता है।

-सही/-
मुख्य लेखा अफसर/वित्त और आडिट
पी.एस.टी.सी.एल. ज्योति मंडल, ज्योति सदन, सामने काली माता मंदिर, द माल पटियाला

76/12/599/2022/Z0028

नीलामी नोटिस

सीमॉसरी. डीघी दिघे हलेही लाखन डिंगे हुंदे कुंभ दी तिडी 06 जनवरी, 2023 दे चट विउरमा वेंडे सिंधी बीमउ 'उे धुंधुरे घेरी लवदही ना वंगी वे। दिस समेंधी मिसे दी बीम वेले टिठ दहउउ दिघे आ के निरमभ अउे सतउं लाएीआं ना सकदीआं वन।

सही/-
सीलीअर मेडीकल अफसर, डिं.,
सी.मॉच.सी. डीघी।

पंउर नं. SMO/BKH/22/551 मिती : 27.12.2022

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
(संसदीय अधिनियम की धा. 35/12 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
पोस्ट बैग - 052109 / पनिहार गांव

आवश्यक सभी अभिलाषित

एन.एस.एस.(रा.से.यो.) और एन.वाई.के.एस. (ने.यु.के.सं.) के पदाधिकारों/ छात्राओं/ छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालों से सभी की आवश्यकित आमंत्रित की जाती हैं। प्रशाल संस्थान को दिनांक 10 जनवरी 2023 को या पहले पूर्व भेजा जाए।
अधिक जानकारी के लिए कृपया पंजीयन की वेबसाइट www.rgnlyd.gov.in देखें।
-कृपयानुसार-
सहायक सुलभाधिन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
सेबी भवन-।।, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के जांच अधिकारी ने सेबी (जांच की प्रक्रिया) विनियम, 1995 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (2ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था। हालाँकि, सौंप नोटिस चूककर्ताओं को सारणी में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकीं :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/ सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK1905 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिजे' साहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 28–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, शुभम सिरिकंज, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सेंट पोषनगलाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकलॉन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077608	(1) 63/88, नागदेवी ऑस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 8, मुंबई–400003; (2) चुकाली शाकर, चुकाली सिल्क मिल्स कंपाउंड, आंधेरी चूली रोड, साकीनाका, आंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	क्लासिक प्रेस (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC062932	(1) 3, बकील इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालमट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) सिद्धिविनायक सेवा सोसाइटी, दलित मजदूर धंधी, बसारी डैला, गोरेगांव परिचम, मुंबई – 400062	3636	17.06.2021
4	गुजरात फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC058850	डोनरे मंजी 5, अमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2282Q	(1) इकान 109, पहली मंजिल, विंपल आर्केड परिसर सीएमएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, रहेजा चेम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, गिप्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (4) 301, शीवरी गॉर्डन, एनीलस विंपल आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई–400101; (5) शॉप नंबर 117, पहली मंजिल, डी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई ई 400101; (6) 130, पहली मंजिल, डी मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	तेजूमल इंवेस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महात्मा नगर, गोलिबार रोड, खांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	राजेंद्र मार्केटिंग कॉर्पस कंपनी लिमिटेड	L99999MH1991 PLC224603	(1) 105, बालाजन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकला रोड, अंधेरी (पूर्वी), मुंबई–400099; (2) ५/8, रचना अपार्टमेंट, वीरी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया सीरिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032696	(1) साधना रेल्टन हाउस, डॉ. वी.एम. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोंकिवाले कलेक्ट रोड, बाया – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	29.09.2022
9	डायनामीक्स इंजन्ट्रील लिमिटेड	U99999MH1992 PLC029616	(1) 115, टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्लैक्सो के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 298, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	8082	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सुष्री आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड
Powering Punjab Unlocking Love

द माल, पटियाला

पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दाखिल एफवाई 2021-22 के लिए ट्रू-अप के लिए याचिका, दूसरी निराज्ञा अवधि की एफवाई 2022-23 के लिए एनुअल परफोर्मेंस रिव्यू (एपीआर) व तीसरी नियंत्रण अवधि (एफवाई 2023-24 से एफवाई 2025-26 तक) के लिए एमवाईपी याचिका के संबंध में सार्वजनिक सूचना।

1. सभी को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ('पीएसपीसीएल') इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कार्यरत है और संबंधित वैधिकीय पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन ('कमीशन') के समक्ष एफवाई 2021-22 के लिए ट्रू-अप, एफवाई 2022-23 के लिए एनुअल परफोर्मेंस रिव्यू, पीएसपीसीएसी (टर्मस एण्ड कंडीशन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जनरेशन टैरिफ) रैगुलेशन, 2019 के रैगुलेशन 12 व 13 के साथ पठित इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अंतर्गत तथा पीएसपीसीएसी (टर्मस एण्ड कंडीशन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जनरेशन ट्रूईंग अप एण्ड रिटेल सप्लाई टैरिफ) रैगुलेशन, 2022 के रैगुलेशन 10 के साथ पठित इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अंतर्गत एफवाई 2023-24 से एफवाई 2025-26 तक वित्तीय अवधि के दौरान के पूर्वअनुमान के अनुसोत तथा एफवाई 2023-24 के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका दर्ज की है।
2. इस याचिका की प्रति मुख्य अभियंता के कार्यालय/एकाउन्ट ऐ पैऔस, पीएसपीसीएल, एस-4, जैकी क्लिनर, पटियाला तथा सभी मुख्य अभियंताओं/ (प्रचालन) और सभी अधीक्षण अभियंताओं, पीएसपीसीएल के प्रचालन परिमंडल के प्रधानों के कार्यालय में भी उपलब्ध है। इसकी सॉफ्ट कापी पीएसपीसीएल की वेबसाइट 'www.pserc.gov.in' पर भी उपलब्ध है तथा इसे डाउनलोड/कॉपी कर सकते हैं।
3. इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त याचिका की जांच व अवलोकन कर सकता है तथा निःशुल्क उपरोक्त कार्यालयों से कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते है।
4. उपरोक्त दस्तावेजों की प्रति उपरोक्त सेट के लिए 500/- (रुपये 500) प्रति सैट के भुगतान पर उक्त कार्यालयों से भी प्राप्त की जा सकती है।
5. उक्त याचिका पर एतराज, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्ति के साथ जिसे तीर पर या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सचिव, पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन, साइट नंबर 3, ब्लॉक-बी, सेक्टर 18-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ के पास दर्ज करा सकते हैं जोकि इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनों के अंदर पहुंच जाने चाहिए। इसकी प्रति मुख्य अभियंता/एकाउन्ट एण्ड ऐडमिन, पीएसपीसीएल, एस-4, जैकी क्लिनर, पटियाला को भी भेजी जाए एवं इसकी तामिल का प्रमाण सचिव, पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन, चंडीगढ़ को भी फाक्सिले के साथ संलग्न करनी चाहिए।
6. उपरोक्त अनुरूप एतराज दर्ज प्रतिवादी भी को होने चाहिए एवं एतराज भेजने वाले व्यक्ति का पूरा नाम व डाक प

माक ड्रिल से परखीं अस्पतालों में तैयारियां

स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में लिया व्यवस्था का जायजा

जागरण संवाददाता, देहरादून: कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जाने लगे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर कोरोना से संबंधित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और तत्परता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को माक ड्रिल आयोजित की गई। प्रदेशभर की 700 चिकित्सा इकाईयों में कोरोना प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। विभागीय अधिकारी अलग-अलग चिकित्सा इकाईयों में माक ड्रिल में शामिल हुए। खुद स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में व्यवस्था का जायजा लिया। विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कोरोना मरीजों के उपचार का हेमो भी देखा और इसे बेहतर ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासियों एवं पर्यटकों पर विशेष नजर रखें जाए। यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके उपचार के साथ ही सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जाएं।


कोरोनेशन अस्पताल में कोरोना की तैयारियों को लेकर जानकारी के दौरान आइसीयू चिकित्सिकों का निरीक्षण करते स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ● जागरण

कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें : स्वास्थ्य सचिव

स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन अस्पताल) व दून मेडिकल कालेज अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आक्सीजन प्लांट में आक्सीजन प्रेशर व आक्सीजन प्यूरिटी का निरीक्षण किया। साथ ही मेडिकल गैस मैनिफोल्ड रूम व गैस स्टोर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया। आक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य उपकरणों की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। कहा कि कोविड की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग समयबद्ध ढंग से तैयारी कर चुका है और आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपील की कि कोविड को लेकर कोई भी अफवाह ना फैलाएं। आमजन कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और सावधानी बरतें। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा निदेशक डा. आशुतोष सयाना, सौएमओ डा. मनोज उप्रेती, संयुक्त निदेशक डा. एमके पंत, दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. वुसुरु रिजवी, डा. अनुराग अग्रवाल, डा. नारायणजीत सिंह, महेंद्र भंडारी, दीपक राणा आदि भी मौजूद रहे।

दो व्यवस्था परखी

आक्सीजन प्लांट, आइसीयू वार्ड, इमरजेंसी, वेंटिलेटर, आक्सीजन कंसंट्रेटर, आक्सीजन सिलेंडर, आक्सीजन बेड, पंबुलेंस, कोविड-टेस्टिंग लैब, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन आदि।

अगले सप्ताह से व्यवस्थित हो जाएगा टीकाकरण

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट बीएफ-7 का कोई मामला नहीं है। कहा कि सैंपलों की लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अभी दून मेडिकल कालेज में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जबकि अन्य तीन मेडिकल कालेज में भी सप्ताहभर में जीनोम सीक्वेंसिंग की अनुमति मिल जाएगी। यहां मशीन आदि लग गई है।

चारों मेडिकल कालेज में होगी जीनोम सीक्वेंसिंग

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना के नए वैरिएंट बीएफ-7 का कोई मामला नहीं है। कहा कि सैंपलों की लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अभी दून मेडिकल कालेज में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। जबकि अन्य तीन मेडिकल कालेज में भी सप्ताहभर में जीनोम सीक्वेंसिंग की अनुमति मिल जाएगी। यहां मशीन आदि लग गई है।

कोरोना की जांच बढ़ाएं अधिकारी : डीएम

देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने कोरोना संक्रमण से बचाव और राज्य सरकार की एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पालन कराने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मंगलवार को हुई बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी और सभी उपजिलाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्था करवाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ेगी बरतने की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें। साथ ही कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर जांच अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना की जांच बढ़ाई जाए और बुस्टर डोज लगवाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दीपक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नगर सरित डोभाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मनीश कुमार उप्रेती आदि उपस्थित रहे। (जसं)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

सेबी भवन–I, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आदेश अधिनियम, 1981 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (2क) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था। तात्कालिक गाँव नोटिस चूककर्ताओं को तामील में चस्पित्रित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK19065 इंकरट्रोल इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिगो' शंकलाड रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400009; (3) ऑफिस नं. 24, कुरुवा शिल्पिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकवॉन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 63/69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 8, मुंबई–400003; (2) चुकासी हाउस, चुकासी सिल्क मिल्स कंपाउंड, जोगेरी कुर्ला रोड, सांकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	ग्लोरिक प्रेरा (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, वकील इंकरट्रियल एस्टेट, चालगट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) शिंदिविनायक रोया सोसाइटी, दलित मजदूर पंथी, वसारी हिल, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई – 400062	3636	17.06.2021
4	मुकर्जी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056860	डोंगरे बंगलो 6, जमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसेलाई इन्फोलॉग लिमिटेड	AADCA2282Q	(1) इकान 106, पहली मंजिल, किंपल आर्केड परिसर सीएमएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, रहेजा मेनर्सर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, ग्रीनेक्स डिंपल आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (5) रॉय नंबर 117, पहली मंजिल, बी विंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई इ 400101; (6) 130, पहली मंजिल, बी विंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	तेजुरल इंकट्रीज	U99999MH1991 PLC054632	4, महात्मा नगर, गोलिबार रोड, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	एजेंट माइनिंग सर्विसर्ज कंपनी लिमिटेड	L99999MH1981 PLC024003	(1) 105, बाजालन इंकट्रियल एस्टेट, 40, चकाला रोड, जोगेरी (पूर्व), मुंबई–400099; (2) ए/9, रचना अपार्टमेंट, डीपी रोड, जोगेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया लीजिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032699	(1) कामना रेसन हाउस, डॉ. बी.एन. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोजिवाले कलंब रोड, थाना – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5718	29.09.2022
9	सान्तानोवस इंकट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC029918	(1) 115, टीपी इंकट्रियल एस्टेट, पौक्सो के पीछे, गर्ली, मुंबई–400025; (2) 288, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	6082	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 29.12.2022
स्थान : मुंबई

सुश्री आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

ईपीआर कानून से उद्योगों को मिली बड़ी राहत

- लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के प्रांत महामंत्री विजय कुमार तोमर दिल्ली में हुई बैठक में हुए शामिल
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने रखा उद्यमियों का पक्ष, छोटे उद्यमियों को उत्पादक मानने के नियम में हुआ बदलाव

जागरण संवाददाता, देहरादून : लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के प्रांत महामंत्री विजय कुमार तोमर ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारियों के साथ दिल्ली में हुई बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक के बाद उन्होंने बताया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी (ईपीआर) कानून से देशभर के उद्योगों को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती की केंद्रीय कार्यकारिणी ने इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

दिल्ली के इंदिरा गांधी पर्यावरण भवन में हुई बैठक में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल के निवेदन पर देश के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमिता संस्थान (एमएसएमई) के उद्यमियों की परेशानी को समझते हुए अधिकारियों ने प्लास्टिक पैकेजिंग कर रहे छोटे उद्यमियों को भ्रमवश प्रोड्यूसर मानने को लेकर नियम में आवश्यक बदलाव के आदेश जारी किए। तोमर ने बताया कि उद्यमियों ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी (ईपीआर) को लेकर की गई कार्रवाई की बात भी रखी। बताया कि प्लास्टिक उत्पादन से जुड़े उद्यमियों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम के अनुपालन में उत्पीड़न से डर है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक पैकेजिंग का केवल उपयोग कर रहे लाखों उद्यमियों को ईपीआर सिस्टम से जुड़ने से तत्काल राहत मिल गई है।

उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमियों से ही व्यवसाय करने की बाध्यता संबंधित नियम को भी समाप्त करने की उद्यमियों की मांग मान ली गई है। बैठक में उत्तराखंड से लघु उद्योग भारती के महामंत्री विजय सिंह तोमर के अलावा उद्यमी वरुण मित्तल, मुकेश अग्रवाल आदि शामिल हुए।

पुरानी पेंशन बहाली को कार्मिकों ने कसी कमर

देहरादून: अठ जनवरी को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास कूच को लेकर कार्मिकों ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का दावा है कि प्रदेश के 80 हजार कार्मिक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरी सिंह रावत ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी नई पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिक अबकी बार आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय ले सकती है तो उत्तराखंड सरकार क्यों पीछे हट रही है। इससे उत्तराखंड के एनपीएस कार्मिकों में भारी आक्रोश है, जो आने वाली आठ जनवरी को देहरादून की सड़कों पर भी दिखेगा। चंद रोज पहले कर्णप्रयाग रैली में हजारों कार्मिकों ने भागीदारी कर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज उठाई। अब देहरादून की सड़कों पर पुरानी पेंशन बहाली की रणनीति बनाई गई है। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा, प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत और प्रदेश महासचिव खैताराम पोखरियाल को सौंपी गई है। (जसं)

वन्यजीव तस्करों के विरुद्ध जंगलों में चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, देहरादून: नव वर्ष के जश्न के दौरान जंगलों में वन्यजीव तस्करों की सक्रियता बढ़ने की आशंका है। जिसे देखते हुए वन विभाग भी सतर्क हो गया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही वन विभाग ने वन्यजीव तस्करों पर नकेल कसने का संकल्प लिया है। वन मुख्यालय ने फील्ड कार्मिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी रेंज व बन बीट में गश्त बढ़ाते हुए वन्य जीव तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के जंगलों में शिकारियों और तस्करों की घुसपैठ की आशंका के चलते वन्यजीव सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी संरक्षित क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। गश्त तेज करने और वन्यजीव पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों में तैनात कार्मिकों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से भी नजर रखी जा सकती है। जहां उच्च हिमालयी क्षेत्रों से वन्यजीव निचले इलाकों की तरफ आते हैं, जिससे उनके शिकार की संभावना अधिक बढ़ जाती है।

ऐसे में वन्यजीव महकमे ने राज्य में अलर्ट जारी करने के साथ ही चौकसी बढ़ा दी है। प्रमुख वन संरक्षक विनीत सिंघल के अनुसार सभी छह नेशनल पार्क, सात अभयारण्य और चार कंजर्वेशन रिजर्व प्रशासन को संरक्षित क्षेत्र में सघन गश्त के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर रात्रि गश्त के साथ ही सीमाओं पर विशेष रूप से निगहबानी को कहा गया है। इस दौरान दुर्गम और आबादी क्षेत्र से सटे वन क्षेत्रों में अभियान चलाकर तस्करों व शिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
(संस्थापित अधिनियम की धा. 26/12 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
सीरीजखोट – 402105 / हरिद्वार गढ़वाल

अधिकारिक रिक्ति अधिसूचित

एन.एस.एस.(रा.से.यो.) और एन.वाई.के.एस. (ने.यु.के.सं.) के स्वयंसेवकों/ युवाओं/ छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय संस्थानों, मेडीकल विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से रूचि की व्यक्तिगत जानकारी की जाती है। प्रस्ताव संस्थान को दिनांक 10 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व भेजा जाए।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.rgnlyd.gov.in देखें।
–हस्ताक्षरित–
प्रधानाचार्य

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् (यूटीडीवी)
प. दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट–ओ.एन.जी.सी. हैलीपैड, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003
फोन: 0135–2559898, फैक्स: 2559988

पत्रांक संख्या:- 5401/2-4-14/2021-22 दिनांक:- 27 दिसम्बर, 2022

यूटीडीवी द्वारा डीवीएफओटी के आधार पर देहरादून के पटेल नगर में बिजनेस होटल के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है

उपरोक्त के संबंध में विवरण वेबसाइट: www.uktenders.gov.in और www.uttarakhandtourism.gov.in पर दिनांक 29.12.2022 को अपराह्न 3:00 बजे से प्राप्त किए जा सकते है। प्री–बिड बैठक दिनांक 3.01.2023 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित की गई है। संभावित सेवा प्रदाता 07.01.2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई–मेल : pppcell.utdb@gmail.com के माध्यम से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं जिसे procurement.utdb@gmail.com पर CC किया जाना होगा। दिनांक विस्तार सहित कोई भी परिशिष्ट/शुद्धि पत्र केवल www.uktenders.gov.in पर ही अपलोड किया जाएगा। प्रस्ताव केवल www.uktenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 29.01.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आज़ादी का अमृत महोत्सव
G20 भारत 2023 INDIA

जीएसटी करदाता ध्यान दें!

कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 का अपना वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-9* और फॉर्म GSTR-9C# में दाखिल करें



*इन करदाताओं द्वारा फॉर्म GSTR-9 दाखिल किया जाना आवश्यक है

ऐसे सभी जीएसटी करदाता जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर रु. 2 करोड़ से अधिक रहा हो (वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान), निम्न को छोड़कर:

(i) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ii) टीडीएस डिडक्टर (iii) टीसीएस कलेक्टर
(iv) कैजुअल टैक्सेबल पर्सन (v) प्रवासी टैक्सेबल पर्सन

#इन करदाताओं द्वारा फॉर्म GSTR-9C दाखिल किया जाना आवश्यक है

ऐसे करदाता जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर रु. 5 करोड़ से अधिक रहा हो (वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान) द्वारा फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न के साथ फॉर्म GSTR-9C में स्व–प्रमाणित रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल किया जाना आवश्यक है

जीएसटी वार्षिक रिटर्नों के विवरण के लिए कृपया स्कैन करें

फॉर्म GSTR-9 और फॉर्म GSTR-9C विलंब से दाखिल किए जाने पर विलंब शुल्क लगता है

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
@cbic_india @cbicindia @cbicindia @CBIC INDIA @cbic www.cbic.gov.in

cbc 15502/13/0018/2223

****

सरकार चलाएगी मेट्रो की ई-फीडर बसें, अधिग्रहण की मिली मंजूरी

100 ई-बसों व 380 नई फीडर ई-बसें अधिगृहीत करेगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) की मौजूद इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन अपने हाथ में लेगी। दिल्ली कैबिनेट ने हाल में परिवहन विभाग के अधीन चल रहीं डीएमआरसी की 100 से अधिक ई-बसों और 380 अन्य फीडर ई-बसों को संचालित करने का निर्णय लिया है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सर्वजनिक परिवहन को अधिक किफायती, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये नई इलेक्ट्रिक फीडर बसें लोगों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और आसान बनाएंगी। रूट रेशनलाइजेशन अध्ययन के आधार पर आवश्यक रूटों पर बसों की आवृत्ति बढ़ाई गई और नए मार्गों को जोड़ा गया है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सर्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर में जोड़ी जा रही सभी नई बसें इलेक्ट्रिक हों।

2,080 ली फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसें खरीदेगी सरकार

दिल्ली सरकार राजधानी में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2,080 ली फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी फीडर बसें खरीदेगी। ये बसें नौ मीटर वाली छोटे साइज की बसें होंगी। इसके लिए टेंडर जारी हो गया है। ये बसें रिहायशी इलाकों व कालोनियों से नजदीक के मेट्रो स्टेशनों व प्रमुख मार्ग तक चलाई जाएंगी। इनके लिए नए डिपो और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे है। सरकार का उद्देश्य लोगों को उनकी कालोनी से 500 मीटर पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। ताकि लोग निजी वाहन त्यागकर सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ ले सकें। यह साधन वाहनों से होने वाले प्रदूषण को भी रोकेंगे।

छह रूटों से उतरेंगी 380 ई बसें: डीएमआरसी दिसंबर 2019 से पूर्वी और उत्तरी कलस्टर में शास्त्री पार्क और मजलिस पार्क डिपो से फीडर ई-बसों का संचालन कर रही है। इन बसों को परिवहन विभाग दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) के जरिये चलाएगा। अतिरिक्त 380 ई-बसें संचालित करने के लिए छह स्टेशन- वेलकम, कोहट एन्क्लेव, रिठाला, नंगोलोई, मुंडका और द्वारका की पहचान की गई है। डीएमआरसी इन स्थानों पर बस डिपो बनाएगी।

धर्मस्थलों में चोरी करने वाले गिरोह के दो धरे

संवे, खेरकूत : मंदिर, गुरुद्वारे में चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों को डीबाला कोतवाली पुलिस ने लाल तप्पड़ गुरुद्वारे के सामीप से गिरफ्तार किया है। सरगना पर उत्तरखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में चोरी और लूट के 17 मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक सुमीण कमलेशा उपाध्याय ने बताया कि 23 दिसंबर को खेरी स्थित गुरुद्वारे में हुई चोरी के मामले में गुरुदेव सिंह ने तहरीर दी थी। जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास से अलावा अन्य क्षेत्रों के लगभग सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांचने के बाद दो संदिग्ध व्यक्ति गुरुद्वारें में आते-जाते दिखे। उन्हें से एक की पहचान कुलवंत सिंह के रूप में हुई, जो धर्मस्थलों में चोरी करने वाला गैंग का सरगना है। उसके बाद मैंगलबार को मुखबिर की सूचना पर ऊधमसिंहनगर निवासी कुलवंत सिंह और दिल्ली के निहाल बिहार मंगल बाजार निवासी अवतार सिंह को दो आरोपियों को दबोचा गया।

हाई कोर्ट में नौकरी का झांसा देकर युवती ने ठगे 4.80 लाख

2 युवकों से की ठगी, मामले में युवती के पिता व दोस्त के भी शामिल होने का है आरोप

जागरण संवाददाता, कलांत: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 4.80 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोपित युवती ने युवक को शादी का झांसा दिया और खुद को चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी बताया। युवती के अलावा उसके पिता व दोस्त पर भी ठगी में शामिल होने का आरोप है। युवक के दोस्त को भी नौकरी लगाने की बात की गई थी। सदर थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर दो नामजद सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

सदर थान प्रभारी रामवंद्र जाखड़ के अनुसार दिनेश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह कामन सर्विस सेंटर चलाता है। वर्ष 2019 में वह दिल्ली के निजामुद्दीन में ओपन माइक पोस्टी इवेंटस में गया था। वहीं उसकी मुलाकात दिल्ली के कारावल नगर के गोविंद विहार की रहने वाली साक्षी शर्मा से हुई। वहीं से वह साक्षी से फोन पर बातें करने लगा। कुछ दिन बाद दोस्त विन्देर ने उसे और साक्षी को हरियाणा के पिंजौर में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। उसे वह नौकरी पसंद नहीं आई तो वह वापस आ गया। सितंबर 2019 में साक्षी ने उसे बताया कि उसे चंडीगढ़ पुलिस में सब-इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। वह उससे शादी करना चाहती है, पर उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि दोनों की जाति अलग-अलग है, उनके घरवाले नहीं मानेंगे। साक्षी ने कहा कि वह अपने घरवालों को मना लेगी, तो उसने शादी के लिए हां कर दी।

कुछ दिन बाद साक्षी ने कहा कि उसके पिता का कहना है कि यदि वह उसके एक महीने का खर्चा उठा ले तो वे शादी कर देंगे। उसने एक माह तक कड़ी मेहनत कर 45-50 हजार रुपये जमा किए और उनके पास आमलाहब भेज दिए। उसके बाद साक्षी के पिता राजेश शर्मा ने कहा कि वह सरकारी नौकरी वाले से साक्षी की शादी करेंगे।

साक्षी ने कहा कि उसने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क की नौकरी के लिए बात की। इसके लिए उसे दो लाख रुपये देने होंगे। एक लाख पहले व एक लाख नौकरी लगने के बाद। दिनेश ने अपने दोस्त रामनगर के रहने वाले दलीप से इस बारे में बात की तो वह भी नौकरी लगवाने के लिए कहने लगा। साक्षी ने दोनों को 20 मार्च, 2020 को चंडीगढ़ फार्म भरने के लिए बुला लिया। साक्षी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप शर्मा को एप्सआइ बताया और उन्हें दो लाख रुपये दिला दिए। उन्होंने खाली चेक व एफिडेविट बतौर सिक्योरिटी देने की बात की, परंतु नहीं दिए। लाकडाउन के कारण वे वापस आ गए। अप्रैल 2020 में साक्षी ने बताने बनकर उससे 1,500 रुपये, 14,700 रुपये व 7,000 रुपये ले लिए। उसके बाद उसने कहा कि कुछ क्लर्कों को हटा दिया गया, उनकी जगह पक्की नौकरी मिल सकती है, पर 50-50 हजार रुपये देने होंगे। उन्होंने एक लाख रुपये फिर से आनलाइन पहुंचा दिए। इसके बाद भी दोनों से करीब 5.60 लाख रुपये ले लिए, पर नौकरी नहीं लगी।

गुरुग्राम में कलेक्शन कर्मियों के सिर पर ईंट मार 24 लाख लूटे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: डीएलएफ क्षेत्र में चकरपुर गांव के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारियों के सिर पर ईंट मारकर 24 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने कर्मचारियों की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी है। बदमाशों द्वारा लूट में प्रयुक्त बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

कैश कलेक्शन कंपनी आस्था के दो कर्मचारी राजीव रंजन और अंकुर चकरपुर में कैश कलेक्शन के लिए गए थे। सोमवार दोपहर करीब ढाई बजे दोनों कर्मचारियों ने अपने ग्राहक श्री बालाजी स्टोर से करीब 24 लाख रुपये लिए थे। अंकुर बाइक पर कैश लेकर पीछे बैठे थे। बाइक राजीव रंजन चला रहे थे। कैश कलेक्शन कर कुछ ही दूर निकले थे कि एक बाइक पर सवार दो युवकों ने उन्हें घेर लिया। बाइक सवार एक बदमाश ने अंकुर के सिर में ईंट मारी जिससे अंकुर घायल हो गए। राजीव रंजन ने अंकुर को ईंट लगने के बाद तुरंत बाइक रोकी। राजीव, अंकुर को संभालने लगे। इसी बीच एक बदमाश ने उनके सिर पर भी ईंट से वार किया, पर हेलमेट लगा होने से बचाव हो गया। दोनों बदमाशों ने अंकुर के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से कुछ फुटेज पुलिस को मिले हैं, जिसमें दोनों बदमाश बिना नंबर की बाइक पर जाते दिख रहे हैं।

साहिबाबाद के होटल में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

जागरण संवाददाता : कोतवाली क्षेत्र के करौंदा में ओयो से संबंद्ध हिंदन रेजिडेंसी होटल के कमरे में मैंगलबार दोपहर दिल्ली के युवक का शव फंदे पर लटका मिला। वह महिला मित्र के साथ कुछ घंटे पहले ही होटल में आया था। पुलिस महिला मित्र से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है।

पुलिस के अनुसार, गली संख्या-चार सुशीला गार्डन मंडौली, दिल्ली का 29 वर्षीय प्लंबर कैलाश मैंगलबार दोपहर करीब 12 बजे अपनी महिला मित्र के साथ हिंदन रेजिडेंसी पहुंचा। उसने एक कमरा बुक किया। दोपहर करीब तीन बजे उसकी महिला मित्र ने सूचना दी कि कैलाश ने कमरे में फांसी लगा ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जल्दी आने को लेकर हुआ विवाद: पुलिस के अनुसार, कैलाश व उसकी महिला मित्र दोनों शादीशुदा हैं। दोनों के दो-दो बच्चे हैं। दोपहर करीब दो बजे उसकी महिला मित्र घर जाने की बात करने लगी। उसने एक-दो घंटे और रुकने को कहा। इसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। उसकी महिला मित्र बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो कैलाश उसकी चुन्नी के सहारे छत के पंखे से बंधे फंदे से लटक रहा था। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृतक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में साहिबाबाद की सतायक पुलिस आयुक्त पूनम मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर छानबीन की है। प्रारंभिक जांच में खुदकुशी की बात सामने आई है।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय में (अपीलीय शुल्क सिविल सिट बेंच(रिफर) सिविल प्रक्रिया सिट याचिका (सिविल) संख्या 7092/2021 के आदेश V, नियम 20, R/W SEC. 151 सीपीसी के तहत नोटिस

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
...वादीकर्ता

बनाम

सुश्री सोनम श्रीवास्तव ...प्रतिवादी

प्रतिवादी को नोटिस

सुश्री सोनम श्रीवास्तव पुत्री स्वर्गीय श्री अमरीश चंद्र निवासी- सी-26, आत्माई कुंज पसली रोड, आदर्श नगर, दिल्ली-110033

जबकि उपरि उल्लिखित वादीकर्ता ने भाषा के याचिका के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वादिका प्रस्तुत की है और जबकि उक्त याचिका 27.07.2021 को प्रथम सुनवाई के लिए कार्य की और आपको इस नोटिस का आदेश 16.08.2021 को दिया गया था। और जबकि 13.12.2022 को इस न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह दर्शित हो गया है कि फर्जुरि प्रतिवादी को सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती है। रजिस्ट्रार के न्यायालय के समक्ष इस प्रभोजन के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त एक अधिकृत वकील के माध्यम से आपकी और से 13 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थिति पूर्व कलने के लिए प्रकाशन द्वारा आपको जारी किया गया है।

उसी स्थान में कि आपकी उपस्थिति से चूक होने पर आपके द्वारा, आपके वकील या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस दिए गए दिन या उसके लिए कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त परिलिखित तिथि, उक्त याचिका की चूककर्ता की उसकी तारीख की कोई सूचना आपको पर्याप्त में नहीं दी जाएगी और उक्त दिए याचिका को आपकी अनुपस्थिति में स्वतबीय सत्य से सुना और निर्णीत किया जाएगा।

आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं दिल्ली उच्च न्यायालय की मुद्रा से प्रमाणित किया गया।

बाहुबल रविन्द्रन (पिंदु)
चूकी रजिस्ट्रार जनरल

SBI

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I।

12वीं तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001.
ई-मेल: sbi.04106@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना में उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकाना करने को कहा गया था

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उनमें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(यों) के साथ लेन-देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति(यों) के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, द्वारा निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकस्मिक व्यय एवं प्रभार इत्यादि राशि के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की छः धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाता / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर/पार्टनर्स / गारंटर्स का नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
गैलर्स शार्प सिट लिमिटेड शार्प हाउस, प्लॉट नं. 9, लोकल शॉपिंग सेंटर, गुजरांवाला टाउन दिल्ली – 110009	श्री विकास सिंघल (गारंटर), श्रीमती अंकिका सिंघल (गारंटर), श्रीमती वीना सिंघल (गारंटर), श्री संजय सिंघल (गारंटर), श्री रविंदर सिंघल (गारंटर), अनुत पॉलीप्लास्ट प्रा. लि. (गारंटर), श्रीमती अंजना गित्तल, पुत्री स्वर्गीय श्री जय प्रकाश सिंघल (गारंटर स्वर्गीय जय प्रकाश सिंघल के कानूनी वारिस), श्रीमती उषा रानी पत्नी स्वर्गीय श्री जय प्रकाश सिंघल (गारंटर स्वर्गीय जय प्रकाश सिंघल के कानूनी वारिस), मैसर्स एंजीलाल ओम प्रकाश (बंधककर्ता), रविंदर नाथ सिंघल (बंधककर्ता)	1. सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्रीमती अंकिका सिंघल, श्री संजय सिंघल, श्री विकास सिंघल, श्रीमती वीना सिंघल द्वारा का यह समस्त भाग एवं अंश प्लॉट नं. एच-93, 6088–96/1 और 4180, नया बाजार, दिल्ली – 110006 जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग गज, सभी धुरब–स्टरधर, उसके निर्माण के साथ, रास्ते और उस पर समान अधिकार, वर्तमान और भविष्य वोनों	31-08-2022	22-12-2022	रु. 1133,28,27,132.00 (रु. एक हजार एक सौ तैंतीस करोड़ सत्ताईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ बत्तीस मात्र) दिनांक 31.08.2022 तक और दिनांक 01.09.2022 से भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि
		2. सम्पत्ति पर मालिकाना हक मैसर्स लाभ सिट लि. सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लाट नं. एफ-93, सेक्टर 2000 वर्ग मी. और प्लॉट नं. एफ-73 और 74, सेक्टर 4000 वर्ग मी. रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमराणा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, सभी धुरब–स्टरधर, उसके निर्माण के साथ, रास्ते और उस पर कानून अधिकार, वर्तमान और भविष्य वोनों	31-08-2022	23-12-2022	

दिनांक : 23–12–2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

सेबी भवन–I, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (2ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालांकि, गॉन नोटिए चूककर्ताओं को सामग्री में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	चूककर्ता प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK11906 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC036514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलियंस' साहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) अधिकेना सं. 24, दूसरा सिंधी कॉलोनी, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनगला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकऐन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1995 PLC077609	(1) 63/69, नागदेवी ट्राँस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 6, मुंबई– 400003; (2) चुकासी हाउस, पुडुकोसी सिल्क मिल्स कंपाउंड, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	ब्लासिक प्रेस (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, वसीम इंडस्ट्रियल एस्टेट, यालनाट रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) सिद्धिविनायक सेवा सोसाइटी, दांसिा मजदूर पंथी, वसारी डैल, गोरेगांव परिचम, मुंबई – 400062	3836	17.08.2021
4	पुरुषार्थ माइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056850	डोंगरे भंगला 5, अमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2282Q	(1) दुकान 106, पहली मंजिल, विंगल आर्केड परिसर पीएनएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई–400101; (2) 701, एडेजा चेम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनिमल विंगल आर्केड, असोक नगर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400101; (5) रॉय भंवर 117, पहली मंजिल, वी गॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई पु 400101; (6) 130, पहली मंजिल, वी गॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्व), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	रोलुगल इंजन्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महात्मा नगर, गोलिकार रोड, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई — 400055	5172	19.07.2022
7	राजोंड़ मार्केटिंग एजेंसी कंपनी लिमिटेड	L99999MH1981 PLC024003	(1) 106, बालासन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400099; (2) ए/8, एशना अपार्टमेंट, वीनी रोड, अंधेरी (भवितना), मुंबई–400066	6213	26.07.2022
8	ग्लोरिया ज्वैलिंग लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032696	(1) रावना रेजन हाउस, डॉ. बी.एन. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, पोकिकाले कर्वस रोड, थाना – नेरल तालुका, कर्जात, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	29.09.2022
9	साम-नारोयस इंजन्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC026618	(1) 115, टीटी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 'सैल्सो के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	5062	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर चर्चितचित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सुश्री आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

SBI

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-I।

12वीं तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001.
ई-मेल: sbi.04106@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना में उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकाना करने को कहा गया था

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(यों) के साथ लेन-देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति(यों) के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक और अन्य कंसोर्टियम लेनदार, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक) द्वारा निम्नलिखित राशि और साथ में उस पर अदायीतिन ब्याज एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाता / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर/पार्टनर्स / गारंटर्स के नाम	बंधक/प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	कब्जा सूचना की तारीख
गैलर्स शार्प सिट लिमिटेड शार्प हाउस, प्लॉट नं. 9, लोकल शॉपिंग सेंटर, गुजरांवाला टाउन दिल्ली – 110009	श्री विकास सिंघल (गारंटर), श्रीमती अंकिका सिंघल (गारंटर), श्रीमती वीना सिंघल (गारंटर), श्री संजय सिंघल (गारंटर), श्री रविंदर सिंघल (गारंटर), अनुत पॉलीप्लास्ट प्रा. लि. (गारंटर), श्रीमती अंजना गित्तल, पुत्री स्वर्गीय श्री जय प्रकाश सिंघल (गारंटर स्वर्गीय जय प्रकाश सिंघल के कानूनी वारिस), श्रीमती उषा रानी पत्नी स्वर्गीय श्री जय प्रकाश सिंघल (गारंटर स्वर्गीय जय प्रकाश सिंघल के कानूनी वारिस), मैसर्स एंजीलाल ओम प्रकाश (बंधककर्ता), रविंदर नाथ सिंघल (बंधककर्ता)	1. सम्पत्ति पर मालिकाना हक शार्प सिट लि. औद्योगिक प्लॉट नं. एच–76, सी एंड बी, सेक्टर 4033 वर्ग मी., साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उसका निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य, तीसरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, निमाड़ी, राजस्थान में स्थित	23-12-2022
		2. सम्पत्ति पर मालिकाना हक अनुत पॉलीप्लास्ट प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 4 जोडि स्मॉल स्केल सो–ऑप औद्योगिक इस्टेट, जी टी करनाल रोड, दिल्ली में स्थित, सेक्टर 3000 वर्ग गज, साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	22-12-2022
		3. सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्रीमती अंकिका सिंघल और श्रीमती वीना सिंघल प्लॉट नं. सी–9 जोडि जी टी करनाल रोड, दिल्ली में स्थित, सेक्टर 2218.00 वर्ग गज, साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	
		4. सम्पत्ति पर मालिकाना हक शार्प सिट लि. ऑफिस परिसर, प्रथम और द्वितीय तल, प्लॉट नं. 9, एलएसवी, गुरुगोबिंदा टॉवर, दिल्ली में स्थित, सेक्टर्स 1827 वर्ग फीट और 1827 वर्ग फीट क्रमशः साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	
		5. सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्रीमती अंकिका सिंघल भूमि एवं भवन सम्पत्ति नं. 40/9, नया बाजार, दिल्ली में स्थित, सेक्टर्स 200.7 वर्ग गी., साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	
		6. सम्पत्ति पर मालिकाना हक श्री संजय सिंघल सम्पत्ति I. खसरा नं. 52/20(1-1), 52/19 (0-2) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली, II. खसरा नं. 52./19(1–3) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली, III. खसरा नं. 52./20(1–3) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली, iv. खसरा नं. 52./19(1–3) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली, सेक्टर 4 बीश 12 बिस्वा, साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	
		7. सम्पत्ति पर मालिकाना हक रविन्दर नाथ सिंघल पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंघल सम्पत्ति i. खसरा नं. 52/19(1-3) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली. ii. खसरा नं. 52./19(1–3) खेड़ा कला गाँव, दिल्ली, iii. खसरा नं. 52./2–4) और 09/9/(1–2) जोकि गाँव खेड़ा कला गाँव दिल्ली, सेक्टर्स 4 बीश 12 बिस्वा, साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	
		8. सम्पत्ति पर मालिकाना हक: मैसर्स चान्दी लाल ओम प्रकाश प्रोपराईटर श्री राजिन्दर प्रसाद सिंघल फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि सी–15, एसएसएन, को–ऑप औद्योगिक इस्टेट जी टी करनाल रोड, दिल्ली में स्थित, सेक्टर्स 2220.20 वर्ग गज, साथ में सभी सुपर स्टरधर्स, उस पर निर्माण, रास्ते के सामान्य अधिकार और उस पर अनुलग्नता, दोनों वर्तमान और भविष्य	

बैंक	मांग नोटिस धारा 13(2) के तहत बकाया	नोटिस की तिथि
भारतीय स्टेट बैंक	रु. 1133,28,27,132.00	31.08.2022
आईडीबीआई बैंक लि.	रु. 85,39,31,681.98	16.11.2018
इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक)	रु. 71,36,00,466.00	27.11.2018

दिनांक : 23–12–2022, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

Union Bank — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

दीवीय कार्यालय, दिल्ली दीवीय
कॉलेज टावर, चमनगिर मार्ग
चमनगिर रोड्स, नई दिल्ली-110032

अपने सम्मानित ग्राहकों को ज्ञापन की जा रही सेवाओं को समेकित और सशक्त करने के प्रयास में, हम पूर्व ई–बैंकिंग केंद्र, पूर्व ई–क्लेश केंद्र तथा यूनियन बैंक केंद्र शाखाओं को गुणित्मात्मा बना रहे हैं। शाखाओं का वर्गीकरण व प्रस्तावित पता निम्नानुसार है।

शाखाएं	वर्तमान पता	नया पता
खानपुर शाखा	सी/2, दु

आला अधिकारियों का वेतन रुका तो कोर्ट के आदेश पर हुआ अमल

शिक्षा विभाग थुरल कालेज में कार्यरत रहे प्रवक्ताओं को वित्तीय लाभ देने पर सहमत

शिमला ब्यूरो, शिमला : शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश पर रुका वेतन बहाल करने के लिए प्रदेश हाई कोर्ट में आवेदन तय किया है। अवज्ञती आदेश का पालन न करने पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव व निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का वेतन रोकने का आदेश दिया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश बीरेंदर सिंह की खंडपीठ ने जगरूप चंद कटोच व अन्य की ओर से दायर अनुपालन याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया था। अब शिक्षा विभाग महाराज संसार चंद मेमोरियल डिग्री कालेज थुरल (कांगड़ा) में बतौर प्रवक्ता सेवाएं दे रहे थे। 18 अक्टूबर, 2006 को इनकी सेवाओं को प्रदेश सरकार की ओर से इस कालेज को अधिग्रहित करने के बाद अपने अधीन ले लिया था। कालेज को अधिग्रहित करने के बाद उन्हें दिए जाने वाले वेतनमान को निम्नतम स्तर पर निर्धारित किया गया, जिसके खिलाफ प्रार्थियों ने तत्कालीन प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष याचिका दायर की। प्राधिकरण ने हाई कोर्ट की ओर से प्रेमलता थापर मामले में दिए फैसले के अनुरूप प्रार्थियों को निर्धारित उच्च वेतनमान देने का आदेश दिया था। लेकिन, प्रदेश सरकार उक्त मामले में अपील के लंबित होने के कारण प्रार्थियों को वेतनमान देने में नाकाम रही। अपील पर 30 जून, 2022 को फैसला आ गया, लेकिन प्रार्थियों को वेतनमान सरकार की अपील खारिज होने के बाद भी नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने अवज्ञती आदेश की अवहेलना का मामला पाते हुए नौ दिसंबर को दोनों अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया था, लेकिन दोनों अधिकारी 48 घंटे के भीतर प्रार्थियों के वेतनमान से जुड़े वित्तीय लाभ देने में नाकाम रहे। कोर्ट की ओर से वेतन रोके जाने के बाद शिक्षा विभाग जागा और प्रार्थियों के वित्तीय लाभ देने के लिए राजी हो गया।

शिक्षकों के चयन में दखल देने से हाई कोर्ट का इन्कार

प्रदेश हाई कोर्ट ने 2001 में नियुक्त शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के चयन में दखल देने से इन्कार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विजेंद्र कुमार व अन्यों की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि नियुक्तियों को हुए 22 साल हो गए हैं। कोर्ट ने नियुक्ति के ढाले लंबे समय और प्रार्थियों के 11 जिलों से चयनित शिक्षकों से कम अंक को देखते हुए चयन प्रक्रिया में दखल देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चयनित शिक्षकों को इस मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। मामले के अनुसार प्रार्थियों ने ट्रिब्यूनल में मामला दायर कर चयन प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि शिक्षा विभाग ने सामीरिक शिक्षा शिक्षकों के चयन की सूची राज्यस्तर पर न बना कर जिलावार बनाई। इस कारण वे चयनित नहीं हो पाए। 15 मार्च, 2001 को जारी विज्ञापन के तहत प्रदेश में 239 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का चयन किया गया था। वास्तव में वे पद जिला कैडर के है।

अदाणी को 280 करोड़ ब्याज सहित लौटाने पर 12 जनवरी को होगी सुनवाई

मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर सुनवाई 12 जनवरी को होगी। नई सरकार बनने के कारण प्रदेश हाई कोर्ट में 280 करोड़ की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए गए 280 करोड़ वापस करने का आदेश दिया था। 2005 में सरकार ने 960 मेगावाट की दो इकाइयों-डलेथिट्ठा परियोजना की स्थापना के संबंध में निविदा जारी की थी। मैसर्स डैकल कारपोरेशन को परियोजना की के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया। डैकल ने अग्रिम प्रीमियम के रूप में 280.06 करोड़ सरकार के पास जमा करवा दिए। बाद में सरकार ने फिर से बोली का फैसला किया। डैकल ने सरकार से अनुरोध किया था कि मैसर्स अदाणी पावर के कार्यालियम पार्टनर होने के नाते 280 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम को अप टू डेट ब्याज के साथ वापस किया जाए।

बैचलर व मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में 31 दिसंबर तक भरें आवेदन फार्म

जागरण संवाददाता, शिमला : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जनवरी 2023 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर एवं मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर के लिए पुनः पंजीकरण फार्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। फार्म भरने के लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जनवरी 2022 सत्र में बैचलर व मास्टर डिग्री (वार्षिक) और जुलाई 2022 सत्र में बैचलर व मास्टर डिग्री (सेमेस्टर) कार्यक्रमों में पहले पंजीकृत सभी छात्र पुनः पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त जनवरी 2022 से पूर्व के वे सभी पंजीकृत छात्र जो अपना पुनः पंजीकरण निर्धारित समय/सत्र में नहीं करवा पाए हैं, वे भी जनवरी 2023 सत्र के लिए फार्म भर सकते हैं।

क्यारी नाले में कार गिरने से एक की मौत

संवाद सूत्र, नेरवा : चौखाल उपमंडल की सरहद पंचायत के अंतर्गत क्यारी शिलान मार्ग पर कार नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार शिलान से खेरठ की तरफ जा रहे थे कि क्यारी नाले के पास कार अनियंत्रित होकर शिलान सड़क से शिरकर मुख्य सड़क पर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर मौत हो गई।

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालय: पीएसईबी मुख्यालय, द मॉल, पटियाला)
कारपोरेट पहचान संख्या (CIN:) U40109PB2010SGC033813, website: www.pspcl.in
(सेवा सदा) 1800 180 3023)

निविदा पूछताछ सं. पीपीआर-32/2022 दिनांक 23.12.2022

मुख्य अभियंता/पीपी व आर अनंतसंडासन, जैड ब्लॉ. डी-3, जोनल विहार, पीएसपीसीएल परिसदन द्वारा इंटर स्टेट/इन्ट्रास्टेट खोदिंग वाले एजेंसी को इंटरस्टेट ट्रेंडिंग के लिए सीईआरसी द्वारा जारी पैन इंटरस्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस वाले, एजेंसी को इन्ट्रास्टेट ट्रेडिंग के लिए पीएसईआरसी द्वारा जारी इन्ट्रास्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस वाले ब्रकरेजों, ट्रेडर्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटिज, स्टेट, आईआईपीओ व सीपीएसे से 10 जून, 2023 से 20 अक्तूबर, 2023 तक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की खरीद के लिए तीन भाग वाली प्रणाली के अंतर्गत ई-विडिंग आमंत्रित की जाती है। ई-बोलीकरण प्रक्रिया के लिए लिंक www.mstcecommerce.com है और विनिवेदी अंक पाक की वेबसाइट (www.Powermin.nic.in) और पीएसपीसी कारपोरेशी लिमिटेड (www.pfcindia.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विस्तृत निबंधन व निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 23.12.2022 से www.mstcecommerce.com का संदर्भ लें।
नोट:- मुद्रित्रुप और परिशिष्ट, यदि होंगे, से www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। C-491/22 R.NO. 76155/12/1310/2022/20025

INDIA LITERACY BOARD
Literacy House, Kanpur Road, Lucknow
Tender No: NIT/ INDIA LITERACY BOARD /2022/1 Dt. 28.12.2022
NOTICE INVITING TENDER
Name and Description of work :- "CONSTRUCTION OF LITERACY MUSEUM FOR INDIA LITERACY BOARD AT LUCKNOW, UTTAR PRADESH ON EPC MODE"
INDIA LITERACY BOARD as Executing Agency of for this Project, invites online bids for construction on Design, Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis from eligible bidders working in any central/state departments or government/semi government undertakings or in private sector for building works through e- tendering from eligible contractors/firms in two bid system for the following work:-

Estimated cost	Completion period of Work	Last date to fill/ upload the bid through e-tendering	Tender Cost	EMD/Bid Security amount
Rs. 6.84 Cr.	15 Months	30.01.2023 Up to 03:00 PM	Rs. 5000/-	2% of the estimated cost put to tender

- The bid document shall be available online from 28.12.2022 at 11:00 AM to 30.01.2023 at 03:00 PM & the last date of submission of bid document shall be 30.01.2023 upto 03:00 PM (Online). Opening of Technical Bid shall be on 30.01.2023 at 03:30 PM.
- For submission & other tender details, please refer detailed NIT available on website of e-tender portal www.https://etenderstest.com Corrigendum/ amendments etc., if any, will be notified on this website only and separate advertisement will not be made for the same.
- Earnest money (EMD) shall be accepted in the form of Bank Guarantee/ Demand Draft.
- INDIA LITERACY BOARD reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason or incurring any liability whatsoever.

DIRECTOR

Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Ltd.
(A Government of Uttar Pradesh Undertaking)
GATIN/KANCC/UPSIDC-PTZ, CIN: U74110UP2018GOI104425
Address: BUDA Bhawan, 7/25, Sector-7, Gomati Nagar Extension, Lucknow
Tender Ref. No.: GEM/2022/B/2909031 Date: 28th December, 2022
GEM Tender Notice Invitation
Uttar Pradesh Medical Supplies Corporation Limited, Lucknow invites tenders on Gold Portal from eligible and qualified Manufacturer/Importer/Authorized Agent for supply of Novel Corona Virus Sample Collection Kit (VTM Kit). The schedules of Tendering activities are as here under:

Sr. no.	Activity	Date & Time
1	Tender Reference No.	GEM/2022/B/2909031
2	Commencement of Downloading of Tender Document	28th December, 2022
3	Last Date & Submission of Online Bids	04th January, 2023 upto 06:00 PM.
4	Date & Time of Opening of Technical Bids	05th January, 2023 upto 06:30 PM.
5	Date of Completion of Examination of Technical Bid	To be declared on Gold Portal
6	Date & Time of Opening of Financial Bid	To be declared on Gold Portal
7	Date of Completion of Examination of Financial Bid	To be declared on Gold Portal

The details of tender notice are given on GeM Portal & UPMSCL website www.upsaac.in. Kindly check GeM Portal & UPMSCL website for any detail & updation. Managing Director (I/C)
Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh

कार्यालय नगर परिषद ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

क्रमांक: 1912-1914/एल.पी.जे. दिनांक: 24-12-2022

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना में सेवारत एवं सेवानिवृत्त प्रशस्ति प्रमाण पत्र (Gallantry Awards) प्राप्त सैनिकों को नगर परिषद क्षेत्र निर्मित आवास में सम्पत्ति कर छूट हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः नगर परिषद क्षेत्र ज्वालामुखी के सभी सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि आप अपने आवास से संबंधित सूचना (Land Record) नगर परिषद देहरा के कार्यालय में सात दिनों के भीतर दें।

कार्याकारी अधिकारी
नगर परिषद ज्वालामुखी

भाड़े पर बीडीटीएस व कमेटी सदस्यों में नहीं बनी सहमति



बिलासपुर में मंगलवार को पूर्व मंत्री शाम लाल ठाकुर (बाएं से दूसरे) से मुलाकात करती हुई बीडीटीएस की डायरेक्टरी ● जागरण

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : बीडीटीएस बरमाणा कार्यकारिणी का किराये को लेकर चल रहा गतिरोध को दूर करने के लिए मंगलवार को बिलासपुर में एसी टू डीसी की अध्यक्षता में सरकार की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी के साथ बैठक हुई में सहमति नहीं बन पाई। इस बैठक में कमेटी के सदस्य अमित चौपड़ा ने बीडीटीएस कार्यकारिणी को शुक्ला कमेटी की ओर से किराये को लेकर सुझाए गए फार्मूले से अवगत करवाया।

उन्होंने इस फार्मूले को स्वीकार करने को कहा। इस पर बीडीटीएस के प्रधान राकेश ठाकुर व चेयरमैन लेखराम वर्मा ने कमेटी सदस्यों से मौजूदा किराये को स्वीकार करके फैक्ट्री खुलवाने की मांग की तथा उन्हें इस फार्मूले में शुक्ला कमेटी के सुझाए छमूंले से अवगत करवाया, आपरेटरस के हित को ध्यान में रखते ही फैसला लिया जाए : बीडीटीएस

कुछ और कंपोनेंट शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 2005 में डीजल के दाम कम थे। अब तो डीजल के दाम व इंश्योरेंस के रेट भी तीन गुणा बढ़ गए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार को फैसला लेना चाहिए ताकि ट्रक आपरेटरों को राहत मिल सके।

कमेटी सदस्यों ने बीडीटीएस के पदाधिकारियों की आश्वासन दिया कि वे उनके सुझावों को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष रखेंगे।

बंद तहसीलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनाती का इंतजार

जागरण संवाददाता, शिमला : राज्य सरकार ने पूर्व सरकार के समय में अप्रैल 2022 के बाद खोली तहसीलों व उपतहसीलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन ने भी इन सभी तहसीलों में कामकाज बंद कर दिया है। उनके अधिकारी, कर्मचारी और अन्य अपनी सेवाएं कहां देंगे, इसको लेकर कोई भी साफ निर्देश अभी तक नहीं दिए हैं। हालत यह है कि इन तहसीलों में तैनात तहसीलदार भी अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इन तहसीलों में कार्यरत कानूनगो और पटवारियों की भी है।

जिले में ही ऐसी आठ तहसीलें व उपतहसीलें बंद की गई हैं। इनमें धमवाड़ी, चिड़गांव, रोहड़ू के समरकोट, ननकड़ी की बैली चकटी, कुमारसैन के बड़ा गांव, शिमला के बेन्टीर्ल और शिमला ग्रामीण की कोटी व ठियोग के मतियाणा की तहसीलें व उपतहसीलें शामिल हैं। राज्य में नई सरकार बनने के बाद इन तहसीलों को बंद कर दिया है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त अभिगम की पं. 58/12 के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा परियोजना)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
कीरतपुर – 140109 (पं. प्रभार: पंजाब)

अतिरिक्त की अतिरिक्तियां

एन.एस.एस.(रा.से.यो.) और एन.वाई.के.एस. (मै.यु.के.से.) के स्वयंसेवकों/ युवाओं/ छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव संस्थान की दिनांक 10 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व भेजा जाए।
अधिक जानकारी के लिए युवा संस्थान की वेबसाइट www.rgniyd.gov.in देखें।

-इच्छासहित-
प्रशासन सूचनाधिकारी

कार्यालय नगर परिषद देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
क्रमांक: 2329-42 एल.पी.जे.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय सेना में सेवारत एवं सेवानिवृत्त प्रशस्ति प्रमाण पत्र (Gallantry Awards) प्राप्त सैनिकों को नगर परिषद क्षेत्र निर्मित आवास में सम्पत्ति कर छूट हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः नगर परिषद क्षेत्र देहरा के सभी सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि आप अपने आवास से संबंधित सूचना (Land Record) नगर परिषद देहरा के कार्यालय में सात दिनों के भीतर दें।

कार्याकारी अधिकारी
नगर परिषद देहरा

Office of the Joint Commissioner of State Taxes & Excise, South Enforcement Zone, Parwanoo
Email:jcste.sez@mailhptax.gov.in, jcste.sez@gmail.com
Ph.: 01792-232645, Mob: 86796-68000

PRESS NOTE

Sealed quotations are invited from interested registered printing press located in District Solan for printing the advertisement/ publicity material regarding auction of M/s Indian Technomac Company Ltd. Jagatpur as per the details given below:-
1. Brochures/ booklets containing 76 pages, A4 size-100 Copies.
2. Coloured calender size posters (Water Proof)-100 Copies.
3. Tender Forms containing seven pages, A4 Size-100 Copies.
4. Sale Notice containing three pages, A4 Size -100 Copies.
5. Printing & Fixing of Flax Boarding advertising banners (8x3')-15 pcs.

The quotations must reach this office on or before **31-12-2022** on the given hard copy. The payments shall be made by the department as per the DAVP rates.

(G.D. Thakur)
(Authorized Officer)
Joint Commissioner of State Taxes & Excise,
South Enforcement Zone, Parwanoo
Email:jcste.sez@mailhpatax.gov.in,
gdthakur786@mailhptax.gov.in, Ph. 01792-232645

Khadi India
भारत सरकार, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises Government of India

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
के साथ अपने सपनों का व्यवसाय बनाएं

वित्तीय सहायता	पात्रता
•विनिर्माण गतिविधियों के लिए रुपये 50 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 20 लाख तक बैंक ऋण उपलब्ध।	•18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति •कोई आय सीमा नहीं
•कुल परियोजना लागत का 35% तक सरकारी अनुदान (सब्सिडी)	•विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु. 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 5 लाख से अधिक की परियोजना लागत के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा-8वीं (उत्तीर्ण)
•लाभार्थी अंशदान - 5% से 10%	•विनिर्माण क्षेत्र के लिए रु. 10 लाख से कम व सेवा क्षेत्र में रु. 5 लाख से कम परियोजना लागत के लिए साक्षर होना अनिवार्य नहीं है।
•केवल नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता **पीएमईजीपी/ आरईजीपी/ मुद्रा इकाइयों द्वारा व्यवसाय का उन्नयन (upgradation)** विनिर्माण क्षेत्र के लिए रुपये 1 करोड़ तक बैंक ऋण और रु. 25 लाख सेवा गतिविधियों के लिए परियोजना लागत का 20% तक सरकारी अनुदान (सब्सिडी)	•स्थापित मौजूदा इकाइयां सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

आज ही ऑनलाइन आवेदन करें: www.kviconline.gov.in/pmegpeportal
राज्य कार्यालय: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, शिमला
फोन नं0 : 0177-2652320, 2806528
E-mail : soshimla.kvic@gov.in

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
सेबी भवन–I, सी–7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र–400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (2ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालांकि, गैर नोटिस चूककर्ताओं को वापसी में खलिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/ सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	मांग सूचना की तिथि
1	MYNK1808 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC035514	(1) 402, चौथी मंजिल, बी विंग, 'संगीता एलिम्को' साहकार रोड, विले पार्ले (पूर्वी, मुंबई – 400057; (2) 26–ई, धनराज महल, छत्रपति शिवाजी मार्ग, मुंबई 400039; (3) ऑफिस नं. 24, दूसरा मिलेनियम, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकऑन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077809	(1) 63/ 69, नागदेवी ट्रांस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 8, मुंबई– 400003; (2) चुकासी हाउस, चुकासी सिल्क मिल्स कंपाउंड, ओपेरी फूलों रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्वी), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	क्लासिक प्रेस (इंडस्ट्रीयलाज) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 8, वकील इंडस्ट्रियल एस्टेट, बालनाड रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400063 (2) विद्यविनायक सेवा सोसाइटी, गसिता मजदूर पंथी, वसारी डिल, गोरेगांव परिचम, मुंबई – 400062	3656	17.06.2021
4	गुजर्ण्ण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056850	डॉगरे चंग्ली 6, अमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीआई इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2282Q	(1) दुकान 109, पहली मंजिल, किंग्स आर्केड परिसर सीएचएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई–400101; (2) 701, एजेंडा चैम्बर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, निशत कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनेक्स विंगल आर्के.ड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई–400101; (5) सीप मंबर 117, पहली मंजिल, डी गॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई 400101; (6) 130, पहली मंजिल, डी गॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्वी), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	सेलुलर इंफ्रास्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महाराना नगर, गोरेगांव रोड, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400065	5172	19.07.2022
7	राजोंद माइनिंग एंपेयर्स कंपनी लिमिटेड	L99999MH1961 PLC224603	(1) 105, बाजलन इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, चकला रोड, अंधेरी (पूर्वी), मुंबई–400099; (2) ए/ 6, रचना अपार्टमेंट, तीसरी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	26.07.2022
8	ग्लोरिया जीरॉक्स लिमिटेड	U65990MH1984 PLC032696	(1) सालना रेंगन हाउस, डॉ. डी.एन. रोड, मुंबई–400001; (2) 7, फोंजिसाले कर्जत रोड, बाया – नेरल तालुका, कर्जत, रायगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5718	29.08.2022
9	आन-लाईसेंस इंजस्ट्रीज लिमिटेड	L99999MH1982 PLC026618	(1) 115, टीयी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 'सैल्सो के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डॉ. देसी बेसोट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	5082	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

दिनांक : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सुश्री आंबोकर
(वसूली अधिकारी)



डाडलाघाट में पूर्व सैनिक कल्याण एवं विकास समिति के सदस्य ज्ञापन सौंपे हुए ● जागरण

सीमेंट प्लांट बंद करने का विरोध

संवाद सूत्र, डाडलाघाट : प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण एवं विकास समिति ने अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने का विरोध किया है। पूर्व सैनिक कार्यालय डाडलाघाट में अधीक्षक कार्यालय लाल चंद के माध्यम से निदेशक प्रबंधक पूर्व सैनिक कल्याण निगम हमीरपुर को ज्ञापन भेजा। समिति ने कहा कि अंबुजा सीमेंट प्लांट डाडलाघाट में बिना नोटिस दिए तालाबंदी करने से ट्रक आपरेटरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ इस समस्या का समाधान किया जाए। इस दौरान प्रधान बालक राम शर्मा, उपप्रधान जीवानंद ठाकुर भी उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी)
पं. दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन.
निकट–ओ.एन.जी.सी. हेलीपैड, गढ़ी कैन्ट, देहरादून–248003
फोन: 0135–2559898, फैक्सः 2559988

पत्रांक संख्या:-5901/2-4-14/2021-22 दिनांक:- 27 दिसम्बर, 2022

यूटीडीबी द्वारा जीबीएफओटी के आधार पर देहरादून के पटेल नगर में बिजनेस होटल के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है

उपरोक्त के संबंध में विवरण वेबसाइट: **www.uktenders.gov.in** और **www.uttarakhandtourism.gov.in** पर दिनांक 29.12.2022 को अपराह्न 3:00 बजे से प्राप्त किए जा सकते है। प्री–बिड बैठक दिनांक 3.01.2023 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित की गई है। संभावित सेवा प्रदाता 07.01.2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई–मेल : pppcell.utdb@gmail.com के माध्यम से स्पष्टीकरण मांग सकते है जिसे procurement.utdb@gmail.com पर CC किया जाना होगा। दिनांक विस्तार सहित कोई भी परिशिष्ट / शुद्धि पत्र केवल www.uktenders.gov.in पर ही अपलोड किया जाएगा। प्रस्ताव केवल www.uktenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 29.01.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डीलर बोले, दुलाई विवाद को जल्द सुलझाया जाए

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश के सीमेंट डीलरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में ढुलाई विवाद को सुलझाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रक यूनियनों से न केवल सीमेंट कंपनियां बल्कि अन्य उद्योग भी अत्यधिक भाड़े से पीड़ित हैं। डीलरों ने मांग की कि व्यवसाय इकाई के रूप में, उन्हें मुक्त बाजार में काम करने में सक्षम होना चाहिए। स्थानीय परिवहन संघ अन्य ट्रांसपोर्टरों को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम करने की अनुमति नहीं देते हैं। यह मुक्त बाजार भावना के खिलाफ है।

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT NATIONAL HIGHWAYS PROJECTS
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)
NATIONAL COMPETITIVE BIDDING

1. The Executive Engineer NH Division HPPWD Rampur invites Bid for construction of works detailed in the Table. The bidders may submit bids for the following works:
Name of work:- 1. Restoration of rain damages on NH-305 Sainj- Luhri- Autroad Km 0/00 to 97/00 (SH: Construction of wire crate RJ wall at RD 44/600 to 44/700 & 44/717 to 44/780)., Name of Division :- Executive Engineer, N H Division HPPWD , Rampur Bushahr, Approximate value of work (Rs):- Rs 7897377/-, Bid Security :- Rs 158000/-, Cost of document (Rs):- Rs1200/-, Period of completion:- Three months.
2. The period of availability of online bid / date and time of on line bid submission and date and time of opening of bids are given below.

Availability of tender online for bidders		Start & end date and time for online submission of bid	Date and time of Opening of bids.	
From	To		Technical Bid	Financial Bid
28-12-2022 1100 Hrs.	07-01-2023 1800 Hrs.	28-12-2022 1130 Hrs. 07-01-2023 1800 Hrs.	09-01-2023 1130 Hrs.	Date to be announced.

3. Bidding documents can be downloaded from the web site https://hptenders.gov.in/nicgep/app. The documents downloaded from the web site should not be tampered, and if any such tempering is detected before or after the opening of bids, the bidder shall be penalized and black listed.
Other terms and conditions shall remain same as given in the bid document which can be seen on the web site.

Signature of authorized of ficer,
Executive Engineer
NH Division HPPWD, Rampur Bushahr
RO-5223

****

रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया

उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में आज ही सूरत में हुआ था। अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1961 में टाटा स्टील के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा समूह की अलग-अलग कंपनियों में काम करने के बाद 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने और इसे नई ऊंचाइयों दीं। उन्हीं की अगुआई में टाटा समूह ने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई थी। सामाजिक कार्यों में सहयोग को लेकर भी रतन टाटा सदैव सक्रिय रहे हैं।



भारत में पहली बार प्रदर्शित हुई बोलती फिल्म 'मेलोडी आफ लव'

1929 में आज ही भारत में पहली बार मदन थियेटर्स ने कलकत्ता (अब कोलकाता) के एलफिंस्टन पिक्चर पैलेस में आलम आरा के निर्देशन में बनी बोलती फिल्म मेलोडी आफ लव का प्रदर्शन किया था। एलफिंस्टन पिक्चर पैलेस साउंड सिस्टम तकनीक से लैस भारत का पहला सिनेमाघर था।



पेरिस में ल्यूमियर बंधुओं ने किया सिनेमेटोग्राफ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन

1895 में आज ही जुई और अगस्त ल्यूमियर ने पेरिस में सिनेमेटोग्राफ का पहला प्रदर्शन किया था। यह ऐसा पहला मोशन पिक्चर उपकरण था, जिसका उपयोग कैमरा और प्रोजेक्टर दोनों के रूप में किया जाता था। इसकी प्रेरणा ल्यूमियर बंधुओं ने थामस एडीसन के काइनेटोस्कोप से ली थी।



26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति : प्रधान

जारी, डेंटरी आन-सीन (रोहतास): भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। मैकाले ने हमारी आत्मा पर चोट करने का काम किया। इस वर्ष 26 जनवरी को वर्षों पुरानी के दिन देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह संगोष्ठी के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को प्रमुखता दी गई है। जब तक मातृभाषा को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, तब तक बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे जा सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देने का काम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए तकनीक के प्रयोग की जरूरत है। विश्व के 140 देशों को हमने करुणा का संदेश दिया है। डेढ़ सौ टीवी चैनल स्कूलों के लिए समर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अब प्रतिरोध का जमाना चला गया।



वर्गीज झांकर (छाइल फोटो)

नए सिरे से होगा लोस सीटों का परिसीमन

जाब्यू, नई दिल्ली: आखिरकार 46 वर्ष बाद पूर्वोत्तर राज्य असम में नए सिरे से परिसीमन होने जा रहा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के आग्रह पर निर्वाचन आयोग ने वहां लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन करने का निर्णय किया है। इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने असम में एक जनवरी, 2023 से परिसीमन होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर भी रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडेय और अरुण गोयल के इस निर्णय के संबंध में मंगलवार को पत्र जारी कर दिया गया।

राहुल की भगवान राम से तुलना चाटुकारिता का चरम : भाजपा

जाब्यू, नई दिल्ली: राहुल गांधी की भगवान राम बताने के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान की भाजपा ने चाटुकारिता का चरम करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जमानत पर बाहर रहने वाले एक व्यक्ति की तुलना भगवान राम से करना न सिर्फ हिंदुओं का, बल्कि समस्त समाज की भावनाओं का अनादर है। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेसियों की परिक्रमावृत्ति बताते हुए कहा कि वे सिर्फ गांधी परिवार की परिक्रमा करना जानते हैं।

सलमान खुर्शीद के बयान के बारे में पूछे जाने पर गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित व्यक्ति के साथ खड़े होने वालों को देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भगवान राम बताने के कांग्रेस के बयान को भाजपा ने चाटुकारिता का चरम करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जमानत पर बाहर रहने वाले एक व्यक्ति की तुलना भगवान राम से करना न सिर्फ हिंदुओं का, बल्कि समस्त समाज की भावनाओं का अनादर है। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेसियों की परिक्रमावृत्ति बताते हुए कहा कि वे सिर्फ गांधी परिवार की परिक्रमा करना जानते हैं।

सलमान खुर्शीद के बयान के बारे में पूछे जाने पर गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित व्यक्ति के साथ खड़े होने वालों को देश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भगवान राम बताने के कांग्रेस के बयान को भाजपा ने चाटुकारिता का चरम करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जमानत पर बाहर रहने वाले एक व्यक्ति की तुलना भगवान राम से करना न सिर्फ हिंदुओं का, बल्कि समस्त समाज की भावनाओं का अनादर है। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेसियों की परिक्रमावृत्ति बताते हुए कहा कि वे सिर्फ गांधी परिवार की परिक्रमा करना जानते हैं।

सलमान खुर्शीद के बयान के बारे में पूछे जाने पर गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड

पटना में औसत 90 मिनट में चोरी होती एक गाड़ी 12 महीने में पांच हजार सात सौ वाहन ले गए चोर

चौक-चौराहों पर पुलिस की मुस्तैद हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग करने तक ही रह जाती सीमित

जागरण संवाददाता, पटना : जिले में औसतन 90 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती है। इसकी अपेक्षे उन वाहनों को बरामद करने की उपलब्धि 20 प्रतिशत से भी कम है। यूं तो शहर के चौक-चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आती है, लेकिन उनका काम हेलमेट और सीट बेल्ट का चालान काटने तक ही सीमित रहता है। शातिर चोर महज दो मिनट की रेकी के बाद वाहन लेकर रफूचक्कर हो जाते हैं। पटना पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में 5,785 वाहन चोरी हुए। इसके अनुसार हर महीने औसत 482 गाड़ियां चोरों के हाथों में चले गए।

2 मिनट की रेकी के बाद वाहन लेकर रफ्तूचक्कर हो जाते हैं चोर

20 प्रतिशत गाड़ियां भी बरामद नहीं कर पा रही पुलिस

2020 में 4,456 और वर्ष 2021 में 5,785 वाहन पटना में चोरी

2021 में 5,785 वाहन चोरी हुए



शराब तस्करों तक पहुंच रही चोरी की गाड़ियां : चोरी की गाड़ियां पहले दूसरे राज्यों में बेची जा रही थीं, मगर कुछ महीनों से शराब तस्करों के पास भी ऐसे वाहन मिलने लगे हैं। पटना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामलों का पर्दाफाश किया है। दो सप्ताह पूर्व पत्रकार नगर थाने की पुलिस चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की बाइक मिली। उन्होंने बताया कि शराब की होम डिलीवरी के लिए उन्होंने ये बाइक काफी कम कीमत पर खरीदी थी। बड़ी खेप पहुंचाने के लिए चोरी के चारपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है।

हर रात राज्य में बढ़ रहा वाहन चोरी का ग्राफ : पटना ही नहीं, राज्य में वाहन चोरी का ग्राफ हर साल बढ़ रहा है। बिहार पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018 में 30 हजार 915, वर्ष 2019 में 22 हजार 18, वर्ष 2020 में 20 हजार 561 और वर्ष 2021 में 25 हजार 606 वाहन चोरी के मामले दर्ज हुए। इसमें सबसे अधिक शिकायतें पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, भोजपुर, गया और नालंदा जिले में आईं। गौरतलब है कि 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण कई महीनों तक लाकडाउन लगा था। बावजूद इसके चोरी के आंकड़े बढ़ते चले गए।

उद्घाटनी से हर दिन 16 से अधिक गाड़ियां चोरी : पटना में वर्ष 2020 में 4,456 और वर्ष 2021 में 5,785 वाहन चोरी हुए। हर दिन करीब 16 गाड़ियां चोरी हो रही हैं। इसमें 80 प्रतिशत बाइक हैं। एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों की मानें तो 19 महानगरों की सूची में वाहन चोरी के मामले में दिल्ली के बाद पटना दूसरे स्थान पर था। इसमें ज्यादातर बाइक चोरी शहर के पाश इलाकों से हुईं। वर्ष 2022 की बात करें तो हर महीने 350 से 400 वाहन चोरी हुए।

इन इलाकों में सक्रिय हैं वाहन चोर : राजधानी में दो दर्जन से अधिक वाहन चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो चेन बनाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पड़ोसी जिलों में ये पटना से चुराई गई गाड़ियों को ठिकाने लगाते हैं।

वाहन चोरी की सबसे अधिक घटनाएं गांधी मैदान, कोतवाली, कंकड़बाग, कदमकुआं, पाटलिपुत्र, पीरबहोर, अगमकुआं, रामकृष्णा नगर, दीघा थाना क्षेत्रों में हुईं। गर्दनीबाग, पत्रकार नगर और शास्त्री नगर थाना क्षेत्रों में भी वाहन चोर गिरोह सक्रिय हैं।

मिनटों में खोल देते पार्ट-पुर्जे

दीघा थाने की पुलिस ने छह शातिरों को गिरफ्तार करने के साथ चोरी की सात बाइक बरामद की थी। सभी सारण जिले के रहने वाले हैं। उनकी निशानदेही पर एक गैराज से उपलब्धि हासिल हुई। पूछने पर आरोपितों ने बताया कि वे चोरी गए वाहनों को गैराज तक पहुंचाते थे। वहां मिनटों में वाहनों के पार्ट-पुर्जे अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें बाजार में बेचा जाता है।

> यही है कि वाहन चोरी के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसकी अपेक्षा बरामदगी कम है। अन्य शहरों की तरह यहां पार्किंग में कम वाहन खड़े होते हैं। चालक जहां-तहां वाहनों की पार्किंग कर देते हैं। इसे अतिरिक्त ताकत भी नहीं लगती। वाहनों को भी सड़क रहने वाली जरूरत है। वाहन चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।
>
> डा. मनजीत सिंह ढिल्लों, एसएसपी

अल्पावास गृह से दीवार फांद कर भाग निकली संवासिन



जागरण संवाददाता, पटना : शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी पटेल नगर के रोड नंबर 10 स्थित समाज कल्याण विभाग के अल्पावास गृह (आसरा गृह) से मंगलवार की सुबह 30 वर्षीय संवासिन दीवार फांद कर फरार हो गई। जानकारी के बाद अल्पावास गृह से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों ने सीसी कैमरे का फुटेज निकाला, जिसमें संवासिन पिछले रास्ते से भागती नजर आई। आनंदमय राम शंकर सिंह ने बताया कि प्राथमिकी कर ली गई है। अल्पावास गृह के अधिकारियों से बताया कि भागने वाली संवासिन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि, उसके घर का पता अब तक नहीं मिल पाया था।

अल्पावास गृह के गेट पर सुरक्षा में दो जवानों की तैनाती थी। बावजूद इसके उन्हें काफी देर तक संवासिन के फरार होने की जानकारी नहीं मिली। सुरक्षा के लिहाज से भवन के चारों तरफ लोहे के गेट लगे थे। ऐसे में अल्पावास गृह के कर्मचारी और अधिकारी शक के दायरे में हैं। पता लगाया जा रहा है कि मानसिक रूप से कमजोर महिला ने दीवार फांद कर भागने की हिम्मत क्यों और कैसे जुटाई? इसके लिए शास्त्री नगर थाने की पुलिस जिम्मेदार कर्मियों और अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। फरार होने वाली संवासिन अल्पावास गृह में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी।

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय: 27, डेवलपर इंडस्ट्रीयल एस्टेट,गिंडी चेन्नई- 600032, शाखा कार्यालय : शाखा बी-8, एस.के. पुरी, सहदेव महतो मार्ग, ओरिंग रोड, पटना, बिहार- 800001

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (रूल 8(1))

जबकि, अधोहस्ताक्षरी सिक्यूरिटाइजेशन एण्ड रेकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (2003 एसी) के तहत हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त एक्ट के साथ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 (उक्त रूल्स) के रूल 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया जिसमें नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित कर्जदार एवं उनके जमानत करने वाले संबंधित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस की राशि की चुकौती करने के लिए कहा गया था। संबंधित कर्जदार/सभी बंधकों द्वारा उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। संबंधित कर्जदार/सभी बंधकों द्वारा उक्त नोटिस की राशि के चुकाने में विफल रहने पर, विशेष रूप से संबंधित कर्जदार/सभी बंधकों और सामान्य रूप से सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) के उक्त रूल्स द्वारा अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से सर्वसाधारण कर्जदार/सभी बंधकों और सामान्य रूप से सर्वसाधारण को संपत्ति सम्बंधी के साथ लेनदेन नहीं करने के लिए एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और उक्त सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन निम्नलिखित राशि के लिए हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि. के शुल्क के अधीन होगा।

क्रम सं.	एलएन नं. और कार्यालयों के नाम	डिमांड नोटिस की तिथि	दिनांक तक बकाया राशि (रु.)	वास्तविक कब्जा की तिथि	अचल सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण
1.	BR/MUZZ/MUZA/A000000100 श्री बिन्देश्वर कोरवा, निवासी सोनवर्षा चौक, थाना- मनियारी, मुजफ्फरपुर, बिहार- 843119 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 66,12,021/- (रुपए छियासठ लाख बारह हजार इक्कीस मात्र)	24.12.2022	सम्पत्ति की अनुसूची : अनुसूची 'ए' समस्त हिस्से एवं अविभाजित भूमि के अहातेवाला सभी भाग और पार्सल, जिसकी चौहद्दी है- सोनवर्षा चौक से पश्चिम की ओर लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थित, जो मौजा- मनियारी, मुजफ्फरपुर, बिहार- 843119 (सह-कर्जदार)
2.	मनोज कुमार कोरवा पिता श्री बिन्देश्वर कोरवा, निवासी सोनवर्षा चौक, थाना- मनियारी, मुजफ्फरपुर, बिहार- 843119 (सह-कर्जदार)				
1.	BR/PTN/PTNA/A000000429 श्री मुजफ्फर बिन मोहम्मद मुबारक एवं उनकी पत्नी श्रीमती मुमताज खातून उर्फ मुमताज बेगम पति- श्री मुबारक हुसैन, दोनों निवासी- मोहल्ला- कुम्हरार, थाना- गुलजारबाग, जिला- पटना, बिहार- 800007 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 3,07,452/- (रुपए तीन लाख सात हजार चार सौ बावन मात्र)	22.12.2022	सम्पत्तियों का विवरण : दिशा :: पश्चिम- में सीमा देवी पति श्री मोहन साव के नाम पर खपरैल के रायी मान और पार्सल, मौजा- खाजी में स्थित रकबादि, मकान- एलवस्टर, थाना- फुलवारीशरीफ, थाना नं.- 31, जौजी नं.- 5331, खाता नं.- 214, सेलस कर्टी प्लॉट नं.- 1112, अंचल- फुलवारीशरीफ, पीआरडीए के तहत, रकबा- 5 धुर, जिला- पटना, निम्नानुसार चौहदी : उत्तर- निज विक्रेता, दक्षिण- कर्मान खरीदार, पूरब- आगीत खरीदार, पश्चिम- 7 फीट चौड़ी सड़क
2.	रीता देवी पति महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सतु एवं न्यू एलबस्टर, कुम्हरार पटना, पोस्टल नर्सरी ग्रीन के निकट, हरदी, पटना, बिहार पिन- 804453 -- 46 कर्जदार				
1.	BR/PTN/PTNA/A000000331 श्रीमती सीता सिंह पति उमाशंकर कुमार सिंह निवासी रोड नं.- 10, रॉयल कालिका रिजार्ट, कंकेर नगर के निकट, पटना, बिहार- 800015 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 66,12,021/- (रुपए छियासठ लाख बारह हजार इक्कीस मात्र)	22.12.2022	सम्पत्ति की अनुसूची : अनुसूची 'ए' समस्त हिस्से एवं अविभाजित भूमि के अहातेवाला सभी भाग और पार्सल, निवासी रोड नं.- 10, रॉयल कालिका रिजार्ट, कंकेर नगर के निकट, पटना, बिहार- 800016, सम्पत्ति की लम्बाई निम्न वर्णित है :- दक्षिणी नं.- 138, खाता नं.- 2, प्लॉट नं.- 61, साई नं.- 32/42, थाना नं.- 4, निम्नानुसार चौहदी :- उत्तर- बिहार कॉलेज की भूमि, दक्षिण- सुरेंद्री नारायण सिंह के उनै प्लॉट नं.- 61 का भाग, पूरब- 20 फीट चौड़ी पाका सड़क, पश्चिम- प्रदेश फोरिंगन अपार्टमेंट
2.	अजय कुमार सिंह निवासी रोड नं. 10, रॉयल कालिका रिजार्ट, कंकेर नगर के निकट, पटना, बिहार- 800015 (सह-कर्जदार)				
1.	BR/MUZZ/MUZA/A000000056 श्रीमती शैलेन्द्र कुमार पिता बैजनाथ महतो निवासी ग्राम नरेश ठाकुर पिता विधि ठाकुर निवासी गम्हल खिड़ की, एक्सीडाइड गोदाम के निकट, शिव मंदिर के निकट, पो.- सिकरवारा, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार- 84200 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 69,32,239/- (रुपए उनहत्तर लाख बत्तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र)	24.12.2022	सम्पत्तियों का विवरण अहातेवाला भूमि के अहातेवाला सभी भाग और पार्सल, निवासी गम्हल खिड़की, एक्सीडाइड गोदाम के निकट, शिव मंदिर के निकट, पो.- सिकरवारा, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842001, सम्पत्ति की लम्बाई निम्न वर्णित है- दक्षिणी नं.- चौकठा नं.- 1763, खाता नं.- 232, रकबा- 2 डिसमल, थाना नं.- 2 (पुरानी), वार्ड नं.- 10 (नया), निम्नानुसार चौहदी :- उत्तर- जीवन देवी पति उमेश सिंह, दक्षिण- सिमेन्ट रोड, पूरब- स्वयं, पश्चिम- पेलाल सिंह
2.	श्रीमती जगिया देवी निवासी गम्हल खिड़ की, एक्सीडाइड गोदाम के निकट, शिव मंदिर के निकट, पो.- सिकरवारा, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार- 84200 (सह-कर्जदार)				
1.	BR/MUZZ/MUZA/A000000110 श्री शैलेन्द्र सिंह पिता नगत सिंह, ग्राम- केसरिया एकरीरन दरभंगा, बिहार, मुजफ्फरपुर, रामदासचकी मंदिर के निकट, रहली, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत- 841307 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 14,72,206/- (रुपए चौदह लाख बहत्तर हजार दो सौ छह मात्र)	23.12.2022	सम्पत्तियों का विवरण सभी न.जे.भोजपुर कुल खेसपत्र 1 डिसमल और 4.36 धुर, खाता न.- उत्तर न.- 1 और 246 (पुरानी), 471/472 (नया) रकबा ज.न.न. ग्राम, शहर, परगनाना, अं-जिला अहि नोकहरा, आवासगत, थाना- ललिया नारायण सिंह शैक्षणिकाल, परगना, जिला- दरभंगा, बिहार। चौहद्दी :- पूरब- सुरेश कुमार सहनी, पश्चिम- अशोक कहिरन, दक्षिण- साकेत, उत्तर- खेसपत्र संख्या
2.	श्रीमती लेखो देवी पति शैलेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम- केसरिया हुजरात्रक केसरत, पो.- केसरिया मुजफ्फरपुर, रामदासचकी मंदिर के निकट, रहली, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत- 841308 (प्रथम सह-कर्जदार)				
3.	श्री अजय कुमार सिंह शैलेन्द्र सिंह, वार्ड नं. 10, जगजननी मंदिर के निकट, ग्राम+पो.- केसरिया, मुजफ्फरपुर, रामदासी मंदिर के निकट रहली, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत- 841307 (द्वितीय सह-कर्जदार)				
1.	BR/PTN/PTNA/A000000418 श्री सुनील कुमार सिंह पिता ला. बच्चीश्वर सिंह, मोहल्ला- उदयनगर, अरा, भोजपुर, बिहार, पटना, दीघी मंदिर के निकट, शहरी, पटना, बिहार- 802210 (कर्जदार)	31.03.2021	रु. 17,05,698/- (रुपए सत्रह लाख पांच हजार छह सौ अट्ठानवे मात्र)	22.12.2022	सम्पत्तियों का विवरण सभी न.जे./हीसाल, साख नं. सर्वे प्लॉट न. 142, मौ. 144 का 21 सर्वे का भाग, कुल बैकाया 682.5 स्क्वॉयर, डॉर न., रकबा, ग्राम, शहर, ऐजेंकल्प, अं जिला अहि गोज- नवादा (गुरुद्वारा इलाकानी), थाना नवादा, अंचल, जिला- नवादा, बिहार। चौहद्दी: पूरब- लिंग पॉपर्थन- झरखी डोरदी अन्य, दक्षिण- अलिया रघुरा, उत्तर- एरि रकबा जैसा पर अन्य
2.	सुनीता देवी पति सुनील कुमार सिंह, मोहल्ला- उदयनगर, अरा, भोजपुर, बिहार, पटना, दीघी मंदिर के निकट, शहरी, पटना, बिहार- 802210 (सह-कर्जदार)				

दिनांक: 28.12.2022
स्थान: पटना

प्राधिकृत अधिकारी
हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लि०

कोहरे के दौरान सभी ट्रेनों में रहे एस्कार्ट

- रात वाली ट्रेनों में क्षमित संख्या में जवानों की सुरक्षा अनिवार्य
- ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी करने वाले अपराधियों की करें पहचान

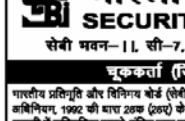


पटना जंक्शन आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण करते सुरक्षा आयुक्त दीपक पाडा। ● तौ : तेतवे

जागरण संवाददाता, पटना : दानापुर मंडल के वरीय सुरक्षा आयुक्त प्रकाश कुमार पांडा मंगलवार को पटना जंक्शन के रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पोस्ट में लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। पांडा ने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। ट्रेनों के एस्कार्ट रजिस्टर व रैस्टर की जांच की।

घने कोहरे में अक्सर ट्रेनें विलंब से चलती हैं। इसके कारण दिन की ट्रेनें रात में पहुंचती हैं। ऐसे ट्रेनों में पहले से एस्कार्ट की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी लेट होने पर एस्कार्ट की व्यवस्था अक्सर करने का निर्देश दिया। रात में गुजरने वाली सभी ट्रेनों में एस्कार्ट की अनिवार्य करने का निर्देश दिया। ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी करने वाले अपराधियों की पहचान कर रेल पुलिस के सथ मिलकर सख्त कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त ने पोस्ट के सभी क्राइम रजिस्टर की चेक किया तथा सभी अधीनस्थ अधिकारियों की क्राइम का ग्राफ नियंत्रित करने के लिए सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान पोस्ट के मालखाने का भी निरीक्षण किया। मंडल सुरक्षा आयुक्त पांडा अधिकारियों की टीम के साथ पूरे जंक्शन परिसर का मुआयना किया। इस दौरान वे सैंसें टीवी नियंत्रण कक्ष में जाकर बंद पड़े कुछ सैंसें कैमरों की शीघ्र ही दुरुस्त कराने को कहा। नियंत्रण कक्ष में सर्वर की क्लाक ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को स्टेशन परिसर अथवा प्लेटफार्म से गुजरने वाले हर संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखने को कहा। किसी तरह का संदिग्ध यात्री पर नजर पड़ते ही उस प्लेटफार्म पर तैनात अधिकारी के सथ ही ईसपेक्टर को भी तुरंत सूचित करने को कहा ताकि समय रहते उसकी तलाशी ली जा सके। जंक्शन सभागार में आरपीएफ के अधिकारियों के सथ बैठक की।

शीघ्र शुरू होगा सगौली-मंझौलिया रेलखंड पर परिचालन



जागरण संवाददाता, पटना : संरक्षा आयुक्त (रेलवे), पूर्वी सर्किल, कोलकाता सुबोमोय मिश्रा ने मंगलवार को समस्तीपुर मंडल के सगौली-नरकटियागंज रेलखंड पर सगौली से मझौलिया के बीच दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संरक्षा आयुक्त (रेलवे) द्वारा विशेष ट्रेन से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल भी किया गया। संरक्षा आयुक्त की अनुमति प्राप्त होते ही नव-दोहरीकृत रेलखंड पर ट्रेनों का आवागमन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जन संपर्क अधिकारी जरीट कुमार ने बताया कि सगौली-मझौलिया नव-दोहरीकृत रेलखंड है। तीसरे चरण में 12 किलोमीटर कोरुह रुपये की लागत वाली सगौली-बाल्मीकिनगर दोहरीकरण परियोजना का भाग है। पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ने वाले 110 किलोमीटर लंबे सगौली-बाल्मीकिनगर दोहरीकरण परियोजना को आठ छोटे-छोटे भागों में बांटकर निर्माण कार्य जारी है। प्रथम चरण में 11 किमी लंबे खड़ी-नरकटियागंज तथा दूसरे में आठ किमी लंबे चमुआ-हरिनगर रेलखंड की कमीशनिंग पहले ही की जा चुकी है। तीसरे चरण में 12 किलोमीटर लंबे सगौली-मझौलिया रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण किया गया।

कोर्ट के आदेश पर भी दानापुर पुलिस ने बिल्डर दंपती पर नहीं की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, पटना : पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता एसके मिश्रा ने कोर्ट के आदेश पर भी दानापुर थाने की पुलिस द्वारा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की शिकायत एसएसपी से की। अधिवक्ता ने थूथ होम डेवलपर्स के निदेशक ऋषभ सिन्हा और उनकी पत्नी सुमिरन कुमार पर 50 लाख रुपये की ठगी और फ्लैट पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया था। बताया कि न्यायालय से बिल्डर दंपती की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी प्राप्त है, लेकिन स्थानीय पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं अधिवक्ता ने 50 लाख ठगने का किया था मुकदमा, आरोपित दंपती की संपत्ति कुर्क करने का आदेश हो चुका है जारी

कर रही। अधिवक्ता के अनुसार, बिल्डर ने जो प्लेक दिए थे, उससे भुगतान पर बैंक से रोक लगवा दी थी। इस बावत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। दानापुर थानाध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि ऋषभ सिन्हा समेत दो अभियुक्तों का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। पुलिस छापेमारी करने गई थी। वहां आरोपित नहीं मिले।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

(युवाकार्य अभिलेखन की पूर्व 35/12 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार
मोतिहारी - 845305 / बगिया गढ़

अनिवार्य जरी अधिसूचना

एन.एस.एस.(प.से.को.) और एन.सी.सी.एस. (ने.मु.के.सं.) के स्वयंसेवकों/ युवाओं/ छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य परिवाओं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और पत्र विश्वविद्यालयों से पत्रि की अभिरुचि आमंत्रित की जाती है।

प्रस्ताव संस्थान की दिनांक 10 जनवरी 2023 को या उससे पूर्व पहुंच जाए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.rgniyd.gov.in देखें।

-कृपाक्रमानुसार-
महानिदेशक कुलसचिव

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(भारतीयकृत व्यापारिक, पीएसपीसीएल कुशलताकार, पट्टा, पटियाला)
कारपोरेट पहचान संख्या (CIN:) U40109PB2010SGC033813, website: www.pspcl.in
(संपर्क सत्ता 3648123023)

निविदा पुछताछ सं. पीपीआर-32/2022 दिनांक 23.12.2022

मुख्य अभियंता/पीपी व अर आरेनगरीकरण, सैट नं. डी-3, सक्ति विहार, पीएसपीसीएल पटियाला द्वारा इस स्टेट/इंडस्ट्रेस्ट सोसिंग यानि एजेंसी को इंडस्ट्रेट ट्रेडिंग के लिए सेंट्रोआरसी द्वारा जारी वैध इंडस्ट्रेट ट्रेडिंग लाइसेंस वाले, एजेंसी को इंडस्ट्रेट ट्रेडिंग के लिए पीएसपीआरसी द्वारा जारी इंडस्ट्रेट ट्रेडिंग लाइसेंस वाले जनरेटरों, ट्रेडर्स, स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रीसिटी यूटिलिटिज, स्टेट, आईआरपीएस व सीपीएसे से 10 जून, 2023 से 20 अक्तूबर, 2023 तक इलेक्ट्रीसिटी एजेंसी की सप्लाई के लिए सैम धाम बोली प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। ई-बोलीकरण प्रक्रिया के लिए लिंक www.mstccommerce.com है और बिजिनेस् ऑफ पावर को क्वेसाइट (www.Powermin.nic.in) और पीएसपीसीएल लिमिटेड (www.pfcindia.com) की क्वेसाइट पर भी उपलब्ध है। विस्तृत निर्देश/शुल्क विवरण के लिए कृपया 23.12.2022 से www.mstccommerce.com का संदर्भ लें।

नोट:- शुद्धिपत्र और परिवर्तन, यदि होंगे, को www.mstccommerce.com पर अतिरिक्त प्रकाशित किए जाएंगे।

C 491/22 P.RO. 76155/12/1310/2022/20025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

सेबी भवन-।।, सी-7, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400051

चूककर्ता (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) के विवरण का प्रकाशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वसूली अधिकारी ने उपयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28क (2ए) के तहत निम्नलिखित चूककर्ताओं के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था । हालाँकि, गौण नोटिस चूककर्ताओं को सारणी में उल्लिखित उनके अंतिम ज्ञात पते पर सेवा नहीं की जा सकी :

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम	पैन/ सीआईएन	चूककर्ता(ओं) का अंतिम ज्ञात पता	वसूली प्रमाणपत्र संख्या	नोन चूकना की तिथि
1	MYNK1908 इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	L51900MH1985 PLC036514	(1) 400, चौथी मंजिल, बी विंग, 'जंगीता एलिफे' साहकार रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई – 400057; (2) 26-ई, बनराज महल, प्रभुलि शिवाजी गार्ड, मुंबई 400038; (3) ऑफिस नं. 24, यूएमए बिल्डिंग, पहली मंजिल, आरटीओ कार्यालय के पास, सर पोचकनवाला रोड, मुंबई–400030	3605	27.04.2021
2	इंकगॉन इंडिया लिमिटेड	L74210MH1985 PLC077609	(1) 83 / 69, नागदेवी क्रॉस लेन, पहली मंजिल, कमरा नंबर 8, मुंबई– 400003; (2) चुकासो हाउस, चुकासो सिल्क मिल्स कंपाउंड, जोधेरी वूलों रोड, काकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400072	3606	27.04.2021
3	स्वातीज प्रेस (इंटरनेशनल) लिमिटेड	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, रहीम इंडस्ट्रियल एस्टेट, डानगर रोड, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई–400065 (2) शिडिशिनायक सेवा सोसाइटी, दलित मजदूर पंथी, पचारी हिल, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई – 400062	3836	17.06.2021
4	गुरुकर्ण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	U99999MH1990 PLC056850	डोंगरे बंगलो 6, अमेया अपार्टमेंट, प्रार्थना समाज, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई – 400057	5169	19.07.2022
5	एसीकार्ड इन्फोकॉम लिमिटेड	AADCA2252Q	(1) दुकान 109, पहली मंजिल, क्रिंपल आर्केड परिसर सीएचएस लिमिटेड आशा नगर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्), मुंबई–400101; (2) 701, एडिना मेनर्स, नरसिंग पॉइंट, मुंबई–400021; (3)141 ए विंग, 14वीं मंजिल, सिटल कोर्ट, नरसिंग पॉइंट, मुंबई – 400021; (4) 301, तीसरी मंजिल, एनेक्स बिपिन आर्केड, अशोक नगर, कांदिवली (पूर्), मुंबई–400101; (5) प्लॉट नंबर 117, पहली मंजिल, सी सौल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्), मुंबई 5 400101; (6) 130, पहली मंजिल, सी सौल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली (पूर्), मुंबई – 400101	5170	19.07.2022
6	रोलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	U99999MH1991 PLC064632	4, महालक्ष्मी नगर, गोरेगांव रोड, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई – 400055	5172	19.07.2022
7	एजाईट माइनिंग एंपेयर्स कंपनी लिमिटेड	L89999MH1981 PLC024603	(1) 105, कंजलता इंडस्ट्रियल एस्टेट, 40, एकता रोड, अंधेरी (पूर्), मुंबई–400060; (2) ए/9, रचना अपार्टमेंट, वीणी रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई–400058	5213	28.07.2022
8	ग्लोरिया शीपिंग लिमिटेड	U85990MH1984 PLC032696	(1) साबना रेयान हाउस, डॉ. डीएल रोड, मुंबई–400001; (2) 7, कोठियाले जवरंग रोड, थाना – नेपल तालुका, कर्जात, सतगढ़, महाराष्ट्र – 410101	5719	28.09.2022
9	आयनलोक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	U99999MH1982 PLC028618	(1) 115, टीटी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गैलक्सी के पीछे, वर्ली, मुंबई–400025; (2) 266, डॉ. ऐनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई – 400025	5062	06.12.2022

उपरोक्त चूककर्ता (चूककर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि वे 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी से संपर्क करें। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि ऊपर उल्लिखित चूककर्ता (चूककर्ताओं) कहाँ है तो वे इस संबंध में जानकारी 12 जनवरी, 2023 तक ऊपर दिए गए पते पर पत्र भेजकर या recoveryho1@sebi.gov.in पर ईमेल भेजकर वसूली अधिकारी को प्रदान कर सकते हैं।

तारीख : 28.12.2022
स्थान : मुंबई

सुष्टी आंबोकर
(वसूली अधिकारी)

पत्रकार नगर से शराब तस्कर गिरफ्तार, साथी बाइक से कूदकर फरार

जागरण संवाददाता, पटना : पत्रकारनगर थाने की पुलिस ने बैंक कालोनी से लोहानीपुर निवासी अमरजीत कुमार को 35 बोतल अंग्रेजी शराब गिरफ्तार कर लिया है। उसका साथी ढाली बाइक से कूदकर फरार हो गया। पत्रकारनगर थानेदार मनोरंजन भारती ने बताया कि ढाली की तलाश की जा रही है।

पकड़े गए अमरजीत के पास 39 हजार रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। सोमवार को पत्रकारनगर थाने की पुलिस शराब की होम डिलीवरी करने वाले दो युवकों का गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर अमरजीत और ढाली के बारे में जानकारी मिली थी। मंगलवार की सुबह अमरजीत और ढाली के एक बाइक पर सवार होकर शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे थे। पुलिस को देखते ही बाइक को विपरीत दिशा से भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो ढाली बैग फेंक कर बाइक से कूदकर भाग गया। मौके पर अमरजीत को पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से बरामद मोबाइल में हर दिन 40 से 60 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन है। फोटो गैलरी में नोटों के बंड

एक नजर में

वीएसएसएस ने जरूरतमंदों के बीच बांटे गर्म कपड़े

मालबाजार: भारतीय समाज सेवा संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े बांटे गया। यह कार्यक्रम सोमवार शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चला। संस्था के सदस्यों ने लोगों से कपड़े संग्रहित कर सड़क किनारे जीवन काट रहे जरूरतमंदों के बीच वितरण किया। मालबाजार के हटखोला। बाजार रोड, न्यू माल क्षेत्र। के लगभग 100 जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की गई। उसमें मौके पर संस्था के युवा प्रदेश अध्यक्ष हर्षित प्रसाद, महासचिव विमल राय, अधिराज पाल समेत अन्य मौजूद थे। संसू।

स्कूल कमेटी के नए अध्यक्ष का किया स्वागत

नक्सलबाड़ी: बानरहाट आदर्श विद्या मंदिर हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आठ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को लेकर एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान पूर्व सभापति अमरदीप सार्की की जगह मनोनित नए सभापति के रूप में विमल महतो, पीआइडब्ल्यू पद के लिए नए सदस्य संजीत कुमार चौधरी एवं अजय छेत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस सभा के दौरान गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर कर विमल महतो को अध्यक्ष के रूप में बधाई दी गई।

बामनडांगा चाय बागान में बंद का नोटिस चस्पा

1200 श्रमिकों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट

शुक्रवार को बुलाई गई त्रिपक्षीय बैठक, गेट मीटिंग कर जल्द से जल्द बागान खोलने की मांग

संसू, नागराकाटा: डुवार्स के नागराकाटा ब्लॉक स्थित बामनडांगा चाय बागान में लूक आउट नोटिस लगाकर चाय प्रबंधक फरार हो गए। चाय बागान बंद होने के कारण चाय बागान में कार्यरत 1200 श्रमिकों का भविष्य अंधकार में चला गया है। मंगलवार सुबह को जब श्रमिक काम करने के लिए बागान पहुंचे तो उस समय श्रमिकों को पता चला कि चाय बागान बंद हो गया है। इस दौरान कोई संचालक चाय बागान में नहीं थे।

जानकारी के अनुसार कल रात को ही बागान संचालक चाय बागान को छोड़कर चले गए हैं। मालिक पक्ष श्रमिकों इस तरह मुश्किल में छोड़कर चले जाने से श्रमिकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। श्रमिकों ने जल्द से जल्द चाय बागान खोलने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर आज गेट के सामने गेट मीटिंग भी की गई। बामनडांगा चाय बागान इस पहले भी कई वर्षों तक बंद अवस्था में था। फिर चाय बागान खुले कई वर्ष हो चुके हैं। अब फिर एक बार चाय बागान बंद होने से श्रमिक सहमे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी


गेट मीटिंग में शामिल श्रमिक। ●जागरण

के अनुसार बामनडांगा और मेटली ब्लॉक स्थित सागरसिंग चाय बागान एक ही मालिक का चाय बागान है। दोनों चाय बागान में दुर्गा पूजा के समय बोनस और मजदूरी को लेकर समस्या चल रहा था। बाद में समस्या समाधान हो गया था। आज बामनडांगा चाय बागान तो बंद हो गया लेकिन सागरसिंग चाय बागान सुचारू रूप से चल रहा है। शीतकालीन मौसम में मालिकों के चाय बागान बंद करके चले जाने की प्रवृत्ति काफी पुरानी है। लेकिन बामनडांगा चाय बागान उस प्रवृत्ति का शिकार क्यों हुआ इस पर बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। दूसरी और इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे मालिक पक्ष श्रमिकों को इसका जिम्मेदार ठहरावा है। चाय बागान मालिक ने चाय बागान को बंद करने के पीछे बिना कारण श्रमिकों का हस्तक्षेप सहित कुल 9 कारणों को बताया है। चाय बागान के भार प्राप्त चाय प्रबंधक सौम्य घटक ने कहा हमारे पास चाय बागान को बंद करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं था। तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन के नेता कैलाश गोप ने कहा चाय बागान में यदि कोई समस्या होती तो मालिक श्रमिकों के साथ बातचीत करना चाहिए था। उस तरह का कुछ नहीं हुआ। पहले से चाय बागान को बंद करने का योजना मालिक पक्ष बना रहा था। उनलोगों की मांग है कि चाय बागान को जल्द से जल्द खोला जाए। जलपाईगुड़ी डिप्टी लेबर कमिश्नर चिरौंजे प्रेरणा ने कहा चाय बागान बंद होने के बारे सूचना मिली है। आगामी शुक्रवार को चाय बागान समस्या समाधान को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता की जाएगी। तृणमूल श्रमिक तृणमूल चाय बागान मजदूर यूनियन के केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं नागराकाटा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सभापति संजय कुजूर ने कहा श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय बनाकर इस तरह चुपचाप से चाय बागान को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। चाय बागान मालिक श्रमिकों के ऊपर जो आरोप लगा रहे वह सरा सरा गलत है यदि कोई भी समस्या होती तो श्रमकों के साथ बातचीत के माध्यम से उसे समाधान किया जा सकता था। एरियर, पीएफ, ग्रेजुएटी को लेकर भी चाय बागान में समस्या है। चाय बागान में उत्पादन भी अच्छा नहीं हुआ का कारण चाय मालिक खुद जिम्मेदार है।


कोहरे की धुंध...

मंगलवार सुबह को उत्तर बंगाल समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। इस क्रम में डुवार्स के नागराकाटा ब्लॉक के फैरन स्टेशन के पास कोहरे के धुंध के बीच गुजरती ट्रेन की ली गई तस्वीर ● जागरण

डेंगुआझार बाजार में मिला अज्ञात शव

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी: जलपाईगुड़ी के डेंगुआझार बाजार से एक अधेड़ की शव मिलने से हड़कंप मच गया। सनातन लोगों का मानना है कि इस व्यक्ति की मौत भीषण ठंड की वजह से हुई है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जलपाईगुड़ी में पिछले दो दिनों से कड़ाके की ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। इतनी ठंड में यह व्यक्ति जलपाईगुड़ी के डेंगुआझार हाट में खुली जगह में सोता था। आज सुबह स्थानीय व्यापारियों ने अज्ञात व्यक्ति को जमीन पर मृत पाया।

इस व्यक्ति के घर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह मजदूरी का काम करता था। स्थानीय लोग उन्हें भिक्षुक कहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति पिछले सात दिनों से इलाके में रह रहा था। आज शव मिलने के बाद इसकी जानकारी कोतवाली थाने की पुलिस को दी गई। मौत का असली कारण तभी पता चलेगा जब पुलिस आकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करेगी। मामले की जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

डीएल कर्मियों के साथ डीएफओ ने की बैठक,नहीं निकला समाधान

- टीएल कर्मचारियों ने चुकाया रोड ब्लॉक पर जोरदार प्रतिवाद
- हड़ताल तोड़ी तो 186 कर्मचारियों को रोकने का, स्थायीकरण समेत कई मांग

रवाद सूत्र, वीरपाड़ा: जलपाड़ा के आंडीलनरत वन विभाग के डीएल कर्मचारियों ने मंगलवार को डीएफओ की बैठक में कोई हल नहीं निकलने पर बुधवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। जलपाड़ापा के 186 डीएल कर्मचारियों ने स्थाईकरण, समान वेतन, बकाया बोनस समेत कई मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया था।

आंदोलनकारियों में शामिल डीएल कर्मचारी व संगठन के कोषाध्यक्ष सुभम अधिकारी ने बताया कि जलदापाड़ा डीएफओ दीपक एम ने मंगलवार को उन्हें बैठक के लिए बुलाया था। आंदोलन कारी डीएल संगठन के अध्यक्ष सेरोन सुब्बा ने कहा कि वह 15 साल से डीएल कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान में वह महावत के पद पर हैं।मंगलवार को डीएफओ ने उनके साथ बैठक की लेकिन बैठक में कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने डीएफओ को सूचित किया कि वह आज शाम 4 बजे से जलदापाड़ा वन विभाग के किसी भी हाथी को भोजन नहीं देंगे। वे जंगल पहाड़ समेत कोई भी काम नहीं करेंगे और बुधवार से हड़ताल में शामिल होंगे। सेरोन सुब्बा ने कहा कि डीएफओ ने जरूरत पड़ने पर एक और डीएल स्टाफ की नियुक्ति पर उनसे चर्चा की। हालांकि वे लंबे समय से डीएल कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरे तरह से वंचित किया जा रहा है। वन सहायकों की नियुक्ति होने के बाद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। आज की बैठक को लेकर डीएफओ समेत किसी से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनलोगों से संपर्क नहीं हो सका।

दो घंटे तक आइसीडीएस कर्मियों को कमरे में रखा कैद


प्रदर्शन करते ग्रामीण। ●जागरण

संसू, उदलाबाड़ी: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान वितरण सूची सही नहीं होने का आरोप लगाने पर गांव के लोगों ने आइसीडीएस कर्मी को स्कूल में ही रोक लिया। यह मामला मालबाजार महकमा के उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत के खुदीराम पल्ली इलाके की है। आरोप है कि आइसीडीएस कर्मचारियों को करीब 2 घंटे तक केंद्र के अंदर ही रखा गया।

खुदीरामपल्ली के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि सर्वे इसलिए किया गया है कि बड़े लोगों को ही मकान मिले। जिन्हें पहले मकान मिले उन्हें दोबारा मकान मिले। लेकिन गरीबों को मकान नहीं मिले और उसे वंचित किया जाए। मंगलवार सुबह उदलाबाड़ी खुदीराम पल्ली क्षेत्र स्थित आईसीडीएस केंद्र में एक

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की हकदार गड़ी सूची में बड़े लोगों के नाम जोड़ने का आरोप, गरीबों को किया गया वंचित

गया है कि बड़े लोगों को ही मकान मिले। जिन्हें पहले मकान मिले उन्हें दोबारा मकान मिले। लेकिन गरीबों को मकान नहीं मिले और उसे वंचित किया जाए। मंगलवार सुबह उदलाबाड़ी खुदीराम पल्ली क्षेत्र स्थित आईसीडीएस केंद्र में एक कर्मचारी पहुंचे थे। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे जब मैं स्कूल आया तो कुछ ग्रामीण मुझसे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास वितरण को लेकर तरह-तरह के सवाल पूछने लगे। उनलोगों ने आरोप लगाया कि मैंने ठीक से सर्वे नहीं किया। इसलिए गरीबों को घर नहीं मिले। गांव के लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया कि मकान बांटने में हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। मुझे स्कूल के घर के अंदर बंद कर दिया गया। बाद में ब्लॉक के आइसीडीएस अधिकारी सयाक दास ने कहा, घटना की जानकारी मिलने पर हम उदलाबाड़ी इलाके में गए और ग्रामीणों कर्मचारियों से बात की। मैंने प्रशासनिक स्तर और उच्च स्तर पर भी बात की है। मैंने सभी पक्षों से मामले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

पीएम आवास योजना में धांधली के खिलाफ डीएम से शिकायत

आरा, जलपाईगुड़ी: जरूरतमंद लोगों के बजाए पक्के मकान वाले लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं मुट्ठी भर लोगों को कई बार मकान दिए जा चुके हैं। पूरे मामले को लेकर जलपाईगुड़ी के पाहड़पुर ग्राम पंचायत संजयनगर इलाके के नवासियों ने मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिलाधिकारी व कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका स्पष्ट कहना है कि जो लोग इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें उसके अनुसार ही दण्डित किया जाना चाहिए।संजयनगर कॉलोनी के निवासियों के एक वर्ग ने शिकायत की कि घर उनके नाम पर आवंटित। लेकिन अधानक उनके नाम रद्द कर दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि नाम रद्द कर डाला गया।

लेकिन उन्होंने इस बात पर सवाल खड़ा कर दिया है कि सूची से नाम किसने हटाया और सूची में किसने नाम जोड़ा। हालांकि, निवासियों का दावा है कि घर आवंटन में बहुत भ्रष्टाचार है। लोगों की माने तो डीएम ने पूरी जांच का आश्वासन दिया है।

दलगांव के वनकर्मियों ने जब्त की लाखों रुपये की लकड़ी


जब्त लकड़ी। ●जागरण

रवाद सूत्र, वीरपाड़ा: वन विभाग के दलगांव रेंज के कर्मचारियों ने करीब लाखों रुपये कीमत के सागौन के लट्ठे के साथ एक भूटान नंबर की मारती ओमनी कार जब्त की है। सोमवार की रात साढ़े दस बजे के करीब वन विभाग को सूचना मिली कि एक छोटे वाहन में लकड़ी की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर वनकर्मियों ने दलमोड़ के जंगल में छापेमारी की। इस दौरान लकड़ी तस्कर सागौन के तीन लट्ठे लेकर वहां छोड़कर फरार हो गए। फलस्वरूप किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वन विभाग ने वाहन को जब्त कर लिया है। दलगांव रेंज के रेंजर धनंजय राय ने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है। डुवार्स में एक गिरोह लकड़ी तस्करी को लेकर काफी सक्रिय है। जो अक्सर जंगल से लकड़ी की तस्करी करता है। इसमें छोटी कारें, पिक-अप समेत अन्य वाहनों की मदद ली जा रही है। वन अधिकारियों की छापेमारी

Are we ready for Covid spike? Hosps across India hold drill

Clinical Preparedness Crucial To Fight Virus, Says Health Minister



Oxygen concentrators being checked at a Chennai hospital on Tuesday

New Delhi: In light of increasing Covid caution in the wake of several countries witnessing a sharp rebound in infections, pandemic preparedness drills were conducted across India on Tuesday to check the readiness of hospitals to deal with any potential spurt in the number of cases.

Health minister Mansukh Jandaviya, who visited Safdarjung Hospital in Delhi to review the Covid response drill, said the exercise was necessary to know how prepared the hospitals were. "Covid cases are rising all over the world and India might witness a spike in cases too. Hence it is important that the entire Covid infrastructure in terms of equipment, prevention and human resources are in a state of operational readiness," he said.

Clinical readiness at hospitals "is crucial", the health minister said while noting that government as well as private hospitals are undertaking the drills. State health ministers are reviewing the drills in their own states, he said. They took stock in their respective states and shared information on available beds, oxygen support and other equipment, medicines, vaccines, etc.

Cautioning against complacency, he urged everyone to follow Covid appropriate behaviour. He also asked people to refrain from sharing unverified information.

Mandaviya visited the 44-bedded Covid centre at Safdarjung Hospital, the triage and testing area which has been created by the hospital along with a 'severe acute respiratory infection' ward in the makeshift facility which already existed. He also interacted with hospital officials and instructed them to be prepared for any fresh outbreak.

In Maharashtra, state authorities said, drills were conducted at about 1,300 health facilities. "A review of available hospital beds, ICU facilities, equipment, oxygen system, medicine stocks, human resources and their training and telemedicine facility was taken," state health officials said.

Similar drills were also carried out in other states like Karnataka, Jharkhand and Gujarat among others.

Karnataka health minister Sudhakar, who reviewed the drill at some of the hospitals, called on people to join hands with the government and follow precautionary measures, while making it clear that there is no proposal to impose restrictions that will hamper economic activities. Sudhakar visited hospitals in Hubballi and Dharwad to inspect the drill. "There are about 8.3 lakh doses of Covid vaccine available in the state and I urge everyone to get the shots," Sudhakar said.

Gujarat has prepared a comprehensive plan and reviewed the preparedness of the existing health infrastructure in case of any eventuality on the pandemic front. Jharkhand health minister Banna Gupta reviewed the preparedness in the Ranchi district hospital, according to a statement issued by the minister's office in Jamshedpur.

Govt call soon if battery swap for EVs to be a must or voluntary

New Delhi: The Centre will soon take a call on whether to make battery swapping standards for electric two and three wheelers mandatory or voluntary, reports **Dipak Dash**. The government has called a meeting of representatives from Electric Vehicle industry and public entities next week before finalising the standards being formulated by the Bureau of Indian Standards (BIS).

Sources said there are views that too much of standardisation may impact innovation when the new technology is going through a development curve. Union consumer affairs minister Piyush Goyal is scheduled to chair the meeting on January 3.

Battery swapping allows EV owners to replace the discharged batteries with freshly charged ones at swap stations by paying certain charge and thereby avoid waiting for a couple of hours to recharge the batteries at charging stations.

Officials said the focus of the new standard will be uniform so that these can be fitted in any model or make of two and three wheelers. Large scale adoption of battery swapping will decouple the battery costs from the upfront cost of purchasing an EV. The price of the battery is nearly 40% of the cost of an EV.

HC junks bail-deferment plea, Deshmukh may walk out today

Sunil.Deshpande
@timesgroup.com

Mumbai: The CBI plea for a second extension of the order deferring bail to former minister Anil Deshmukh was declined on Tuesday by Justice SG Chapalgaonkar of the Bombay high court's vacation bench. Unless the Supreme Court vacates bench intervenes on any last-minute plea by the agency, Deshmukh, 73, will walk out on bail on Wednesday after almost 14 months behind bars.

On December 12, Justice M S Karnik had granted bail on merit to Deshmukh in the Prevention of Corruption Act case filed by the CBI. On a request by the agency, the HC had made its bail order effective from December 22. Later, it had extended the deferment till December 27 on a CBI plea. The HC had also granted bail earlier to a money laundering case.

Deshmukh was accused of ordering the police to collect Rs 100 crore from orchestra bars owners in the city every month as protection mo-



Celebrations outside the residence of Anil Deshmukh in Nagpur

ney. In its bail order, the HC said nothing indicated money was collected from Mumbai's 1,700-plus bars on the instructions of Deshmukh, ex-cop approver and co-accused Sachin Waze's statement.

On December 22, the HC allowed the CBI's first request for extension and said its December 12 bail order would not take effect till December 27. Justice Karnik had "made it clear that no further request of extension will be entertained."

Six days later, the CBI approached with another request. CBI counsel Shriram Shirsat made a fervent plea for an extension of only three days since an interim application has been filed before the apex court. "How far can this go?" said Justice Chapalgaonkar, adding: "Am not passing any order."

Aniket Nikam, counsel for Deshmukh, said no such relief can be granted as it would mean the vacation bench is "obliterating" the regular court's order. It was a question of liberty that had granted after a full hearing of the bail plea on merits and a fair chance had been given to the CBI.

Shirsat said they "want an extension of not more than three days ... as now the interim application for stay was fixed before the SC". The CBI said "despite best efforts", its application was not listed for hearing before the SC before December 27. The vacation judge said: "Considering aforesaid observation (in the December 22 order), request for further extension cannot be entertained."

Bharat Bio nasal vax at ₹800 for pvt centres & ₹325 for govt hospitals

Swati.Bhardwaj
@timesgroup.com

Hyderabad: Bharat Biotech's intranasal Covid-19 vaccine (iNCOVACC) will be priced at Rs 800 per dose in private markets and at Rs 325 per dose for procurement by central and state governments, the vaccine maker announced on Tuesday. If one adds 5% GST and administration charges of Rs 150, the total cost to the user will be around Rs 800 per dose in private hospitals.

Bharat Biotech said iNCOVACC will be rolled out in the *fourth week of January 2023 as a booster dose for those* aged 18 years and above. The vaccine made its debut on CoWIN on December 24.

The company said iNCOVACC is the world's first Covid-19 vaccine to bag approval for a primary two-dose and heterologous booster dose. It will also be the first needle-less booster in the country.

The recombinant replication-efficient adenovirus vectored vaccine with a pre-fusion-stabilised SARS-CoV-2 spike protein was developed by Bharat Biotech in collaboration with the Washington University at St Louis.

What could also make iNCOVACC a game-changer in the Covid-19 fight is that its manufacturing platform offers the double benefit of enabling faster development of variant-specific vaccines and easy nasal delivery that will make mass immunisation easier to protect from emerging variants of concern, it added.



AN ALTERNATIVE AT HAND

Bharat Biotech executive chairman Dr Krishna Ella said iNCOVACC's "restored intranasal delivery platform gives the company the capability for rapid product development, scale-up, easy and painless immunisation".

Bharat Biotech has already established large manufacturing capabilities in multiple states across India, including Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Telangana, for iNCOVACC, whose output can be scaled up rapidly unlike its inactivated virus vaccine Covaxin, where output was hampered by yield constraints due to the mammalian platform.

Maha pays woman ₹1L for no med aid during lockdown

Prafulla.Marpakwar
@timesgroup.com

Mumbai: In the first case of its kind, the National Human Rights Commission (NHRC) has directed the state public health department to pay Rs 1 lakh to a mother and child as interim relief for failing to provide timely medical care during the delivery and causing great mental stress to the woman.

The NHRC took cognisance after an alert by an NGO in 2020 following reports that the woman, forced to walk home to Madhya Pradesh with her migrant labourer husband who was then working in Maharashtra during Covid lockdown, gave birth to a baby on the way around Pimpalgaon on May 16, 2020. She could not avail of any medical facilities and after resting for a few hours, resumed the walk of 150km home.

Acting on the NHRC directives, the public health department on December 24 approved payment of Rs 50,000 for the mother, Shamrada Kaul, and another Rs 50,000 for her newborn child. "Payment has been released by the district health officer, Dhule," said an official resolution.

Additional chief secretary (public health) submitted a report based on inputs from the DHO, Dhule, on May 24, 2021. It said there was no information available about any delivery on the roads in the district. "The lady is currently residing in Satna in MP and she said she had a normal delivery in the forest near Pimpalgaon and her family had not contacted the toll free number for an ambulance or any health facilities. She received the required immunisation from MP health authorities," the DHO said.

The NHRC order came on an alert by an NGO in 2020 that the MP woman, forced to walk home with her migrant husband during the Covid lockdown, gave birth on the way with no medical facilities

It was pointed out that the Satna district administration arranged for a bus for the family to their hometown, and gave her Rs 10,000, besides Rs 1,000 from the patient welfare fund and Rs 500 for home delivery. The public health department had requested against imposition of any penalty on the grounds that the woman did not contact state healthcare centre

27-year-old NHAI gets its 20th chief in UP cadre IAS officer

New Delhi: The 27-year-old National Highways Authority of India (NHAI) has got the 20th chairman with the government appointing a senior UP cadre IAS as its new chief, reports **Dipak Dash**. The details of tenures of NHAI chairpersons show that only three chiefs have stayed in the post for more than three years.

The Cabinet Committee on Appointments on Monday announced 1988 batch IAS officer Santosh Kumar Yadav to be the next NHAI chief. His predecessor Alka Upadhyay, who is currently road transport secretary, had a one-year tenure.

The appointment rules for chairpersons and members notified on July 24, 2009, say that the chairperson "shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment". The rules also say that the government may relax any provision of the rules by recording reasons "in writing".

Sources said the provision of three year's tenure for chairman was made in the recruitment rules considering that NH projects need detailed planning and take a long time for execution. 1986 batch IAS Deepak Das Gupta had the longest tenure of approximately five-and-a-half years.

Registration of newspapers goes online, to cut time

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Registering newspaper publications with the Registrar of Newspapers in India (RNI) will soon be a fully digital exercise, bringing down the time taken to process applications from several months to just seven days, a top functionary in the information and broadcasting ministry said on Tuesday.

Work to take newspapers' registrations with RNI online has already been set in motion and is expected to be completed before March 31 next year. The information and broadcasting ministry, the nodal department overseeing the exercise is understood to be working on the initiative as part of the state's Digital India and ease of doing business initiatives.

In a separate exercise to clear up space in its offices and make them more modern and modular, the I&B ministry undertook a space audit of its buildings and cleared up nearly 3.5 lakh square feet across 20 cities. The additional space — most of it in prime locations — will not only serve to house affiliated government offices currently operating from outside government-owned buildings, but also lead to additional revenues from rental income.

Information and broadcasting minister Anurag Thakur said the space audit and efficient management of buildings carried out as part of the Swachh Bharat Abhiyan also led to earnings of about Rs 22 crore.

The space audit was started on September 29 when Thakur visited the Doordarshan Kendra in Ahmedabad. The exercise conducted in Bhopal on Monday. In Mumbai alone, the I&B ministry said the space optimisation initiative freed up about 90,000 square feet space, which Thakur said can earn the government several crores in rental income.

Buildings and spaces vacated by the I&B ministry are spread across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Guwahati, Chennai, Thrissur, Thiruvananthapuram, Jabalpur, Chandigarh, Lucknow, Coimbatore, Panaji, Amritsar, Sambalpur, Bhawanipatna, Puducherry, Mangaluru, Berhampur and Bhopal.

The ministry now plans to co-locate its various offices in the space vacated during the audit to bring about greater synergy among sister organisations and effective dissemination of information through integrated publicity plans, Thakur said.

Prime Minister Narendra Modi had also mentioned the space audit carried out by the ministry in his 'Mann ki Baat' programme on December 25.

Sidhu may walk free on R-Day, 4 months short of full jail term

Vibhor.Mahan@timesgroup.com

Chandigarh: Congress's Navjot Singh Sidhu features on a shortlist of 21 Punjab prisoners deemed eligible for remission of sentence on Republic Day, potentially setting him up for release around eight months into his year-long imprisonment in a 1988 road rage case.



The proposed list will be taken up for consideration at a meeting of the council of ministers, sources said. Once the cabinet gives the go-ahead, the names will be sent to the governor for his assent.

"The state government won't be extending any special relief to him. The list includes two other prisoners who have completed their sentence but were in jail for their inability to pay the fine imposed by courts. There are some who have completed 60-70% of their jail term," a source in the jail department said.

According to procedure, the state's remission policy is circulated among jail authorities with a mandate to draw up lists of prisoners meeting the stipulated criteria. Apart from the state government's three remission policies, the Centre has separate ones for special occasions like Republic Day.

The Supreme Court handed Sidhu a year-long jail term in May. He surrendered before a court on May 20 and was sent to Patiala central jail. He lost the last assembly election in his pocket borough Amritsar (East).

Government of India
Ministry of Science and Technology
Department of Science and Technology

No. 1-12024/11/2022-Estt.II

Applications are invited from the retired Government Servants for engagement of 02 Consultants (RTI Officer - 01 and Legal Consultant - 01) in the Department of Science and Technology on contract basis initially for a period of one year. Persons fulfilling eligibility criteria may apply in the prescribed format details of which can be downloaded from the Department's official website www.dst.gov.in and completed application may be sent to the Under Secretary, Estt. II Section, Department of Science & Technology, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi 110016 or email at dstadmdb-mast@nic.in within 45 days from the date of publication of this advertisement.

Atin Singh Yadav
Under Secretary to the Govt. of India

CBC 28101/11/0020/2223

BOSE INSTITUTE
KOLKATA

ADVT. NO.: BI/ACA/CB/2022-23

Bose Institute, Kolkata, an autonomous scientific research institute under the Dept. of Science & Technology, Ministry of Science & Technology, Govt. of India, New Delhi, invites online application from Indian Nationals for the following faculty positions:

A. Professor (01 post) : Level-13A of Pay Matrix as per 7th CPC
B. Associate Professor (06 posts) : Level-13 of Pay Matrix as per 7th CPC
C. Assistant Professor (02 posts) : Level-12 of Pay Matrix as per 7th CPC

For eligibility criteria, reservation and other details, please visit http://www.jobcase.co.in. Last date of submission of online application is 19/01/2023 up to 23.59 hrs.

Sd/-
REGISTRAR (OFFICIATING)

CBC 28119/12/0006/2223

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

संख्या: देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन एवं नियामक (संशोधन) अधिनियम-2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-24, वर्ष 2019) के अधीन उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन एवं नियामक आयोग के 03 पदों (01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्यों) की नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित विज्ञापन, नियमावली, शर्तें एवं अभियार्थ शैक्षिक अर्हता/योग्यता का विवरण उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग की वेबसाईट www.uttarakhandirrigation.com पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन का भली-भांति अवलोकन कर लें। आवेदन पत्र केवल ई-मेल आई.डी.- secretaryirrigationuk@gmail.com पर दिनांक 15.01.2023 सायं सायं 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। डाक एवं अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्रों एवं निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
सचिव
फिर कॉल- 24446

पत्रांक : 322/35/ए.सू.प्रभा./अनुइ(प्रतीक्षा)(परीक्षा कलांड)/पु0 परीक्षा-2022/अधिसंचना-2/22-23 दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022

रिक्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को आयोजित अनुसहायक द्वितीयभाषा(अंग्रेजी एवं हिन्दी) प्रारम्भिकता कार्यालय पुरुष परीक्षा-2022 की अन्तरिम प्रश्नपत्रिका उत्तर (प्रश्नपत्र हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान) की उत्तरमाला की फोटो प्रतियां (A, B, C & D) की उत्तरकुंजी, की आयोग की वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों की सुविधार्थ उपलब्ध कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को फोटो प्रतियों में किसी प्रश्न एवं उत्तर विषय पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाईट पर **Online Answer Key Objection** हेतु दिये गये लिंक पर उत्तर अपनी आपत्ति का आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक: 28 दिसम्बर, 2022 से 03 जनवरी, 2023(सायं 5 बजे तक) तक दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑन-लाईन आपत्ति के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक **Online Answer Key Objection** में अभिलेख ई-मेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्तियों एवं अंकित लिंक के उपरान्त प्रेषित आपत्तियों तथा ऑन-लाईन आपत्ति के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आयोग सूची के साथ आपत्ति कर्ता किये जाने से पूर्व आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें।

विज्ञप्ति क्रमांक: 321/35/ए.सू.प्रभा./अनुइ(प्रतीक्षा)(परीक्षा कलांड) गणित/मुख्यपरीक्षा-2022/अधिसंचना-2/22-23 दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022 का अवलोकन करना है।

हस्ताक्षरी सिंह सचिव) गणित

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
SEBI Bhavan-II, Plot No. C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai, Maharashtra - 400051

PUBLICATION OF DETAILS OF UNTRACEABLE DEFAULTERS

Recovery Certificates were drawn up against the following Defaulter by the Recovery Officer, SEBI under section 28A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with section 222 of the Income-tax Act, 1961. However, Notice of Demand could not be served on the Defaulters at their last known address as provided in the table below:

SR. NO.	NAME OF DEFAULTER	PAN/CIN	LAST KNOWN ADDRESS OF DEFAULTERS	RECOVERY CERTIFICATE NUMBERS	DATE OF NOTICE OF DEMAND
1	MYNK1906 Industries India Limited	L51900MH1985 PLC035514	(1) 400, 4th Floor, B Wing, Sangeeta Ellipse Sahakar Road, Vile Parle (East), Mumbai – 400057; (2) 26-E, Dhanraj Mahal, Chhatrapati Shivaji Marg, Mumbai 400039; (3) Office no. 24, Shubhadra Building, 1st Floor, Near RTO Office, Sir Pochkanwala Road, Mumbai - 400030	3605	27.04.2021
2	Induscon India Limited	L74210MH1985 PLC077809	(1) 63/69, Nagdevi Cross Lane, 1st Floor, Room No. 8, Mumbai – 400003; (2) Jukaso House, Jukaso Silk Mills Compound, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai - 400072	3606	27.04.2021
3	Classic Press (International) Limited	U22210MH1994 PLC082932	(1) 3, Vakil Industrial Estate, Wadhari Road, Goregaon East, Mumbai – 400063; (2) Siddhivinayak Seva Society, Dalvi Mandoor Pandhi, Vasai Hill, Goregaon West, Mumbai-400062	3636	17.06.2021
4	Goodearth Financial Services Limited	U99999MH1990 PLC056850	Dongre Bunglow 5, Ameya Apartment, Prarthana Samaj, Vile Parle East, Mumbai - 400057	5169	19.07.2022
5	ACI Infocom Limited	AADCA2262Q	(1) Shop 109, 1st Floor, Dimple Arcade Premises CHS Ltd, Asha Nagar, Thakur Complex, Kandivali (East), Mumbai - 400101; (2) Address 2: 701, Raheja Chambers, Nariman Point, Mumbai – 400021; (3) 141 A Wing, 14th Floor, Mittal Court, nariman Point, Mumbai – 400021; (4) 501, 3rd Floor, Annex Dimple Arcade, Ashok Nagar, Kandivali (East), Mumbai – 400101; (5) Shop No. 117, 1st Floor, V Mall, Western Express Highway, Kandivali (East), Mumbai – 400101; (6) 130, 1st Floor, V Mall, Western Express Highway, Kandivali (East), Mumbai – 400101	5170	19.07.2022
6	Tejocmals Industries Limited	U99999MH1991 PLC064632	4, Mahalma Nagar, Goldar Road, Santacruz East, Mumbai -400055	5172	19.07.2022
7	Rajendra Mining Sparss Company Limited	L99999MH1951 PLC024603	(1) 105, Bajaan Industrial Estate, 40, Chakala Road, Andheri (East), Mumbai – 400099; (2) A/9, Rachna Apartment, VP Road, Andheri (West), Mumbai -400058	5213	26.07.2022
8	Gloria Leasing Limited	U65993MH1984 PLC032698	(1) Sadhna Rayon House, Dr. D.N. Road, Mumbai -400001; (2) 7, Kodivale Kopar-li Road, , via – Nerai Taluka, Karjat, Raigad, Maharashtra - 410101	5718	29.09.2022
9	Dynavox Industries Limited	U99999MH1982 PLC026616	(1) 115, T.V. Industrial Estate, Behind Glaxo, Worli, Mumbai – 400025; (2) 299, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400025	6082	08.12.2022

The abovenamed Defaulter are advised to contact the Recovery Officer by sending a letter to the address given above or an email to **recoveryho1@sebi.gov.in** latest by **January 12, 2023**. Further, if any person is aware of the whereabouts of the Defaulter(s) mentioned above, details of the same may be provided by sending a letter to the Recovery Officer at the address given above or an email to **recoveryho1@sebi.gov.in** latest by **January 12, 2023.**

Date: 28.12.2022
Place: Mumbai

Srishti Ambokar
(Recovery Officer)